सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 41 ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या 1 से 17 तक

उत्तराखण्ड
राज्य महिला आयोग

पता
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून। उत्तराखण्ड
फोन नं0135–27735817

विषय सूची पृष्ठवार

क्र.सं.	मैनुअल के बिन्दुओं का विवरण	पृठ संख्या
	प्रस्तावना	03
1	संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	04 से 06
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	07 से 08
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जानी वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।	09 से 10
4	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड।	11 से 13
5	अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम आदेश निर्देशिका और अभिलेख	14 से 68
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्राणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण	60 से 70
7	किसी व्यवस्था की विशिटियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	71 से 86
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिन मे दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों के और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुॅच होगी।	80 से 107
9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।	109 से 109
10	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	110 से 111
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	112 से 113
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	114 से 115
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियॉ	116 से 117
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्धि में ब्यौरे जो उसको उपलबध हों या उसके द्वारा धारित हों।	118 से 119
15	सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविघाओं की विशिष्टियॉ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष के यदि लोक प्रयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	120 से 121
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	122 से 123
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।	124 से 190

प्रस्तावना

देश व प्रदेश में महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने, उन्हें न्याय दिलाने तथा महिलाओ को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देय से उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश को विभक्त करते हुए उत्तराखण्ड की स्थापना दिनॉक 09–11–2000 को हुई। उत्तराखण्ड की स्थापना पर अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 09 अक्टूबर, 2003 को प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया। राज्य महिला आयोग का कार्यालय वर्तमान में नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,, देहरादून में संचालित है।

आयोग में निम्नलिखित आध्यक्ष उनके सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यरत रही हैः–

क्रमॉक	नाम	अवधि
1	डा0 सन्तोष चौहान	09 अक्टूबर, 2003 से 28 फरवरी, 2007 तक,
2	श्रीमती राज रावत	04 जनवरी, 2008 से 29 जुलाई, 2009 तक
3	श्रीमती सुशीला बलूनी	05 फरवरी, 2010 से 04 फरवरी 2013 तक
	रिक्त	

आयोग में वर्तमान में निम्नलिखित उपाध्यक्ष उनके सम्मुख अंकित अवधि से कार्यरत है।

क्रमॉक	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रभावती गौड	22 जनवरी, 2010 से
2	श्रीमती अमिता लोहनी	11 फरवरी, 2010 से

आयोग में निम्नलिखित सदस्य–सदस्य उनके सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यरत रही हैः–

क्रमॉक	नाम	अवधि
1	श्रीमती दमयन्ती दोहरे	10.10.2003 से 01.04.2004 तक
2	श्रीमती उषा शुक्ला	02.04.2004 से 08.06.2004 तक
3	श्रीमती वन्दना सिंह	09.06.2004 से 22.11.2004 तक
4	श्रीमती सुजाता	24.12.2004 से 01.09.2007 तक
5	श्रीमती शारदा शर्मा	05.09.2007 से 27.01.2010 तक
6	श्रीमती आशा रानी ध्यानी	27.01.2010 से 23.07.2013 तक
7	श्रीमती सुजाता	23.07.2013 से

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम–2005, उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 516/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनॉक 11 नवम्बर, 2005 द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा चुका है। अधिनियम की नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आयोग के विकेन्द्रीयकृत स्वरूप होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम–2005 में प्रदेश के सभी जनपदों से सदस्यों को मनोनीत किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में आयोग में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्यों की नियुक्ति हुई है।

आयोग पीड़ित महिलाओं के साथ होने वाले प्रत्येक प्रकार के भेदभावों एवं दुर्व्यवहारों को दूर करने उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने एवं उनको उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी के अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने हेतु एक सजग प्रहरी के रूप में निष्ठा से कार्य कर रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा 41 ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या 1

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

उत्तराखण्ड
राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।
फोन नं0135–2775817

संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन देश के अन्य 20 राज्यों के अनुरूप महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं को न्याय दिलाने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अक्टूबर 2003 में किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा–3(2) क, ख, ग एवं घ के प्राविधानों के अनुसार महिला आयोग में 01 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, दोनों मण्डलों के अनुरूप नाम–निर्दिष्ट किये जायेगे एवं 18 सदस्य प्रत्येक जनपद से कम से कम एक सदस्य तथा एक सदस्य–सचिव नाम निर्दिट किये जाते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 साल का होता है एवं आयोग के कार्यसंचालन हेतु अन्तरिम ढॉचों के अनुरूप पद सृजित किये गये हैं।

स्वीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नाम व पद के अनुरूप शासन के निदर्शों के अनुरूप अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहें हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नवत पद धारक हैं। ये सब प्रतिनियुक्ति, अस्थायी एंव संविदा पर कार्यरत हैं। आयोग का ढॉचा अभी शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित हैं–

सदस्य–सचिव	प्रतिनियुक्ति	01
विधि अधिकारी	संविदा	01
परामर्शदाता	संविदा	01 पद रिक्त
सहायक लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	01
आशुलिपिक	संविदा	01
डाटा आपरेटर	संविदा	02
कनिष्ठ सहायक	संविदा	01
अनुसेवक	संविदा	02

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम–2005 के अनुसार अध्यक्ष–01, उपाध्यक्ष–02 प्रत्येक मण्डल के लिए एक–एक एवं सदस्य–18 प्रत्येक जनपद से कम से कम 01 पद सृजित हैं। विभिन्न स्तर व क्षेत्रो से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त होती हैं, इनकी आयोग स्तर पर कॉन्सिलिंग तथा विधि के अनुरूप कार्यवाही एवं जॉच करायी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर पक्ष एवं विपक्ष की सुनवाई के लिए समन भी भेजे जाते हैं। आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की जाती हैं और यह प्रयास किया जाता है कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाये। यदि आयोग स्तर से मामला निस्तारित योग्य न हो तो न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने का परामर्श पक्ष/विपक्ष को दिया जाता हैं।

कृत्य व कर्तव्य :

राज्य महिला आयोग में निम्न प्रकार के प्रकरणो पर शिकायतें सुनी जाती है।

- वैवाहिक झगड़े/द्विविवाह
- पारिवारिक तालमेल की समस्या
- पति और ससुराल वालों की ओर से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न
- पड़ोसियों अथव अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न
- बलात्कार
- दहेज उत्पीड़न
- भावनात्मक आघात

- महिलाओं की अन्य विभिन्न समस्यायें
- सेवा से सम्बन्धित समस्यायें की संस्तुति
- बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों, बहु/सौतले बच्चों द्वारा तंग करना
- द्विविवाह/दूसरी स्त्री के साथ उत्पीड़न
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, के मामलों को कमेटी को संस्तुति करना
- अपहरण के मामलों मे पुलिस रिपोर्ट हेतु संस्तुति

- पुलिस द्वारा असहयोग
- भरण–पोषण/तलाक और परित्याग
- घरेलू हिंसा
- सम्पत्ति विवाद
- नौकरी सम्बन्धी
- जानमाल सुरक्षा

_____''' _____

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

की धारा 41 ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

उत्तराखण्ड़
राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।
फोन नं0135–2775817

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

आयोग के गठन के बाद आयोग पीड़ित महिलाओं के उत्पीड़न निवारण कार्य एवं महिलाओं के विकास एवं जागृति के कार्य को उत्तरदायित्व के साथ निभाना हैं। स्वीकृत महानुभावों के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी का सहयोग लेकर आयोग अपने स्तर पर कार्य करेगा।

भाग–(अ)

क्र.	अधिकारी का नाम	वित्तीय शक्ति	प्रशासनिक शक्ति	अन्य
1	2	3	4	5
1	सदस्य–सचिव	आहरण एवं वितरण के सम्पूर्ण अधिकार	समस्त आयोग के प्रशासनिक अधिकार	वादी प्रतिवादी को समन जारी करना एवं अध्यक्षा के आदेशों का पालन करना।
2	विधि अधिकारी	–	–	शिकायतों के विषय में कानूनी राय एवं जानकारी उपलब्ध करवाना एवं कानूनी कार्यवाही। आयोग द्वारा कोर्ट लगाने पर विधि अधिकारी के रूप में कार्यवाही करना। परामर्शदाता द्वारा कराए गये समझौतें की कानूनी बरीकियों को स्पष्ट करना।
3	परामर्शदाता	–	–	शिकायतों की कॉन्सिलिंग एवं परामर्श।
4	सहायक लेखाकार	–	–	लेखा सम्बन्धी कार्य।
5	कनिष्ठ सहायक	–	–	आयोग संबंधी पत्राचार।
6	आशुलिपिक	–	–	आशुलिपिक,
7	डाटा आपरेटर	–	–	कार्यालय का कार्य एंव टंकण कार्य
8	अनुसेवक, चौकीदार	–	–	आयोग से सम्बन्धित कार्य एवं सेवा।

भाग–(ब)

क्र.	अधिकारी का नाम	वित्तीय शक्ति	प्रशासनिक शक्ति	अन्य
1	2	3	4	5
1	अध्यक्ष	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 के प्रस्तर–7 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–13 के अनुसार विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार।	आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं शिकायतों की सुनवाई।	आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य की अनुज्ञा गोष्ठियां, बैठकें, जनसुनवाई जनता दरबारों का आयोजन।
2	उपाध्यक्ष	–	..	उपाध्यक्ष मण्डल एवं जनपद स्तर पर गोष्ठी, सेमिनार आदि कार्य में आयोग के निर्देशों पर कार्य करना, मण्डल एवं जिला स्तरों पर महिलाओं के उत्पीड़न तथा आयोग के निर्देश पर कार्य।
3	सदस्य	..	..	जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में आयोग के निर्देशों पर कार्य, जनपद स्तर पर महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों की जांच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्देशों का अनुश्रवण।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा 41 ख के अन्तर्गत

भाग –1

मैनुअल संख्या–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें
पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड
राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।
फोन नं0135–2775817

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

आयोग स्तर पर पीड़ित महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत एवं प्रेषण के बाद प्रार्थना पत्र किस प्रकार के उत्पीड़न से सम्बन्धित हैं, प्रकृति के देखते हुए कार्यवाही की जाती है। वादी प्रतिवादी को समन जारी करना, समनों पर उपस्थित होने पर पूर्ण प्रकरण की सुनवाई करना, प्रथम प्रयास होता है कि उत्पीड़िता एवं प्रतिवादी के बीच सुलहनामा/समझौता करवा कर वाद विवाद का निस्तारण हो सके। शिकायती प्रार्थना पत्र किसी संस्था विभाग से सम्बन्धित हैं तो विभाग द्वारा जांच करवाया जाना। यदि पुलिस एवं रेवन्यू पुलिस का सहयोग प्राप्त न हो, तो यथावश्यक संस्तुति करना। अब तक आयोग की नियमावली नहीं बनाई गई हैं जिस कारण कार्य सुस्पष्ट नहीं है। अन्य राज्य की तर्ज पर उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग के कार्यकलाप क्रियान्वित किये जाते हैं।

महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों का उनकी प्रकृति के आधार पर निस्तारण। समन द्वारा बुलाने पर सुनवाई और आवेदक के प्रार्थना पत्र पर निर्णय से अवगत करवाना एवं शासन स्तर से आवश्यक निदेर्श प्राप्त करना एवं यथावश्यक संस्तुति करना। महिलाओं के विकास संबंधी क्रिया कलाप एवं राज्य महिला आयोग से संबंधित महिलाओं के उत्पीड़न एवं जागृति, सामाजिक आर्थिक कार्य आदि।

1. आयोग स्तर ढांचा

i अध्यक्ष
ii उपाध्यक्ष
iii सदस्य
iv सदस्य–सचिव

मण्डल एवं जनपद स्तर पर महिलाओं से सम्बन्धित उत्पीड़न शिकायतों का उनकी प्रकृति के आधार पर आयोग की अनुमति से समन द्वारा पक्ष एवं विपक्ष को बुलाने के बाद सुनवाई के बाद निर्णय देना है।

2. जिला स्तरीय ढांचा

i उपाध्यक्ष कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल
ii जिला स्तरीय–18 सदस्य

,,,,,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
की धारा 41 ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या –4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

उत्तराखण्ड़
राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।
फोन नं0135–2775817

कृत्यों के निर्वहनों के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

प्रदेश के अन्तर्गत निवास करनें वाली महिला के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी के द्वारा किये जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव द्वारा उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत प्रस्तुत होने पर उनकी प्रकृति के आधार पर यथोचित कार्यवाही करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।

वर्ष वार प्राप्त शिकायतें एवं निस्तारण विवरण निम्नप्रकार हैं :–

क्रमॉक	वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निस्तारण	शेष
1	2003–04	40	26	14
2	2004–05	128	82	46
3	2005–06	457	186	271
4	2006–07	566	396	170
5	2007–08	747	520	227
6	2008–09	913	629	284
7	2009–10	737	490	247
8	2010–11	1155	930	255
9	2011–12	1131	746	385
10	2012–13	1068	663	405
11	2013–14	1132	764	368
12	2014–15	1252	915	337

आयोग की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष आयोग के कार्य कलापों की वार्षिक पुस्तिका मुद्रित कर प्रकाशित की गई हैं। वर्ष 2003–04 से 2012–13 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जा चुकी है तथा 2013–14 की वार्षिक रिपार्ट प्रकाशित की जा चुकी है। राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं की जागृति एवं कानूनों की सुगम जानकारी के लिए महिलाओं के कानूनी अधिकार से सम्बन्धित एक पुस्तक प्रसारित की गई है जिससे अनभिज्ञ महिलाओं को जीवन से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी हो सके।

कार्यवाही /मानक – उत्पीड़न की शिकायत पर प्राप्त होने के बाद शिकायत की प्रकृति को देखतें हुए यथोचित कार्यवाही जैसे जॉच, समन, संस्तुति इत्यादि की जाती है।

राज्य महिला आयोग की उपलब्धियां :–

राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही किये जाने के कारण तथा आयोग द्वारा महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के फलस्वरूप अब प्रदेश की महिलाऐं अपने उत्पीड़न के मामले दर्ज कराने में आगें आने लगी हैं। चाहे रूद्रप्रयाग की महिलाएं हों या पिथौरागढ़ जनपद की महिलाएं, अपनी सुरक्षा के लिए आयोग में गुहार लगा रहीं । इससे महिलाओं का न्याय के प्रति विश्वास भी बढ़ा हैं। वर्ष्र 2007–08 में सदस्यों की नियुक्ति न होने पर मुख्यालय स्तर से ही पुलिस एवं न्याय प्रशासन के सहायोग से समस्याओं का निराकरण किया गया है।

- महिलाओं के नाम से खरीदी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की अचल सम्पत्ति की रजिस्टी पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट।

- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना।
- निर्धन परिवार की कक्षा 8 पास करने वाली प्रत्येक बालिका को 3000/रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन्स हॉस्टल की स्थापना।
- पुलिस बल में 1000 महिला सिपाहियों की भर्ती करने ताकि प्रत्येक थाने में एक महिला डेस्क की स्थापना की जा सकें।
- राज्यों की दस महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के लिए सम्मानित किया जाना।
- आयोग में दर्ज शिकायतों में बढ़ोत्तरी।
- प्रदशे के दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरियों के लिए शैक्षिक अर्हता अर्जित करनें में देरी हो जाती है, इसलिए नौकरियों में भर्ती की अधिकतम सीमा में उन्हें 05 वर्ष की छूट दिये जाने हेतु मांग।
- प्रदेश में विशेष रूप से पहाड़ी जिलों में कृषि का सारा काम महिलाऐं करती हैं, इसलिए महिलाओं को कृषक का दर्जा दिये जाने हेतु मांग।
- महिलाओं के साथ होने वाली दुर्धटना/धरेलू हिंसा आदि जिसमें आपातकालीन त्वारित चिकित्सा/पुलिस सहायता हेतु जी0वी0के0ई0एम0आर0 आई–108 आपातकालीन सहायता की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है।

.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा 41 ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या –5

अपने द्वारा अपने नियंत्राणाधीन धारित अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के लिये योग किये गये नियम विनियम आदेश निर्देशिक और अभिलेख

उत्तराखण्ड
राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।
फोन नं0135–2775817

अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका और अभिलेख

शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित शासनादेशों की प्रतियॉ प्रस्तुत की जा रही हैं।

आयोग के कार्य संचालन के लिये निम्न प्रारूप उपयोग में लाये जायेगें प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् हैं व संलग्न भी किये गये हैं –

पत्र–1	उत्तरांचल राज्य महिला आयोग में दर्ज शिकायत का विवरण एवं निस्तारण पंजिका।
पत्र–2	शिकायती पत्रावली के लिए दैनिक कार्यवाही का प्रारूप।
पत्र–3	समन वादी।
पत्र–4	समन प्रतिवादी।
पत्र–5	समन विभाग।
पत्र–7	शिकायत पत्रों के जांच हेतु समन की तिथि की सूचना।
पत्र–8	पत्रावली निस्तारण पत्र।
पत्र–9	समझौते का प्रारूप प्रदेश स्तर के लिए।
पत्र–10	आयोग के अन्तराल में पत्रावलियों का आवागमन विवरण।

उत्तराखण्ड़ शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या /विअनु0–3/2004
देहरादून : दिनांक 07, फरवरी, 2004

कार्यालय ज्ञापन

महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास के शासनादेश संख्या 705/उ0शा0/उ0रा0 म0आ0–37/बा0वि/03, दिनांक 22 जनवरी 2004 द्वारा स्थापित उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग के सचिव को एतद्द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या–4167 आवंटित किया जाता है, जिसका संचालन देहरादून कोषागार पर किया जायेगा।

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय–विवरण का नियमित प्रेषण तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिचित किया जायेगा।

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त आंवटित डी0डी0ओ0 कोड अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखा–शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण 103–महिला कल्याण 10–राज्य महिला आयोग की स्थापना में मानक मदों के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के आहरण के लिए किया जायेगा।

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव

संख्या 1171/वि0अनु0–3/2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेति :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड़, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– सचिव, उत्तराखण्ड़ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड़, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 को इन्टरनेट पर डालने हेतु।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग
संख्या 842/26/1/XXI/2012
दिनांक 09 नवम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगो/समितियों/अभिकरणों/एजेन्सियों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर शासन द्वारा नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को निम्नलिखित वेतन/भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य होंगी :–

1– पदीय कर्तव्यो के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावो को प्रतिमाह रू0 5,000/ (पॉच हजार मात्र) मानदेय देय होगा।

2– पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त मानुभावो को डाइवर सहित एक स्टाफ कार अनुमन्य होगी। शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा मे किराये का वाहन (टैक्सी)उपलब्ध कराया जाय। उक्त वाहन का मासिक किराया अधिकतम रू0 25000/– होगा। उक्त मासिक किराये मे वाहन के साथ वाहन चालक एंव गाडी का अनुरक्षण व्यय सम्मिलित होगा। पदीय कर्तव्यो के निर्वहन मे मुख्यालय की यात्रसओ हेतु 150 लीटर ईधन प्रतिमाह की सीमा होगीं तथा पदीय कर्तव्यो के निर्वहन हेतु मुख्यालय के बाहर की यात्राओ हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त वास्तविक खर्च के आधार पर ईधन की अनुमन्यता होगी। ईधन की व्यवस्था संबन्धित विभाग द्वारा की जायेगी ।

3– कैम्प आफिस कम रेजिडेन्स हेतु रू0 10,000/– प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

4– पदीय कर्तव्यो के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावो को एक वैयक्तिक सहायक एंव एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक समवर्ती रूप मे (को टर्मिनस) अनुमन्य होगे। शासकीय सेवको की अनुपलब्धता की स्थिति मे रू0 7000/– प्रतिमाह नियत मानदेय पर एक वैयकितक सहायक तथा रू0 5000/– प्रतिमाह नियत मानदेय पर एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्मिको को चैक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5– पदीय कर्तव्यो के निर्वहन हेतु की गयी यात्राओ के संबंध मे यह माना जायेगा जहॉ संबंधित विभाग/परिषद का मुख्य कार्यालय हो। पदीय कर्तव्यो के निर्वहन हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त मुख्यालय से बाहर की यात्राओ हेतु रू0 250/– प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा।

6– पदीय कर्तव्यो के निर्वहन मे रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में अनुमन्य होगी।

7– मानदेय,वाहन,स्टाफ, टेलीफोन,यात्रा भत्ता इत्यादि का व्यय भार उस विभाग या निगम/आयोग/परिषद आदि द्वारा वहन किया जायेगा, जिसमें उन्हे उध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सलाहकार या किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया है।

8– उक्त महानुभावो को पदीय कर्तव्यो के पालन मे की गई यात्राओं के दौरान

किसी किराये या विधुत प्रभार का ाुगतान किये बिना सर्किट हाउस व अन्य सरकारी निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा होगी। सीानीय सद्भाव संबंधित निकाय के सीानीय अधिकारियो द्वारा किया जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 110/ NP/XXVII(5)/2012 दिनाक 01 नवत्बर, 2012में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

कार्यालय एवं आवास पर एक–एक टेलीफोन।

(सुरेन्द्र सिह रावत)
सचिव

संख्या 842 (1)/26/1/XXI/2012 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग
संख्या 167/ग्प/2010
देहरादूनः दिनांक 03 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती सुशीला बलूनी को उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग मे अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पद पर कार्यरत रहने के अवधि तक श्रीमती बलूनी को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरा,खण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 26/1/ग्प/2009 दिनॉक 23 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 167(1)/ग्प/2010 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेाति :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3– निजी सचिव, समस्त मा0 सभा सचिव, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कट करें।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित प्रमुख सचिव।
8– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 263/XVII(4)/2014/317/2003
देहरादून :दिनॉक 28 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती प्रभावती गौड निकट रामलीला ग्राउण उत्तरकाशी एंव श्रीमती अमिता लोहनी निकट लीसा डिपो रामनगर नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग मे उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पद पर कार्यरत रहने के अवधि तक श्रीमती प्रभावती गौडएंव श्रीमती अमिता लोहनी को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरा,खण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 842/26/1/XXI/2012 दिनॉक 09 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या 263/(XVII (4/ 2014/317/2003 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेाति :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3– निजी सचिव, समस्त मा0 सभा सचिव, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कट करें।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित प्रमुख सचिव।
8– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग
संख्या 189/ग्प/2010
देहरादूनः दिनांक 08 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती कमलेश सिंघल को उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग मे उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पद पर कार्यरत रहने के अवधि तक श्रीमती बलूनी को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 26/1/ग्प/2009 दिनॉक 23 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 189(1)/ग्प/2010 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3– निजी सचिव, समस्त मा0 सभा सचिव, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– सम्बन्धित महानुभाव द्वारा सम्बन्धित प्रमुख सचिव।
8– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन मंत्रीपरिद अनुभाग
संख्या 26/1/ग्प/2009
देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/ समितियों/अभिकरणों/एजेन्सियों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग संख्या 26/1/ग्प/2009 दिनांक 23.10.2009 को निम्न सीमा तक संशोधित समझा जाय :–

(1) उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 23.10.2009 द्वारा परीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित की गयी 150 लीटर ईंधन प्रतिमाह की सीमा मुख्यालय की यात्राओं हेतु लागू होगी। मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु वास्तविक खर्च के आधार पर ईंधन की अनुमन्यता होगी।

(2) उक्त महानुभावों को, जिन्हें उक्त कार्यालय–ज्ञाप द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश के अन्दर वायुयान द्वारा यात्रा करने की सुविधा अनुमन्य की गई है, को उक्त सुविधा राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु अनुमन्य होगी।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

संख्यासंख्या 26/1/ग्प/2009 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड।
9– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 258 / XXVII(4) / 2014 / 317 / 2003
देहरादून :दिनॉक 28 जनवरी, 14

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 32 (ग) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित महानुभावों को सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– श्रीमती अनिता लिंगवाल ग्राम कोणासारा पो0 कोट सिताक्नस्यू पौउी गढपाल।
2– श्रीमती विमला खन्ना अपर बालार रूद्रप्रयाग।
3– श्रीमती पिंकी नेगी पूर्व प्रमुख / मार्फत संजय खंतवाल नियर सूखरो, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल।
4– प्रो0 बीना जोशी टिहरी गढवाल।
5– श्रीमती पुष्पा गौतम पत्नी श्री आनन्द प्रकाश गौतम ग्राम कुराह पो0 डुन्डा, उत्तरकाशी।
6– श्रीमती गजाला जबी 39 सती स्ट्रीट, रूड़की, हरिद्वार।
7– श्रीमती कृष्णा खत्री एडवोकेट चन्द्रनगर काली की ढाल पा0ओ0 वीरभद्र ऋषिकेश।
8– श्रीमती मीता उपाध्याय ग्राम / पारूट जाखन देवी नियर आरा मशीन, अल्मोड़ा।
9– श्रीमती सरोज देवी ग्राम बस्तिया पो0 टनकपुर, चम्पावत।
10– श्रीमती विशाखा खेतवाल, ग्राम–पो0 आरये, बागेश्वर।
11– श्रीमती तारा पांगती पी0सी0सी0 सदस्य मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
12– श्रीमती जया जोशी सितारगंज गोल्डन पब्लिक स्कूल सितारगंज, उधमसिंह नगर।
13– श्रीमती रैजा चौधरी हल्दापानी गोपेश्वर चमोली।

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या : 258 / XXVII(4) / 2014 / 317 / 2003तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेाति।

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– अध्यक्ष, राट्रीय महिला आयोग, 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
4– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून।
5– उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून।
6– निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– समस्त नामित मा0 सदस्यगण।

संख्याः 2876 / ग्टप्प(2) / 05–90 / 2005

पेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड़ शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य महिला आयोग,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2005।

विषयः उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग में एक विधि अधिकारी (ला आफिसर) एवं एक परामर्शदाता (काउन्सलर) की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 27–06–05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ हैं कि आयोग के नैत्यिक क्रिया कलापों के निस्तारण हेतु एक विधि अधिकारी (लॉ आफिसर) एवं एक परामर्शदाता (काउन्सलर) नियुक्त किये जाने की स्वीकृति एक वर्ष की संविदा पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैः–

1– अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष के मध्य।

2– उक्त पदों हेतु नियुक्ति रू 15000 / – के प्रतिमाह के नियत वेतनमान पर की जायेगी जिसमें किसी प्रकार की कोई वृद्वि नहीं की जायेगी तथा उक्त पद पूर्णतया अस्थायी एवं संविदा पर आधारित होगी तथा रखें गये कार्मिकों का किसी प्रकार का लियन राज्य कर्मचारी / रिक्त पदों के सापेक्ष मान्य नहीं होगा।

3– कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो समाचार पत्रों के द्वारा सार्वजनिक रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित करके नियमानुसार चयन कार्यवाही कर तथा नियुक्ति आदेश प्रमाण पत्रों सहित शासन को भेंजे जाये।

4– कार्मिकों की नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी। किसी कार्मिक की उसी पद पर पुनः नियुक्ति हेतु आयोग की सहमति पर निर्भर होगी परन्तु कोई विवाद होने पर सेवायें समाप्त करने का पूर्ण अधिकार आयोग में ही निहित होगा जो कि एक माह के नोटिस पर आधारित होगा।

5– जमानत के तौर पर एक माह के वेतन की धनराशि सीडीआर / एफडीआर के रूप में सचिव के पक्ष में देय होगी।

6– उक्त पद हेतु महिला अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे।

विधि अधिकारी एवं परार्मादाता की योग्यतायें निम्न प्रकार होगी :–

अर्हता	दायित्व
विधि अधिकारी :लॉ आफिसर 1–उत्तराखण्ड़ बार काउन्सिलंग का सदस्य एवं विधि स्नातक एवं विधि स्नातक में सात वर्ष का अनुभव। 2–बिना किसी सहायक के (टंकण) कम्प्यूटर . का प्रयोग। 3–किसी दण्ड़ न्यायालय एवं किसी पुलिस थाने में कोई शिकायत या मामला विचाराधीन न हो। 4–.राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग से सम्बन्धित नियमों/अधिनियमों की जानकारी। 5–.महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विधि का ज्ञान।	1–राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त महिला उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकरणों पर कानूनी कार्यवाही करना एवं तथ्यों के आधार पर विधिक परामर्श देना। 2–.माननीय सक्षम न्यायालय के दायर वादों पर प्रभावित याची को कानूनी जानकारी देना। 3–.आयोग द्वारा कोर्ट लगाने पर विधि अधिकारी के रूप में कार्यवाही करना। परामर्शदाता द्वारा कराए गये समझौतें की कानूनी बरीकियों को स्पष्ट करना। 4–.पारिवारिक महिला लोक अदालत का आयोजन। 5–आयोग द्वारा नियुक्त मण्डल स्तर पर उपाध्यक्षों एवं जिले स्तर पर सदस्यों को पीड़ित महिला की समस्याओं पर समय–समय पर विधिक सलाह देना एवं उनके विधिपूर्ण निराकरण के लिए सहायता प्रदान करना। 6–आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले अधिनियिमों/नियमों/उपनियमों के आलेख्य पर कानूनी सलाह एवं जानकारी उपलब्ध कराना। 7–यथावयकता शासन/आयोग द्वारा निर्धारित दायित्व। 8–.आयोग की ओर से अथवा आयोग के विरूद्ध दायर सभी प्रकार के वादों में आयोग की ओर से न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना।
परामर्शदाता :– 1–समाज कार्य/समाजशास्त्र स्नातकोत्तर उपाधि एवं महिलाओं सुधार इत्यादि पर कोई अध्ययन।	1–महिला उत्पीड़न के चल रहे प्रकरणों पर विधिक कार्यवाही पर सहयोग। 2–कानूनी कार्यवाही पर आयोग को सुझाव देना। 3–आयोग द्वारा समय–समय पर लगाये गये कोर्ट

2–बिना किसी सहायक टंकण कम्प्यूटर का प्रयोग। 3–समाज कल्याण/महिला कल्याण अथवा राट्रीय राज्य महिला आयोग के शासकीय कार्यों का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था के संचालन में सात वर्ष का अनुभव।	पर उपस्थित पीड़ितों को यथा सम्भव परामर्श। 4–आयोग तथा शासन के मध्य होने वाले प्रकरणों पर जागरूकता के साथ कार्यवाही। 5–पारिवारिक लोक अदालत में दोनों पक्षों की समस्याओं के परिपेक्ष्य में समझौते कराना। 6–मण्डल एवं जनपदों से प्राप्त उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को तत्परता के आधार पर परामर्श एवं जानकारियां उपलब्ध कराना। 7–आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले अधिनियमों/नियमों/उपनियमों के आलेखय पर परामर्श एवं जानकारी उपलब्ध कराना। 8–यथावयकता शासन/आयोग द्वारा निर्धारित दायित्व।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल आवयक कार्यवाही करते हुए स्थिति से शासन को अवगत कराने का कट करें।

भवदीया

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या : 626 / XVII(4) / 2013 / 76 / 04

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला साश0 एवं बा0वि0 विभाग, देहरादूनः दिनॉक 12 मार्च, 2013

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, में पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य–सचिव उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के पत्र संख्या 3456 / रा.म.आ. / 2012–13 दिनॉक 02.102.2013 के क्रम मे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 74 / XVII(4) / 2012 / 64 / 2009 दिनॉक 28.04.2012 एंव शासनादेश संख्या 1794 / XVII(4) / 2011 / 76 / 04 दिनॉक 01.08 द्वारा.2012 के द्वारा राज्य महिला आयोग में कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्न विवरणानुसार कुल 11 पदों की निरन्तरता दिनॉक 01 मार्च, 2013 से 28 फरवरी, 2014 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते यह पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाए :–

क्र.सं.	. पद	संख्या	वेतनमान रू0
1	सदस्य–सचिव	01 पद	8000–13500 (प्रतिनियुक्ति पर)
2	विधि अधिकारी	01 पद	15000 प्रतिमाह (पूर्व से स्वीकृत संविदा के आधार पर)
3	परामर्शदाता	01 पद	15000 प्रतिमाह (पूर्व से स्वीकृत संविदा के आधार पर)
4	सहायक लेखाकार	01 पद	45000–7000 (अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर)
5	कनिठ सहायक	01 पद	6000 (संविदा के आधार पर)
6	आशुलिपिक कम डाटा आपरेटर	01 पद	6000 (संविदा के आधार पर)
7	वनिष्ठ लिपिक	01 पद	5200–20200 ग्रेड पे 1900 / –सीधी भर्तीद्वारा
8	आशुलिपिक	01 पद	आउट सोर्सिंग से
9	कम्प्यूटर आपरेटर	01 पद	आउट सोर्सिंग से
10	अनुसेवक	02 पद	4000 (संविदा के आधार पर)
	योग	11 पद	

2– संविदा आधारित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी को Break of one day every 89 days अनिवार्य होगा।

3– उक्त सेवाओं हेतु कोई भी दावा किसी माननीय न्यायालय मे अधीन नहीं किया जायेगा।

4– उक्त पदों में अन्य सेवा शर्तें एवं नियम पूर्व में निर्गत तद्सम्बन्धी शासनादेशों के आधार पर लागू समझी जायेगी।

5– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–14 के विभाग के आय–व्ययक के संगत लेखाशीर्षक/मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(सी0एस0 नपलच्याल,)
अपर सचिव

संख्या : 601/XVII(1)/2010 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून।
4– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सी0एस0 नपलच्याल,)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग
संख्या 166/XXVII(7)/2008
देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 के प्रस्तर–7 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–13 के परिशिष्टों में क्रमशः वित्तीय अधिकारों तथा लेखा नियमों के प्रयोजनार्थ उन प्राधिकारियों की सूची दी गयी है, जिन्हें शासन द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त कतिपय नये विभागाध्यक्ष भी घोषित किये गये हैं। अतः विभागाध्यक्षों की उक्त सूची को अध्यावधिक करते हुए संलग्न संशोधित सूची निर्गत की जा रही है।
संलग्नक–यथोपरि।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 166(1)/ग्टप्(7)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुय प्रेषित :–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
10– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 500 प्रतियॉ प्रकाशनार्थ।
11– निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड राज्य एकक।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव

विभागाध्यक्षों की सूची

क्रमॉक	विभाग का नाम व पता
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3	समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन/सचिव, सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड।
4	महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7	आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून/महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
8	अपर निदेशक, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9	रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
11	निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12	आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
14	निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15	निदेशक, कला एवं संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16	निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
18	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19	मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20	निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
21	खाद्य आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
22	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
23	निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर।
24	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
25	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
26	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी।
27	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
28	निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
29	निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
30	विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
31	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
32	निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
33	निवन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
34	अध्यक्ष, न्यायाधिकरण सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
35	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

36	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
37	निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
38	निदेशक, सतर्कता निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
39	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
40	महादेष्टा, होमगार्ड्स, एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
41	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
42	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
43	निदेशक, होम्योंपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
44	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
45	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
46	निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
47	सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
48	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
49	कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
50	अध्यक्ष, लोक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
51	अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून।
52	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
53	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
54	निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड, देहरादून।
55	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
56	निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
57	निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
58	निदेशक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
59	निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
60	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
61	सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं निदेशक, राज्य वित्त आयोग निदेशालय।
62	अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
63	सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
64	लोकायुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
65	अधिशासी अधिकारी/निदेशक सूचना, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।
66	निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
67	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
68	निदेशक, डेयरी विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
69	महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
70	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
71	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, देहरादून।
72	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
73	निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी कल्याण संगठन, उत्तराखण्ड।
74	नियंत्रक, बॉट एवं माप, उत्तराखण्ड।
75	राहत आयुक्त, उत्तराखण्ड।

76	निदेशक, राष्ट्रीय केडिट कोर।
77	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
78	राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर्स।
79	निदेशक जलागम प्रबन्धक परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
80	अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासकीय प्राधिकरण एवं अध्यक्ष सतर्कता आयोग उत्तराखण्ड,।
81	निदेशक, राज्य शिक्षा परिषद, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,।
82	स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
83	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,।
84	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड,।
85	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
86	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
87	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल,
88	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 सिंचाई/लोक निर्माण विभाग गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
89	निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, देहरादून।
90	निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, देहरादून।
91	निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक, अकादमी, नैनीताल।
92	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून।
93	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
94	महाप्रशासक, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
95	राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
96	प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर पौड़ी/एवं अन्य राजकीय मेडिकल कालेज।

संख्या : 1843 / XVII(2) / 2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनॉक 31.12.2007

विषय :– "उत्तरांचल राज्य महिला आयोग" के स्थान पर "उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग" का नाम परिवर्तन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संशोधित अधिनियम, 2005 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तरांचल" के सथान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाए, के सापेक्ष किये गये उक्त सीमा तक के संशोधित नियमावाली को कार्यवाही में लाना सुनिचित करें।
संलग्नक : यथोपरि

भवदीया,

राधा रतूड़ी
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण, बाल विकास
एवं सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या–1842 / XVII(2) / 2007
देंहरादून : दिनॉक 31 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

चूंकि, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन अथवा संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो।

अतः अब, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 52 वर्ष 2006) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 को उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना –

2. उत्तरांचल राज्य महिला आयोग अधिनियमव, 2005 में जहॉ–जहॉ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहॉ–वहॉ वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 1842 / ग्टप्प्(2) / 2007 / तद्दिनॉकित
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उाराखण्ड ाासन।
4– मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 25 प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0भुपिन्दर कौर औलख
अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 1842/XVII(2)/2007 dated31 December, 2007

Government of Uttarakhand
Women Empowerment & Child Development
No. 1842/XVII(2)/2007
Dehradun: Dated: 31 December, 2007

Notification

WHEREAS, under section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006, the Uttarakhand Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment, as necessary or expedient;

NOW, THEREFORE; in exercise of the powers conferred by section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2005 (Act No.52 of 2006), the Governor is pleased to direct that the Uttarachal State Commission For Women Act, 2005 shall have applicability to the State of Uttarakhand, subject to the provision of the following order:

The Uttarakhand (The Uttaranchal State Commission For Women Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007

Short title and Commencement-

1. (1) This order may be called the Uttarakhand (The Uttaranchal State Commission For Women Act, 2005) Adaptation and Modification ORDER 2006
   (2) It shall come into force at once.

"Uttarakhand" to be read instead of "Uttaranchal"

2. In the Uttarachal State Commission For Women Act, 2005, wherever the expression **"Uttaranchal"** occurs, it shall br read as **"Uttarakhand"**.

Order By
(Radha Raturi)
Secretary

उत्तराखण्ड़ शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड़ विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड़ अधिनियम संख्या 28, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2005)

राज्य महिला आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय –1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड़ राज्य पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अभिप्रेत हैं;
(ख) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है; और उसके अन्तर्गत सदस्य–सचिव भी है;
(ग) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो'' से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो उत्तराखण्ड़ राज्य लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम, 2002 में

परिभाषित है;

(घ) ''महिला'' के अन्तर्गत बालिका या किशोरी भी है।

अध्याय –2
राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि किसी विद्या में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो उपाध्यक्ष प्रत्येक मण्डल से एक–एक जिन्हें महिलाओं के उत्थान और कल्याण के कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विद्या में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। नाम–निर्दिष्ट उपाध्यक्ष पदों के लिए दो अन्य महिलाओं में से एक महिला सामान्य वर्ग तथा एक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग) की होगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट 18 सदस्य प्रत्येक जनपद में से कम से कम एक जिन्होनें महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो:

परन्तु उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य–सचिव जो राज्य सरकार के विशेष

सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और जो राज्य की किसी सिविल सेवा, या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो, या राज्य के अधीन कोई सिविल पद, समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आयु पद धारण करते समय कम से कम 35 वर्ष और सदस्य की आयु पद धारण करते समय कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य (सदस्य–सचिव को छोड़कर) राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेंगी।

(4) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाती है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरायी और कारावास से दण्डित की जाती है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृत चित्त की हो जाती हैं और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषित कर दी जाती है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करती हैं या कार्य करने में अक्षम हो जाती है;

(ड.) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से

अनुपस्थित रहती है; या

(च) राज्य सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकारक हो गया है या ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है

:परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड

के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम–निर्देशन द्वारा भरा जायेगा तथा इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसकी रिक्ति पर ऐसे व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट किया गया है।

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी

5 (1) राज्य सरकार, आयोग के लिए एक विधि विशेषज्ञ तथा दो परामर्शदात्रियां सहित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवयक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भो और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते व होंगी, जो विहित की जाएं।

वेतन और भत्तों का अनुदान में से किया जाना

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिसमे धारा 5 में निर्दिट सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिट अनुदानों से किया जाएगा।

रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग की बैठक

8. (1) आयोग जब भी आवयक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा।

(2) आयोग अपनी एवं अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग की सभी कार्यवाही अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से हीं अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(4) आयोग द्वारा समय–समय पर आवयकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियॉ गठित की जा सकेंगी।

इन समितियों के सदस्य के रूप में आयोग को ऐसे व्यक्तियों को जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे, सहयोजित करनें की शक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(5) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किये जाएं।

अध्याय–3
आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारें में वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट देना;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारनें के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद

(ड.) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना स्वप्रेरणा से ध्यान देना :–

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन,

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों के अक्रियान्वयन,

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशें का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने कें लिए महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की

अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधारगृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहॉ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है,

निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवयक हो, उपचारी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से, जिसमें बाल विवाह, दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेडछाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार भी सम्मिलित हैं और प्रसव करने या नसबंदी या प्रसव या शिशु जन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना;

(ढ) महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटनें के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरूद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके;

(ण) अपने कृत्यों के पालन में धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना;

(त) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन भी रखवाएगी।

(3) किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायलय को प्राप्त सभी शक्तियॉ आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) राज्य के किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय–4

वित्त, लेखें और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपभोग किये जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि जैसी वह ठीक समझे,

व्यय कर सकता हैं और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय माना जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

11. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड़ द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

13. राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पचात् यथाशीघ्र उनमें दी गयी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य– सचिव, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना

14. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव–सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड़ संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

राज्य सरकार आयोग से नीतिगत परामर्श करेगी

15. राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण

16. (1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा।

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप मं अभिलिखित कारणों से रद्द कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

17. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनानें की शक्ति

18. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात्:–

(क) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य–सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते;

(ख) धारा 9 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषयः

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा–12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(ड.) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की

अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पचात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। यदि विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो तो तत्पचात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, किन्तु ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों को दूर की शक्ति

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकती है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

20. (1) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुऐ भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन समझी जायेगी।

आज्ञा से

यू0सी0 ध्यानी,
सचिव।

No. 616/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, November 11, 2005

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the Uttrakhand State Commission for Women Act, 2005 (Uttrakhand Adhiniyam Sankhya 28 of 2005).

As passed by the Uttrakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on November 9, 2005.

THE UTTRAKHAND STATE COMMISSION FOR WOMEN ACT, 2005
(ACT No. 28 OF 2005)

To Constitute Uttrakhand State Commission for Women to provide for the matter connected therewith or incidental thereto.

AN
ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty sixth year of the Republic of India, as follows :-

Chapter-1
Preliminary

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttrakhand State Commission for Women Act, 2005.

(2) It extends to the whole State of the Uttrakhand.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by the notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Act, unles the context otherwise requires

(a) ñCommissionò means the Uttrakhand State Commission for Women constituted under section 3;

(b) ñMemberò means a Member of the Commission and include the Member-Secretary;

(c) Other Backward Classes of Citizensò means such classes of citizens as defined in the Uttrakhand State Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 2002;

(d) ñWomenòincludes a girl or a juvenile.

Chapter-2
The State Commission for Women

Constitution of the Commission for Women

3- (1) The State Government shall constitute a State body to be Known as the Uttrakhand State Commission for women to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(2) The Commission shall consist of ï

(a) a Chairperson committed to the cause for women, to be nominated by the State Government having a degree of any in any discipline University established by law in India, or any equivalent recognized qualifications;

(b) two Vice-Chairpersons one each from every Division to be nominated by the State Government who have sufficient experience in the field of upliftment of women and their welfare activities, and possessing a degree in any discipline of any University established by law in India or any equivalent recognized qualifications;

(c) eighteens members, at least one from each district, who have worked for upliftment and welfare of women and possessing a degree in any discipline any University established by law in India, or equivalent recognized qualifications :

Provided that at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and minorities respectively;

(d) a member-secretary to be nominated by the State Government, who is an lady officer not below the rank of Special Secretary and who is a member of a Civil Services of the State or of an All India Services or holds a

Civil Post under the State with sufficient experience.

Term of office and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairpersons and Members

4. (1) The Chairperson, Vice-Chairpersons and every Members shall hold office for a period of three years from the date in enter upon her office.

(2) The Chairperson and Vice-Chairpersons should be of at least 35 years of age and the Member should be of at least 25 years of age at the time of holding her office.

(3) The Chairperson of the Vice-Chairpersons or a Member (other than Member Secretary) may, by writing and addressed to the State Government, resigns from the office of Chairpersons or the Vice Chairpersons or as the case may be the Member of question.

(4) The State Government shall remove a person from th office of Chairperson or Vice-Chairpersons or a Member, If that person

(a) becomes undischarged insolvent;

(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and extends so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave for absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(e) In the opinion of the State Government has so abused the
(f) position of Chairperson or Vice-Chairpersons or Member as to render that persons continuance in office detrimental to the public Interests or the continance of such persons as Chairperson,

Vice-Chairpersons or Member is otherwise improper or irrelevant:

Provided that no persons shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(5) A vacancy caused under sub-section or otherwise shall be filled by fresh nomination and the person so nominated shall hold office for remaining period of the post of that person against whose vacancy such person has been nominated.

(6) The Salary and allowances payable to, and other terms and conditions of services of the Chairperson, the Vice-Chairpersons and other Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other Employees of the Commission

5. (1) The State Government shall provide the Commission with a law expert and two advisers, such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of the Member-Secretary, the officers and the employees appointed for the purpose of the Commission, shall be such as may be prescribed.

Salaries and Allowances to be paid out of the Grants
.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson, Vice-Chairpersons and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 10.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Meetings of the Commission.

8. (1) The Commission shall meet at such time and places, as and when necessary, as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure and the procedure of the

committees thereof.

(3) All proceedings of the Commission shall be authicanted by the joint signature of the
Chairperson and the Member-Secretary.

(4) The Commission may constitute committees from time to time for execution of special cases as per requirement. The Commission shall be empowered to associate such persons as members of these committees who are not the members of Commission, in such number has it may deem fit and the persons so associated will have the right to be present in the meetings of the committee and to take parts in its proceedings, but they will not have right to vote.

(5) The personôs so associated shall be entiled to receive such allowances for attending the meeting of the Committee, as may be prescribed.

Chapter – 3

Functions of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any other functions, namely ï

(a) Investigate and examine all matters relating to safeguards provided for women under the constitution and other laws ;

(b) present to the State Government annually and at such time as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(c) make in such report, recommendation for effective Implementation of those safeguards for improving the conditions of women;

(d) review, from time to time, existing provision of the constitution and other laws affecting women and recommend amendments there to so as to suggest remedial

legislative measures to meet any lacunae, inadequacies of shortcomings in such legislations;

(e) take up cases of violation of the provisions of the constitution and other laws relating to women with the appropriate authorities;

(f) look into subjects and take sumoto notice of the matters relating to-
(one) deprivation of womens rights.
(Two) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development,

(Three) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women, and to take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities;

(g) call for special studies or investigations into specific problems of situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constrains so as to recommend strategies for their removal;

(h) Undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spares and identity factors responsible for impending their advancement, such as, take of access to housing and basic services inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their producing;

(i) participate and advice on the planning process of socio-economic development of women;

(j) evaluate the progress of the

development of the women under the State;

(k) inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women institutions or other place of custody where women are kept as prisoner or otherwise and take up

with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;

(l) fund litigation involving issues affecting a large body of women;

(m) collect information relating to offences against women, including offences pertaining to child marriage, dowry, rape, abduction, eveteasing and immoral traffic of women and the cases of medical negligence inconfinment or westernization or child birth in entire State or in any particular area of the State;

(n) coordinate with State police cell or regional police cell for dealing with cases relating to atrocities against women and to mobilize public opinion in the entire State or any particular area of the State so as to assist for promptly informing offences of such atrocities and to investigate them and in creating atmosphere against the offender;

(o) seek assistant of any voluntary organization registered under section.

(p) any other matter which may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the report of the Commission to be laid before the State Assembly alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken and the reasons for the non-acceptance, if any of, any of such recommendations.

(3) The Commission shall, while investigating

any mattar referred to in clause (a) and sub-clause (i) of clause (1) of section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of following matters, namely-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person of the State and examining him own auth;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on auth;

(d) requistioning any public document or copy their of from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other mattar which may be prescribed.

Chapter-4

Finance, Accountant and Audit

Grants by State Government

10 (1) The State Government shall after due appropriation made by the State Assembly by law, in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure out of the grants referred to in sub-section (1)

Accounts and Audit

11 (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statement of account in such form as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Director, Local Funds Account, Uttaranchal.

Annual Report

12. The Commission shall prepare in such form and at such time, for each financial power, as may be prescribed, giving a full account of its

activities during previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report and Audit Report laid before the State Assembly

13. The State Government shall cause the annual to be report Audit together with a memorandum of action taken on the recommendation contained therein, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendationand the Audit Report to be laid as soon as may be after the reports are recieved , before the State Assembly.

Chapter-5

Miscellaneous

Chairperson, Vice-Chairperson, Members, Member-Secretary, Officers and Employees of Commission shall deemed to be public servants

14. Chairperson, Vice-Chairperson, Members, Member-Secretary, Officers and Employees of the Commission shall deemed to be public servants with in the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

State Government to consult Commission

15. The State Government shall consult the Commission on all major policy matter affecting women.

Registration of Vouluntary Organization

16. (1) Any voluntary organization engaged in welfare activities of women, desirous to assist .the commission in performance of its functions may apply for registration to the Commission in the prescribed manner.

(2) The Commission may, after satisfying itself regarding importance, role and utility of such organization in the society, registered such organization in such form and in such manner as may be prescribed.

(3) The Commission shall make available the list of the organizations register under this section to any court, authority or person if required so by such court, authority or person.

(4) The Commission may cancel the registration of any organization for the reasons to be recorded in writing after giving reasonable opportunity hearing to such organization.

(5) The decision of the Commission under

sub-section (4) shall be final.

Protection of action shall taken in good faith

17. No suit, prosecution or other legal proceeding lie against any person for any Act done or intended to be done intended in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the Rules made thereunder.

Power to make Rule

18. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In Particular and without prejudice to the generally of foregoing powers, such rules

(3)

may provide for all any of the following matters, namely :-

(a) Salary and allowances payable to, and the other terms and conditions, of the Chairperson, the Vice-Chairperson, and Members under sub-section (6) of section and of Member-Secretary, the officers and other employees under sub-section (2) of section;

(b) Any matter under clause (f) of section 5;

(c) The form, in which Annual Report is to be prepared under section 12;

(d) The fees to be prescribed for any purpose of the Act;

(e) Any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the State Assembly. If the State Assembly agree to make any amendment inthat rule, thn the rule shall thereafter be effective in such amended form, but such amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties

19. (1) If there arises any difficulty in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by such order, not in consistent with the provision of this Act, remove that difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid after being issued, before the

State Assembly.

Repeal and Saving 20. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997 is hereby repealed in the context of Uttrakhand.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said

(3) Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

By Order

U.C. DHYANI,
Secretary.

प्रपत्र–1

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग में दर्ज शिकायत का विवरण एवं निस्तारण

क्र0 सं0	शिकायत सं	पंजीकरण की तिथि	दलित/ सामान्य	शिकायत कर्ता का नाम व पता	जनपद	विपक्षी का नाम व पता	शिकायत की प्रकृति	प्राथमिक कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जॉच हेतु पत्र भेजने की तिथि	अपेक्षित आख्या	अपेक्षित आख्या प्राप्त होने की तिथि	किसे भेजा गया	निस्तारण की तिथि	आयोग द्वारा	जॉच रिर्पोट के आधार पर	न्यायालय में जाने का परामर्श या न्यायालय में कार्यवाही के कारण	अनु0/ वापस/बल न देने के कारण
10	11	12	13	14	15	16	17	18

सदस्य द्वारा	कमेटियो को भेजने का कारण			टिप्पणी
	धरेलू हिंसा	यौन उ0	पी0एन0डी0टी0	
19	20	21	22	23

प्रारूप–2

इन्डेक्स

पत्रावली संख्या

शिकायती पत्रावली के लिए दैनिक कार्यवाही का प्रारूप

क्रम संख्या	प्राप्त पत्रांक विवरण	इंद्राज	दिनांक	अन्य विवरण
1	2	2	4	5

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

बी0–201 सेक्टर–4, कटारी मार्ग
डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2666500

पत्रांक /रा0म0आ0/20 दिनॉक .....

समन/ Summon

Complaint No ..... Date .....

To,

.....
.....
.....
.....

आपने आयोग के समक्ष शिकायत की है। इसी संदर्भ में आपको आयोग के समक्ष दिनांक ..... को दिन में ..... बजे उपस्थित होना है।

You have a submitted complaint to the Honble Commission. You are hereby directed to appear before the Honble Commission on..... at ..... P.M.

सदस्य–सचिव/सदस्य
उत्तराखण्ड़ महिला आयोग

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

बी0–201 सेक्टर–4, कटारी मार्ग
डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2666500

पत्रांक /रा0म0आ0/2006 दिनॉक .....

समन/ Summon

के मामले में/शिकायकर्ता का नाम
In the matter of/Name of Complainant
या/ आयोग की स्वप्रेरणा के सन्दर्भ में शिकायत संख्या ....
.....
Suo-Motu action taken by the commission relating to complaint No .....

To,

.....
.....
.....
.....

अतएव आयोग के समक्ष शिकायत की गई हैं तथा उक्त शिकायत के विषय में उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आपको समन किया जाता हैं आयोग आपको अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करता है।

WHEREAS proceedings in the matter aforementioned have been initiated and the Commission has directed to issue summons to you in pursuance of its powers under the provision of the Uttrakhand State Commission for Women Act 2005.

अतः आयोग आपके विरूद्ध संस्थित शिकायत/आरोप के उत्तर देने के लिए आपकी स्वयं की उपस्थिति को आबद्ध करता हैं तथा आपको इस आयोग के समक्ष तारीख ..... को दिन में ..... बजे उपस्थित होना है।

NOW THEREFORE in the above matter, you here by required [personally] to appear before this commission on the ..... day of ..... at..... above address.

यदि आप उक्त आदेश को बिना विधि सम्मत प्रतिहेतु अवहेलना करते हैं या उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो आप स्वयं अवज्ञा हेतु सिविल प्रक्रिया द्वारा उपबंधित परिणामों के लिए आबद्ध होगें।

If you fail to comply with this order without lawful excus, you will be subject to the consequences of non-attend.

यह आज तारीख ..... को आयोग की मुदा लगाकर दिया गया।

Given under the seal of the Commission, this day..... day of..... 20

सदस्य–सचिव/सदस्य

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

प्रपत्र संख्या–5

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

बी0–201 सेक्टर–4, कटारी मार्ग
डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून
(उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 की धारा–9(3) के अन्तर्गत)

पत्रांक /रा0म0आ0/20 दिनांक .....

सेवा में, शिकायत सं0 .....

..

.....
.....
.....
.....

विषय .....

.....

उपरोक्त विषयक एक शिकायती पत्र जिसकी एक प्रति संलग्न की जा रही हैं, उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

2– उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) के अन्तर्गत माननीय आयोग ने जाच एवं अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। अतः अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आयोग द्वारा आपसे आशा की जाती हैं कि उक्त विषय पर अपनी विस्तृत नवीनतम आख्या, सम्बन्धित अभिलेखों सहित, आयोग को दिनांक..... तक उपलब्ध करावें। निर्धारित तिथि तक यदि आपकी आख्या प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट पाई जाती है, तो उस परिस्थिति में उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) में दिये गए अधिकारों के अधीन आपको माननीय आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य देने हेतु बुलाया जा सकता है।

आज सन् ..... ई0 के ..... मास के ..... दिवस को स्वहस्ताक्षरित और आयोग की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

संलग्नक :

आज्ञा से

सदस्य–सचिव

पृ.प.स. (1) रा0म0आ0/20 तद्दिनांक

1– प्रतिलिपि शिकायतकर्ता श्री/सुश्री/श्रीमती .....
..... .को सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि सदस्य, राज्य महिला आयोग उत्तराखण्ड ..... को सूचनार्थ प्रेति।

आज्ञा से

सदस्य सचिव

प्रपत्र संख्या–7

(नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सूचना पत्र)

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

शिकायत पत्रों की जाच हेतु समन की तिथि की सूचना

क्र.सं0	शिकायत संख्या	शिकायकर्ता का नाम	विपक्षी का नाम	शिकायतकर्ता / विपक्षी की सुनवाई की तिथि / दिवस	समय	विवरण
1	2	3	4	5	6	

प्रारूप–8

(पत्रावली निस्तारण पत्र)

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग देहरादून

पत्रांक /रा0म0आ0/शि0सं0 /दिनाक .....

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग में शिकायत संख्या ..... दिनांक ..... को दर्ज हुई शिकायत की श्रेणी व पक्ष–विपक्ष निम्नवत् है।

शिकायत श्रेणी :–

पक्ष :– .....
.....

विपक्ष :– .....
..

उक्त शिकायत की जाच पत्रांक संख्या..... दिनाक..... के द्वारा संबंधित अधिकारी ..... जनपद .....। .... विभाग ..... द्वारा की गई हैं। जाच रिपोर्ट दिनाक .... को ..... से प्राप्त है।

उक्त शिकायत की जाच पत्रांक संख्या..... दिनाक..... के द्वारा आयोग स्तर से की गई है। दिनाक ..... को..... ..... समझौता कराया गया हैं।

शिकायती पत्र एवं जाच आख्या की विवेचना उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग द्वारा की गई है। उक्त मामलें में किया गया समझौता।

उचित/..... है। शिकायती पत्रावली पत्र कुल पत्र सं0 ..... है। शिकायत पत्रावली निस्तारित की जाती है।

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
उत्तराखण्ड़

प्रपत्र–9

समझौते का प्रारूप
(प्रदेश स्तर के लिए)

पत्रांक /रा0मा0आ0/शिकायत संख्या / दिनांक .....

नाम ..... पुत्री/पुत्र श्री ..... निवासी .....
..... जिला .....

प्रथम पक्ष

बनाम

नाम ..... पुत्री/पुत्री श्री ..... निवासी .....
..... जिला .....

द्वितीय पक्ष

यह कि दोनों पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तो पर समझौता हो गया है :–

1– .....
2– .....
3– .....
4– .....
5– .....

यह कि यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी इस समझौते की शर्तो को तोड़ता हैं तो आयोग उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर :–

सदस्य–सचिव	सदस्य/अध्यक्ष
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग,	उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग,
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
गवाह	गवाह
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	1
2	2

प्रपत्र–10

दैनिक शिकायत सुनवाई पंजिका

दिन :– ..... दिनॉक .....

.....

क्र.	शि0 संख्या	शिकायत कर्ता का नाम	विपक्षी का नाम	कार्यवाही	दिनॉक

प्रपत्र–11

निस्तारित शिकायतों की पंजिका

क्र.	शि0 संख्या	पक्षकार का नाम	जनपद	निस्तारण की तिथि	संक्षिप्त आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
की धारा 4(1) ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

उत्तराखण्ड़ राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
,उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण

पंजिकायें पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण, एस0पी0एस0 रजिस्टर, भण्डार पजिकायें, उपस्थिति पंजिका, आदेश पंजिका, अवकाश पंजिका, कौशबुक कोषागार पंजिका बैक ड्राफ्ट पंजिका, 11–सी, कन्टीजेन्सी पंजिका, वेतन पंजिका, गार्ड फाइल, टेलीफोन पंजिका, वाहन लागबुक, कार्यालय उपकरण पत्रावली, वार्षिक रिपोर्ट आदि।

क्र. सं.	दस्तावेजों का नाम व परिचय	गोपनीय अथवा जनता के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	1– उपस्थिति पंजिका	जाच के लिये उपलब्ध	आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	स0लेखाकार / क0सहायक
	2–.कार्यालय आदेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
	3.– अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
	4– पत्रावलियों की पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	5– पंजिकाओं की पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	6–.विविध प्रकार की कार्यवाही से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
	7.–कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की प्रेषण पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	8–कार्यालय में प्राप्त पत्रों की प्राप्ति पंजी।(डायरी)	तदैव	तदैव	तदैव
	9–डाक टिकण पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	10–स्थानीय डाक वितरण पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	11–अधिठान व्यय हेतु बजट आवंटन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
	12–व्ययाधिक्त एवं वचत पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
	13–यात्रा भत्ता बिल पत्रावली।	तदैव	तदैव	तदैव
	14–आकस्मिक व्यय पंजी तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
	15–अग्रिम पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	16–कोषागार बिल पंजिका प्रपत्र 11–सी	तदैव	तदैव	तदैव
	17–कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की पंजिका प्रपत्र–1	तदैव	तदैव	तदैव
	18–वेतन बिल पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	19– रोकड़वही	तदैव	तदैव	तदैव
	20–चैक / डाट पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	21–स्थायी सामग्री की भण्डार पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	22–अस्थायी सामग्री की भण्डार पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	23–लेखन सामग्री की भण्डार पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	24–शिकायतें दर्ज करने की पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
	25–वाहन की लागबुक	तदैव	तदैव	तदैव
	26–बैठक पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	27–जागरूकता कार्यक्रम पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
	27–शिकायतो की निस्तारण पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 41 ख के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टिया जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

किसी व्यवस्था की विशिष्टिया जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

प्रस्तावित महिला नीति तैयार की गई है।

प्रस्तावित महिला नीति

परिचय

भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में नागरिकों को कानून की दृटि से समानता तथा रोजगार की सुविधाओं में एक समान अवसरों का प्राविधान करते हुए स्पट रूप से राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वे महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में सकारात्मक पहल कर सकें। सन् 2001 में प्रतिपादित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय महिला नीति में भी महिलाओं को समस्त क्षेत्रों में न्याय दिलानें, उनके साथ होनें वाले प्रत्येक भेद–भाव को दूर करनें तथा उनके सर्वागीण सशक्तिकरण के उद्देय प्रतिपादित किये गयें हैं।

उत्तराखण्ड़ राज्य के निर्माण में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है और इस प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन की वे केन्द्र बिन्दु है। राज्य सरकार उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दोहराती है। इसी प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखतें हुए राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य की महिला नीति भी महिलाओं के सर्वागीण विकास एवं उनके सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का एक प्रयास है। महिला नीति के माध्यम से महिलाओं के पक्ष में ऐसे समर्थ वातावरण के सृजन की आशा की जाती है जिसमें राज्य सरकार द्वारा समस्त स्तरों पर समानता एवं सामाजिक न्याय हेतु प्रेरक के रूप में कार्य किया जायेगा। सरकार की मान्यता हैं कि यह नीति विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं, न्यासों, कल्याणकारी निकायों, एवं जन समुदाय को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु व्यापक चर्चा एवं रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करेंगी।

2. नीति के उद्देय

समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने तथा उनके विरूद्ध अन्याय एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करनें के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तंत्रों को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सार्थक वातावरण तैयार करना इस नीति का उद्देश्य है; और–

- लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप से धरातल पर लाए जाने के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम लागू करनें तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाये जाने।
- घरेलू अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता प्रदान करते हुये विभिन्न संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सभी महिलाओं की समान पहुॅच एवं नियत्रंण हेतु वातावरण का सृजन।
- विपिन्नता एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करते हुए समाज के निर्बल वर्गो के विकास हेतु प्रयासों को लक्षित करना।
- बालिकाओं को न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना, निरक्षर एवं नव साक्षर

किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत्शिक्षा के अवसर प्रदान कराना तथा महिलाओं को शिक्षा के समस्त स्तरों पर विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराना।

- महिलाओं के विरूद्ध बहुधा होने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न पर संगत नियमों के अधीन रोक लगाना।
- महिलाओं से जुड़े मामलों पर मीडिया सहित समाज के समस्त वर्गो में संवेदनशीलता का प्रसार एवं पुरूषसत्तात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।
- निर्बलता के फलस्वरूप महिलाओं में व्याप्त कुपोषण, रूग्णता तथा मृत्यु दर (डवतजंसपजल तंजम) पर नियंत्रण करने हेतु उन्हें पोषण, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी समुचित सुविधायें प्रदान कराना।
- पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों एवं अन्य निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं से संबंधित अधिनियमों के अनुसरण में भागीदारी सुनिचित करना ताकि उनमें आत्मविश्वास एवं स्वंय निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके तथा वे स्थानीय नियोजन एवं क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान कर सकें, आदि उसके प्रमुख उद्देश्यों में निहित है।

3. उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपाय

महिलाओं के आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य की महिला नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख वरीयता–क्षेत्रों के अर्न्तगत अपनाये जाने वाले उपाय निम्नाकिंत हैं।

- सरकार सक्रियता से जमीन–जायदाद, अचल सम्पत्ति एवं अन्य संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में वृद्धि हेतु प्रयास करेगी।
- सरकार समस्त स्तरों पर महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कदम उठायेगी और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बनायेगी।
- राज्य में महिलाओं में रूग्णता तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सक्रिय प्रयास किये जायेगें। इसके लिए महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल, कुपोषण की समाप्ति करने के साथ शिशु कन्याओं की मृत्यु दर को कम करने पर विशेष जोर दिया जायेगा। राज्य में घटते हुए लिंग अनुपात पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना लागू की जायेगी।
- राज्य के सभी विभागों के कुल बजट का 30 प्रतिशत महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं पर व्यय किया जायेगा, ताकि समस्त क्षेत्रों में होने वाले विकास का समुचित लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल सकें। प्रदेश के सभी विभागों और क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण तथा विकास कार्यो की समीक्षा तथा उनके लिए आवंटित धनराशि के मूल्यांकन के लिए राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर समीक्षा समितियॉ (Review Committees)

गठित की जायेगी।

’ सरकारी संपत्ति के सभी पट्टे (Allotment Lease) आदि भविष्य में पति–पत्नी के नाम संयुक्त रूप से होगें और यदि लाभार्थी अविवाहित पुरूष है तो ऐसी व्यवस्था

की जायेगी कि उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी इस व्यवस्था में सहभागी बने। सरकार ऐसे संगठनों/संस्थाओं के प्रति सख्त कार्यवाही करेगी जो सरकार से सहायता अथवा रियायतें प्राप्त करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से महिलाओं के प्रति भेद–भाव करते हैं।

’ सरकार जनजागरण के ऐसे कार्यक्रम चलायेगी जिससे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समाजिक बुराईयों के विरूद्ध चेतना जागृत की जा सकें।

’ सरकार का यह प्रयत्न होगा कि मीडिया द्वारा महिलाओं से संबंधी समाचारों को सनसनीखेज ढ़ंग से प्रकाशन एवं चित्रण न किया जाये जिससे समाज में बढ़ रही अश्लीलता व हिंसा पर अंकुश लग सकें। केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर मीडिया एवं फिल्मों के संबंध में ऐसी नीतिया निर्धारित करने का अनुरोध भी किया जायेगा जिससे समाज में महिलाओं के संबंध में एक सकारात्मक संदेश जाये।

’ प्रौद्योगिकी के ज्ञान एवं कौशल को महिलाओं तक पहुॅचाने हेतु सरकार विशेष प्रयास करेगी।

’ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लधु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण तथा समुचित विपणन प्रणाली उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करेगी। इस दिशा में स्वंय सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा ऐसे संगठनों को सहायता प्रदान की जायेगी, जो महिलाओं के स्वरोजगार एवं प्रक्षिशण संबंधी कार्य कर रहें हैं।

’ पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकार के अधिकारों एवं कर्मचारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

’ महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाली महिलाओं एवं किशोरियों को पुरस्कृत करने की योजना संचालित की जायेगी।

’ विश्वविद्यालयों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में शोध एवं विकास कार्यो को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

’ राज्य स्तरीय महिला विकास संसाधन केन्द्र/डाटा बैंक की स्थापना की जायेगी।

’ दूरभाष द्वारा महिलाओं को विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निश्:ुल्क महिला हैल्पलाईन/कॉल सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

4. प्राथमिकता के क्षेत्र

राज्य की महिला नीति में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नाकिंत हैं:–

(क) सारक्षरता एवं शिक्षा

राज्य में पुरूष की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूषों में साक्षरता दर 84.14 प्रतिशत है। जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 60.26 प्रतिशत है। यद्यपि गत वर्षो में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु प्रयास हुए हैं। लेकिन

फिर भी पुरूषों की साक्षरता दर के स्तर तक पहुॅचने के लिए अभी भी पर्याप्त सुधार किया जाना अपेक्षित है और सरकार इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं की शिक्षा में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया जाये ताकि उनका पूर्ण रूप से शैक्षिक विकास हो सके और समाज में वे उस स्थान को प्राप्त कर सकें जिसकी वे अधिकारी है। उक्त प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्न होगी; अर्थात्:

- यदि सबके लिए प्राथमिक शिक्षा को यथार्थ रूप में साकार करना है तो विद्यालयों में बालिकाओं की प्रवेश संख्या की दर शतप्रतिशत करनी होगी तथा उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संक्रमण काल में विभिन्न शैक्षिक पद्धतियों को अपनाना होगा। जैसे औपचारिक, अनौपचारिक एवं संक्षिप्त कार्यक्रम आदि प्रारम्भ करने होगें।
- विद्यालयों की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन कठिनाईयों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनके कारण बालिकायें स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ रहती है। घरेलू कार्यो के बोझ से थकने के पश्चात बालिकाओं के लिए विद्यालयों में विशिष्ट वातावरण सृजन करने की आवश्यकता है। विद्यालय में उनकी उपस्थिति बनाये रखने के लिए वातावरण सुखद एवं सुरक्षित बनाना तथा शिक्षण कार्य रूचिकर बनाया जाना आवश्यक है।
- बालिकाओं के लिए राज्य में पोलीटेक्नीक तथा आई0टी0आई0 में 30 प्रतिशत क्षैतिज के आधार पर आरक्षित किये जायेगें एवं आई0टी0 के क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि महिलाओं को रोजगारपरक आधुनिक विषयों पर भी प्रशिक्षित किया जाय सकें। इन संस्थाओं में बालिकाओं के लिए अनुकूल आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- विभिन्न पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री में बालिकाओं व महिलाओं की पारम्परिक भूमिका चित्रित करने वाली सामग्री को इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जायेगा कि वे बालिकाओं एवं महिलाओं की प्रगतिशील छवि प्रस्तुत करें।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं आर्थिक सहायताओं में बालिकाओं की आवश्यकताओं को विशेष प्रकार से समाहित किया जायेगा।
- राज्य में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जायेगी, कि विद्यालय प्रत्येक गॉव की बालिकाओं की पहुॅच में स्थित हों।

- विद्यालयों में बालिकाओं का शत्–प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों और पंचायत प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया जायेगा।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला–परक विषयों पर अध्ययन एवं शोध की व्यवस्था की जायेगी।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।
- शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु परिवार की इकलौती कन्या को समस्त शुल्कों में पूर्ण छूट तथा दो कन्या होने की दशा में प्रत्येक को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- मेडिकल, प्रोद्यौगिकी, एम0बी0ए0, प्रशासनिक सेवाओं आदि में प्रवेष परीक्षा हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से बालिकाओं को निश:ुल्क कोचिंग की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विविध सुविधायें प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बच्चों की रूग्णता तथा मृत्यु दर को कम करने के प्रति राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता निम्नव्त व्यक्त करती है; अर्थात्–

- आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम ग्राम्य एवं वार्ड स्तर तक प्रभावी रूप में लागू किया जाएगा, ताकि महिलाओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार हो।
- उत्तराखण्ड में महिलाए अधिकांशतः रक्त अल्पता की शिकार है। इसे दूर करने के लिए सरकार एक बृहद योजना तैयार करेगी। समय–समय पर उनके स्वास्थ्य की जॉच तथा अल्पपोषित महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार एवं अन्य सुविधायें सुनिश्चित की जायेगी।
- एड्स एवं यौन रोगों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेगें।
- प्रसव के समय होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षित प्रसव की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। समुदाय स्तर पर काम करने वाली दाईयों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि प्रदेश के प्रत्येक गॉव एवं वार्ड में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकें।
- जिला अस्पतालों एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर गरीब महिलाओं को निश:ुल्क प्रसव सुविधायें प्रदान की जायेगी।
- अल्प आयु मे प्रजनन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से समुदाय को परिचित कराने हेतु विशेष प्रयास किये जायेगे।
- दो बच्चों के जन्म के मध्य न्यूनतम तीन वर्ष का अन्तर अवश्य रखने के विषय पर आधारित विशेष प्रयास किये जायेगें।

- किशोरियों/गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण को दूर करना सरकार की उच्च प्राथमिकता होगी।

- महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने तथा गर्भनिरोधक उपायों के बारे में (सहयोगी कुप्रभावों सहित) सूचना उपलब्ध कराते हुए उन्हें अवांछित गर्भधारण से बचाव हेतु सक्षम बनाया जाएगा।

- नवजात शिशुओं की मृत्यु का एक मुख्य कारण समय पूर्व प्रसव होना है इसके अतिरिक्त नवजात बच्चों को तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त अथवा निमोनिया, शिशुनाल में संक्रमण आदि रोगों के कारण शिशुओं की मृत्यु अधिक होती है। बाल मृत्यु के

  मुख्य कारण कुपोषण,समय पर टीकाकरण न होना एवं परिवार का बच्चों विशेषकर बालिका के प्रति उपेक्षित व्यवहार आदि है। आमतौर पर सामाजिक दृष्टि से यह पाया गया है कि पोषण, चिकित्सा सुविधा आदि क्षेत्रों में बालकों की तुलना में बालिकाओं का कम ध्यान रखा जाता है। बालिकाओं को भी स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल की वही सुविधायें प्राप्त हो सकें, जो बालकों को प्रदान की जाती हैं। इस दिशा में सामाजिक संठगनों एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेकर जागरूकता लाने के प्रयास किये जायेगें।

- बाल्यावस्था के रोगों जैसे–डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, पोलियों आदि से बचाव के लिए टीकारण अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जायेगा।

- समस्त नागरिकों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है, इस दिशा में प्रयास किये जायेगे।

- सर्वजनिक शिक्षा, जागरूकता एवं सफाई व्यवस्था में सुधार के माध्यम से मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग जैसी संक्रामक बीमारियों एवं जलजन्य रोगों की रोकथाम एवं प्रबंध के लिए आवयक व्यवस्था की जायेगी।

(ग) सुरक्षा एवं कानून

महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलायें समस्त प्रकार की हिंसा एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सरकार का संकल्प है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें पूर्ण न्याय मिले और उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किये जायेगें; अर्थात्:

- प्रायः महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित महिलाओं, को महिलापरक कानूनों की जानकारी नहीं होती जिसके कारण वे अपने अधिकारों एवं विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण लाभ नहीं उठा पाती हैं। प्रदेश सरकार राज्य विधिक प्राधिकरण, जनपदीय विविक प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य माध्यमों से विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कराएगी ताकि समस्त महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाये गए कानूनों की जानकारी हो सकें और वे इनका लाभ उठा सकें।

- पुलिस में महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जायेगी। प्रदेश में प्रत्येक थाने में

एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा ताकि महिलायें अपनी बात निःसंकोच कह सकें और उनकी शिकायतों का शीघ्रता से निवारण हो सकें।

- पारिवारिक विवादों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर प्रत्येक जनपद में पारिवारिक अदालत स्थापित की जायेगी।
- अधिकृत सामाजिक संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों आदि को महिला पारिवारिक अदालतें लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि इन विवादों को औपचारिक अदालतों से बाहर, आपसी समझौता द्वारा निपटाया जा सकें।

- संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम, 1890 में मॉ को बच्चें का अभिभावक बनने का

अधिकार प्रदान किये जाने तथा गोद लेने संबंधी कानून (।कवचजपवद ।बज) को भी महिलाओं के पक्ष में संशोधित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

- हिंसा एवं दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं
पुर्नवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- हिंसा, सम्पत्ति, भरण–पोषण एवं तलाक संबंधी प्रकरणों में महिलाओं को कोर्ट फीस से मुक्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा।
- पुलिस बल, जेल स्टाफ एवं अभियोजनकर्ता (च्नइसपब चतवेमबनजवते) को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाये जाने पर विधिक परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
- राजस्व पुलिस को भी महिलाओं के प्रति संवदेनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- अभियोजन तंत्र (च्तवेमबनजपवद हमदबपमे) में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने हेतु संगत नियमों में विधिक परीक्षणोपरान्त संशोधन किये जायेगें। इसी प्रकार महिला हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर गठित शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में महिलाओं को शामिल करते हुए महिलाओं संबंधी वादों में अभियोजन अधिकारी महिला न होने की दशा में किसी महिला वकील को सम्बद्ध करने की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रयास किये जायेगें।
- महिला के प्रति हिंसा जैसे बलात्कार आदि वादों के त्वरित निस्तारण हेतु यथासम्भव कानूनों को संशोधन किये जाने हेतु विधिक परीक्षणोपरांत केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
- जो व्यक्ति महिलाओं के विरूद्ध किये गये किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए हैं अथवा जिनके विरूद्ध अदालत द्वारा आरोप तय कर दिये गये हैं, वे पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में कोई पद ग्रहण करने के अयोग्य समझे जाने हेतु संगत अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जायेगें। इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाये गये हैं, उन्हें सरकारी पदों को ग्रहण करने के अपात्र समझे जाने हेतु संगत सेवा नियमों में संशोधन किए जायेंगे और जिस मामलों में इस प्रकार के मुकदमे न्यायालयो में चल रहे

हैं और न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिये गये हैं, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति तब तक निलम्बित रहेगी जब तक उन मामलों को पूरी तरह निष्पादित न कर दिया जाये।

- कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराध का घृणित रूप है। इसके प्रतिषेध हेतु सरकार बालिकाओं के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए विभिन्न माध्यमों से व्यापक जनजागरण अभियान चलायेगी तथा प्रसव पूर्व लिंग संबंधी कानूनों के अधीन प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम और दुरूपयोग निवारण अधिनियम, 1994 के उपबन्धों को कठोरता से लागू करेगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश पर तथा जनपद स्तर पर समितियॉ गठित की जायेंगी, जिनमें स्वास्थ्य, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ महिला आयोग के सदस्यों, गैर सरकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा।

- प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित महिलाओं के ठहरने के लिए अल्पावास गृहों/संरक्षण गृहों (Short Stay/Shelter home) की स्थापना की जायेगी।

- विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किये जाने हेतु संगत अधिनियमों में संशोधन किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से शीध्र कठोर कदम उठाये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये मार्गनिर्देशन सिद्धान्तों के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। जब तक इसमें विधि अपना रूप नहीं ले लेती तब तक विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में मुख्यालय और जनपद स्तर पर, उत्पीड़न निवारण समितियों के माध्यम से इस प्रकार की शिकायतों की सुनवाई एवं जॉच की जायेगी।

- मा0 उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में 30 प्रतिशत पदों पर महिला न्यायाधीशों की नियुक्त किए जाने हेतु राज्य विधान सभा से संकल्प पारित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(घ) आर्थिक सशक्तिकरण

सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि ऐसी उपयुक्त नीतियों का निर्माण राज्य में हो, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों एवं उनके अनुकूल कार्य करने की परिस्थितियों का सृजन इस दिशा में किया जा सकें :–

(एक) सेवायोजन :–

प्रदेश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और पर्वतीय जनपदों में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक है परन्तु सरकारी तथा अर्द्धसरकारी सेवाओं में पुरूषों की अपेक्षा

महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सभी सेवाओं में उनकी भागीदारी अपने जनसंख्या के अनुपात में न हों। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि सभी सेवाओं में महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो।

- प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों तथा पारिवारिक दायित्वों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सेवाओं के लिए निर्धारित शैक्षित अर्हता अर्जित करने में विलम्ब जो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समस्त सरकारी तथा अर्द्धसरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु संगत सेवानियमों में संशोधन किए जायेंगे।

- महिलायें रोजगार के अधिक अवसरों का लाभ उठा सकें, इसके लिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी और राज्य के समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए जायेगे।

- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में महिलाओं के अनुकूल वातावरण का निर्माण किये जाने हेतु सरकार वचनबद्ध है। ऐसी प्रत्येक संस्था में जहॉ पर्याप्त संख्या में
  महिलायें कार्यरत हैं, उनके लिए अलग शौचालय, विश्राम कक्ष और यदि उनके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे है तो नियोक्ता द्वारा शिशु केन्द्र ;ब्तमबीमद्ध की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश देते हुए उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चितकिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- सरकार ऐसे उद्योगों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारम्भ करेगी जिन्होंने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर उनके अनुकूल वातावरण सृजन करने में विशेष कार्य किया है।

- सेवाओं में भर्ती, तैनानी एवं स्थानान्तरण की नीतियॉ महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाई जायेगी।

- सेवाकाल के दौरान विशिष्ट प्रशिक्षण, विदेश भ्रमण आदि कार्यकर्मो में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(दो) उद्योग

महिलाये श्रमिक तथा उद्यमियों के रूप में कार्य करती हैं। प्रदेश में महिला उद्यमियों की संख्या बहुत कम है। महिला नीति का उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, ऋण एवं विपणन की व्यवस्था के पर्याप्त अवसर उपलब्ध किये जायें ताकि उन्हें उद्योग, विशेष रूप से कुटीर उद्योग, स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन मिले और स्वरोजगार के अवसर सरलता से उपलब्ध हों, इसी क्रम में–

- महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कौशल प्रबन्धन की जानकारी देने वाले संगठनों/संस्थाओं को प्रोत्साहित करने;

- गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के अतिथि गृहों में राज्य की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपयोग एवं विक्रय को प्रोत्साहन देने;

- चार धाम यात्रा मार्ग तथा अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर महिलाओं व महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री केन्द्रों की स्थापना किये जाने और महिला उद्यमियों के लिए सस्ती दरों एवं आसान किस्तों पर ऋण की 'व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की दिशा में ठोस पहल की जायेगी।

(तीन) कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग :–

प्रदेश के पहाड़ी जिलों में खेती का सभी काम, जैसे खेत की जुताई, बुवाई, फसल कटाई, खेत में पानी देना, पशुओं के लिए चारा लाना और दूध निकालना आदि कार्य प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा ही सम्पादित किये जाते है। परन्तु भूमि के स्वामित्व में उनका नाम न होने के कारण तथा उनके द्वारा अर्जित आय पर उनका अधिकार न होने के कारण उन्हें परिवार तथा समाज में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। अतः–

- सरकार ग्रामीण खेतिहर महिलाओं को ''किसान का दर्जा'' प्रदान करने की कार्यवाही करेगी। ताकि इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने में असुविधा न हो।

- कृषि भूमि के अभिलेखों में भूमि के स्वामित्व के लिए पुरूष के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किये जाने की व्यवस्था सुनिचित की जायेगी ताकि पुरूष मनमाने तरीके से न तो जमीन को बेच सकें और न ही गिरवी रख सके।

- सरकारी भूमि के पट्टों को लीज पर देने में महिलाओं तथा महिला समूहों को प्राथमिकता दिये जाने की नीति घोषित की जायेगी।

- कृषि के पंरम्परागत तरीकों के आधुनिकीरण व संवर्धन हेतु महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रक्षिण की व्यवस्था की जायेगी।

- पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त समय पशुओं के लिए चारा लाने में व्यतीत हो जाता है। अतः ग्राम स्तर पर पशुचारा बैंक की स्थापना की जायेगी ताकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था गॉव में ही सुलभ हो सके।

- सहकारिता आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

- कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए गठित विपणन समितियों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु संगत अधिनियम/नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

- कृषि पर आधारित उद्योगों यथा डेयरी, मछली पालन, सब्जी एवं फल उत्पादन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़े पालना एवं मुर्गी पालन तथा कृषि आधारित खाद्य प्रसस्करण के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए यथासम्भव प्रशिक्षण, सस्ते ऋण तथा विपणन मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी।

- पटवारियों की भर्ती में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये जाने हेतु गत सेवा नियमों में संशोधन किया जायेगा। ताकि महिलाओं को भूमि संबंधी विवादों को हल करने में सहायता मिलें।

(चार) जल, जंगल व जमीनः–

जल, जंगल व जमीन उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदेश में महिलायें इनके स्वामित्व में समुचित अधिकार को लेकर लम्बे समय से आन्दोलनरत् रहीं है। प्रदेश सरकार की यह मान्यता है कि कृषि में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने और उन्हें कृषक का दर्जा देने के अतिरिक्त वन एवं जल स्रोतों के प्रबन्धन में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार :–

- पेयजल की समस्या का हल करने के लिए प्रत्येक गॉव में और प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुॅचाने की व्यवस्था करेगी।
- गॉव स्तर पर गठित पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेगा ताकि गॉव में हैडपम्प लगाने एवं कुऐं खुदवाने के स्थान का चयन उनकी सुविधा के अनुसार किया जा सकें।
- जल के पंरपरागत स्रोतों के संरक्षण एवं प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जायेगी।
- वन प्रबंघन के लिए गठित समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करते हुए वन प्रबन्धन में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु वन नियमावली में संशोधन किया जायेगा।
- जलावनी ईधन की व्यवस्था के लिए वन विभाग के नियमों में इस प्रकार संशोधन किया जायेगा कि महिलाओं के ईंधन लाने की कठिनाईयों को न्यून किया जा सकें।
- महिलाओं की सुविधा और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से गॉवों में लकड़ी के प्रयोग के स्थान पर वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था की जायेगी। गॉवों के स्वंय सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों एवं मान्यता प्राप्त समाजिक संगठनों के माध्यम से छोटे गैस चूल्हों की सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था की जायेगी ताकि खाना बनाने में आसानी हो और लकड़ी के चूल्हों से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकें।
- वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायोगैस तथा सोलर ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ड.) राजनीतिक सहभागिता :–

राज्य सरकार संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को दिया गया एक तिहाई आरक्षण उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस क्रांतिकारी कदम से महिलाओं को पूर्ण लाभ पहुॅचाने हेतु कुछ अन्य उपाय किये जाने की आवश्यकता है; जिस हेतु :

- महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का विकास करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक

रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेगें ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार कर सकें।

- प्रायः देखने में आया है कि पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं अन्य निर्वाचित संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति/पुत्र अथवा अन्य नातेदार भाग लेते हैं तथा उनकी ओर से विधिक कार्य भी संपादित करते हैं। इस कारण महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसे निर्वाचित संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वंय ही भाग लें ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो तथा महिला संबंधी मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जंगल आदि पर वे महिलाओं के हितों के अनुरूप निर्णय करवाने और उन्हें क्रियान्वित कराने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकें।

- राज्य में गठित सभी आयोगों, निगमों परिषदों एवं समितियों व विधानसभा में नियमानुसार महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

- 'जेण्डर बजट' की व्यवस्था विधान सभा से ग्राम पंचायत स्तर तक एवं सभी शहरी स्थानीय निकायों में समान रूप से लागू किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(पॉच) क्रियान्वयन एवं परिनिरीक्षण :

(एक) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस नीति के क्रियान्वयन में समन्वय
स्थापित करने एवं परिनिरीक्षण करने हेतु नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन करेगा।

(दो) नोडल विभाग समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, सार्वजनिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं तथा महिला समूहों व संगठनों के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करेगा।

(तीन) इस नीति को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व समस्त संबंधित विभागों पर होगा। सभी विभाग कार्ययोजना, समय सीमा एवं बजट के साथ संबंधित क्षेत्रों में योजनायें, तैयार करेगें। इन योजनाओं की समीक्षा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर की जायेगी।

(चार) जैंडर सम्बन्धी मुद्दों का मुख्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अर्न्तगत एकीकरण करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने एवं कठोर परिनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए नियोजन विभाग तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग राज्य स्तर पर इस एकीकरण की निगरानी करेगें, तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक विभाग की योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान दिया जाये।

(पॉच) प्रत्येक विभाग राज्य पर नोडल अधिकारी नामित करेगा जो विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का परिनिरीक्षण करेगें तथा लिंग भेद के मामलों में

संवेदनशीलता से जॉच करेगें।

(छः) प्रदेश में राज्य महिला आयोग स्थापित हो चुका है जो एक वैधानिक संस्था है। आयोग एक सजग प्रहरी की भूमिका अदा करते हुए अधिनियम में उसे प्रदत्त शक्यिों के अनुक्रम में प्रतिपादित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार की सहायता करेगा और उसे परामर्श देगा।

(सात) समस्त विभागों, सार्वजनिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, बैंक व वित्तीय संस्थाओं तथा महिला समूहों व संगठनों से त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर उन्हें संकलित करने का कार्य राज्य महिला आयोग करेगा। नीति के क्रियान्वयन के संबंध में आयोग अपनी सिफारिशें राज्य को प्रेषित करेगा। राज्य सरकार का वह दायित्व होगा कि घोषित नीति के तारतम्य में वह इन सिफारिशों का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे।

(आठ) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति नीति के क्रियान्वयन की प्रगति पर अनुश्रवण करेगी तथा प्रत्येक वर्ष उसका पुनर्विलोकन करेगी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति मण्डल स्तर पर प्रत्येक 6 माह में तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी।

6. विशेष आवश्यकता वाले समूह (फोकस ग्रुप्स) :–

सभी महिलाओं को एक समान श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विशिष्ट प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की महिलाओं की समस्यायें भी अलग–अलग होती है। प्रदेश की महिला नीति
समस्त समूहों, समुदायों, क्षेत्रों एवं आयु वर्गो की महिलाओं एवं कन्याओं तक पहुॅचने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए विशेष आवश्यकता वाले समूहों को चिन्हित एवं सूचीबद्ध करने तथा उनके कल्याण के लिए विशेष योजनायें लागू करने के महत्व को स्वीकार करती है।

(क) बालिकायें एवं किशोरियॉः–

कोई भी समाज तब तक प्रगति की आशा नहीं कर सकता जब तक वह बच्चों के सर्वागीण महत्व को समझकर उन्हें उचित पालन पोषण की ओर ध्यान नहीं देगा। कुपोषण, निरक्षता एवं हिंसा के शिकार बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख एवं उनके हितार्थ संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूंजी निवेश आवयक है। सन् 2001 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार प्रदेश में 0–6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंग अनुपात केवल 906 रह गया है। कई क्षेत्रों व वर्गो में बाल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। सरकार बालिकाओं/किशोरियों के लिए ऐसे कार्यक्रम चालू करने के लिए वचनबद्ध है जो उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित एवं सशक्त करें।

- घटते हुए लिंगानुपात, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, महिलाओं को सवैधानिक अधिकारों की गारंटी, पोषणात्मक विसंगतियों एवं इसके फलस्वरूप कन्याओं में कुपोषण तथा रक्त अल्पता, बाल विवाह एवं 18 वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण के दुष्प्रभाव, स्तनपान का महत्व और बुनियादी शिक्षा के महत्व पर एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जायेगा।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा (औपचारिक/अनौपचारिक) के लिए अवसर प्राप्त है तथा वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर, विशेषकर कुपोषण एवं रक्त अल्पता के निवारण हेतु, विशेष ध्यान देती है, विविध प्रकार से बालिकाओं को सहायक सेवायें प्रदान की जायेगी और ऐसा प्रभावी वातावरण सृजित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप बालिकायें स्वस्थ एवं सक्षम महिला के रूप में अपना विकास कर सकें।
- औपचारिक स्कूल पद्धति के भीरत एवं उसके बाहर बालिकाओं एवं किशोरियों के साथ कार्य करने के लिए गैर सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करते हुए समर्थन प्रदान किया जायेगा।
- बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायेगें।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की कमजोर महिलायेंः–

उत्तराखण्ड में थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया जनजाति ट्राइबल्स समुदायों की महिलाऐं निवास करती है जो अत्यधिक रूप से पिछड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में भी एक बड़ा वर्ग कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करता है। इन वर्गो में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है तथा साक्षरता का प्रतिशत भी बहुत कम है। इन अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अत :

- प्रथम उपाय के रूप में सरकार इन समूहों को जिलेवार सूचीबद्ध करने एवं उनके लिए विशिष्ट रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रतिवद्ध है। इससे योजनाकारों, प्रशासकों
  तथा सेवा प्रदान करने वालों को अपने कार्यक्रमों को अधिक सावधानी के साथ लक्षित करना सुलभ होगा।
- इन वर्गो के लिए समेकित कार्यक्रमों को इस तरह तैयार कर विकसित किया जायेगा, कि समुदायों की विविध आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकें।
- गैर सरकारी संगठनों का इन समुदायों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ग) विधवा, तलाकुदा, परित्यक्ता, अविवाहित, संतानहीन, विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलायें :–

समाज की प्रचलित व्यवस्था में कतिपय महिलायें स्वंय को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाती। वे बहुधा स्वंय को कमजोर अनुभव करती है तथा दूशित समाज द्वारा उनके साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जाता है। विधवा, तलाकुदा, परित्यक्ता, अविवाहित एवं संतानहीन महिलाओं को परिवार एवं समाज पर बोझ समझा जाता है। इनमें से कई महिलाओं को बेघर कर दिया जाता है और इन्हें आश्रम एवं भोजन पाने के लिए दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, अत :

- सरकार ने विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें एवं कार्यक्रम लक्षित किये हैं। ऐसी महिलाओं के राज्य भर में बिखराव के कारण उनके लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में कठिनाई आती है। सरकार ऐसी महिलाओं तक पहुॅचने के लिए नये उपाय खोजने तथा शिक्षा, कौशल विकास, आय अर्जित करने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है।

- शारिरिक एवं मानसिक रूप से अपंग महिलाएं समाज से बहिष्कृत कर दी जाती है तथा यदि वे अपने परिवार के साथ रहती भी है तो उनकी दशा दयनीय होती है। अनेक विकलांग महिलायें घर पर अवैतनिक श्रमिक की भॉति कार्य करती हैं। दृष्टिहीनता, वाणी एवं श्रवण आदि की अपंगता महिलाओं को सामाजिक सोपन की सबसे निचली सीढ़ी पर रहने को मजबूर करती है। सरकार उनकी शिक्षा के लिए अवसर सृजित करने एवं उनकी आय के साधनों को जुटाने की महत्ता को स्वीकार करती है। समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा परोपकारी संस्थानों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

- सरकार विक्षिप्त महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उपचार तथा उनके पुनर्वास हेतु उपायों की तलाश करने के लिए होस्टल व आश्रम की व्यवस्था करेगी।

- विवाह पंजीकरण को अनिवार्य रूप से लागू करवाया जाना है, ताकि परित्यक्ता महिलाओं को न्याय मिल सकें व बाल विवाह पर रोक लग सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 41 ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों के और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगीं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों के और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।

(1) उत्तराखण्ड राज्य में राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार के सम्बन्ध में चयन समिति/मानकों का निर्धारण किया गया है। "तीलू रौतेली" पुरस्कार हेतु जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है।

(2) राज्यधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

संख्या /ग्टप्;2द्ध/2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनॉक 02 मार्च, 2009

विषयः– राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार के सम्बन्ध में चयन समिति/मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार के चयन हेतु निम्नवत् चयन समितियों का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

जनपद स्तरीय चयन समिति :

1–	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी।	उपाध्यक्ष
3–	जिला कार्यक्रम अधिकारी।	सदस्य–सचिव
4–	जनपद प्रतिनिधि, राज्य महिला आयोग।	सदस्य
5–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित महिला कल्याण क्षेत्र मे कार्यरत दो विाटि स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य स्तरीय चयन समिति :

1–	मा0 राज्य मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2–	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
3–	निदेशक, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य–सचिव
4–	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग।	सदस्य
5–	अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड।	सदस्य
6–	कार्यकारी अध्यक्ष प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड।	सदस्य
7–	सचिव, महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा नामित नामित महिला सदस्य कल्याण क्षेत्र में कार्यरत दो विशिष्ट स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि।	सदस्य

2– उक्त के अतिरिक्त राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार हेतु निम्नवत् मानकों/चयन प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के उद्देय से यह पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाला यह राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य गढ़वाल की वीरांगना "तीलू रौतेली" के नाम से जाना जायेगा। यह पुरस्कार उन महिलाओं एवं किशोरियों को दिया जायेगा जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो :–

प– कठिन परिस्थितियों में जीवनपायन करने वाली महिलाओं एवं बालकों को सहारा तथा पुनर्वास देने का कार्य किया हो, जैसे निराश्रित, विधवायें, वृद्ध, विकलांग, दुराचार एवं कलह के शिकार आदि।

पप– शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल की हो, अभिनव प्रयोग किये हों।

पपप– महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन का कार्य किया हो।

पअ– महिलाओं को रोजगारोन्मुख क्षेत्र में, विशेषकर कृषि एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहारा देने का कार्य, जिसमें दिनचर्या से उपजे उत्पीड़न को रोकने हेतु तकनीक का प्रसार सम्मिलित है।

अ– समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया हों।

अप– विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह को रोकने का कार्य किया हो।

अपप– ऐसी महिलायें/किशोरी जिन्होंने रूढ़ीवादिता या अपनी परम्परायें तोड़ी हों व अपने आप में सफलता को सिद्ध किया हो।

अपपप– ऐसी बेसहारा जिसने परिवार के अभाव मे अपने भाई बहनों को पढ़ा–लिखा कर सफलता दिलाई है।

पग– मीडिया/पत्रकारिता, प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, साहित्य, समाज सेवा, कारपोरेट जगत, खेल, राजनीति, संगीत एवं नृत्य, विभिन्न कला क्षेत्र जैसे चित्रकला/वास्तुकला, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में विशिष्टता हॉसिल की हो।

3 <u>पुरस्कार की धनराशि/विवरण :</u> पुरस्कार हेतु चयनीत प्रत्येक किशोरी/महिला को रू 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि एवं प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। पुरस्कार निम्नलिखित दो श्रेणियों में दिया जायेगा :–

प– 06 (छः) किशोरियों को यह पुरस्कार दिया जायेगा। किशोरियों की आयु 11 से 18 वर्ष की अथवा इनके मध्य होनी चाहिये।

पप– 07 (सात) महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जायेगा। महिला की आयु 18 वर्ष से उपर होनी चाहिये।

4– <u>चयन हेतु मानदण्ड</u>

प– नामांकित किशोरी की आयु 11 से 18 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो साथ ही वह नामांकन की तिथि की जीवित हो।

पप– नामांकित किशोरी/महिला की सम्बन्धित क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों का सुस्पष्ट अभिलेखीकरण उपलब्ध होना चाहिये।

पपप– नामांकित किशोरी/महिला की विशिष्ट उपलब्धियां प्रमाणन–योग्य होनी चाहिये, जिनका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी किया जा सके।

पअ– ऐसी किशोरी/महिला को वरीयता देनी चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में लम्बे संघर्ष एवं विडम्बनाओं से जूझकर सफलता प्राप्त की है।

अ–राज्य स्तरीय चयन समिति प्रयास करेगी कि प्रत्येक जनपद से एक किशोरी अथवा महिला को पुरस्कृत किया जाये किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा।

5– <u>पुरस्कार हेतु तिथि :</u> यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च के अवसर पर वितरित होंगे। जनपद स्तरीय चयन समिति अपनी संस्तुति दिसम्बर माह तक निदेशक आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून को प्राप्त करा देंगी।

6– चयनित किशोरी/महिला द्वारा पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जायेगा। पुरस्कृत किशोरी/महिला एवं उसके एक सहायक द्वारा व्यय किया गया यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

7– यह अनिवार्य होगा कि जनपदों से कम से कम तीन से चार नाम चयनित/प्रस्तावित किये जायें जिन पर जनपद स्तरीय चयन समिति अपना मत अंकित कर सकें। जपनद स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति 13 तेरह पुरस्कारों हेतु नाम अंतिम करेगी। राज्य स्तरीय समिति स्वयं भी उपयुक्त नामों का चयन कर उन पर विचार कर सकती है।

संलग्नक–नामांकन प्रपत्र।

भवदीय,
डा0 राकेश कुमार
सचिव

संख्या :357(1)/ग्टप्,2द्ध/2009/तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी।
4– मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग।
5– मा0 अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6– कार्यकारी अध्यक्ष, प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल उत्तराखण्ड।
11– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस.
15– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव

नामांकन प्रपत्र दो प्रतियों में

स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार हेतु संस्तुत महिला का विवरण

1 नाम :

2 जन्म तिथि सत्यापित :

3 जन्म स्थान :

4 शैक्षिक योग्यतायें प्रमाणपत्रों सहित :

5 दूरभाष संख्या :

6 वर्तमान पता :

7 उपलब्धि का क्षेत्र :

8 महिला/किशोरी की उपलब्धि किस प्रकार उत्कृष्ट आंकी गयी है :

9 महिला के जीवन का संक्षिप्त विवरण, फोटो, प्रैस विज्ञप्ति एवं प्रमाण पत्रों आदि सहित :

10 जनपद स्तरीय चयन समिति की टिप्पणी :

11 संस्तुतकर्ता सरकारी अथवा अन्य एजेन्सी, विवरण सहित :

उत्तराखण्ड शासन
महिला साक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 744 / ग्टप्/2द्ध / 2009
देहरादून :दिनॉक 28 मई, 2009

संशोधन

शासनादेश संख्या 357 / XVII(2) / 2009 दिनॉक 02 मार्च, 2009 जिसके द्वारा राज्य स्त्री शक्ति "तीलू रौतेली" पुरस्कार के सम्बन्ध में चयन समितियों का गठन एवं मानकों का निर्धारण किया गया है, में राज्य स्तरीय चयन समिति में क्रमांक–6 को कार्यकारी अध्यक्ष प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष, प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड पढ़ा जाय।

2– यह आदेश उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। शेष शासनादेश संख्या ।357 / ग्टप्/2द्ध / 2009 दिनॉक 02–03–2009 यथावत रहेगा।

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या : 7441 / ग्टप्/2द्ध / 2009 / तद्दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी।
4– मा0 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग।
5– मा0 अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6– कार्यकारी अध्यक्ष, प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊ मण्डल नैनीताल उत्तराखण्ड।
11– समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस.
15– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव

संख्याः 2800 / XVII–90(2) / 2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव
उत्तराखण्ड ाासन।

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून : दिनॉक 10–08–2005

विषयः– विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम
न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 का अनुपालन।

महोदया,

शासनादेश संख्या 550/स0क0शा0/ नि0स0/ 2004 दिनांक 18.12.2004 में सांोधन करते हुये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/ 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसा शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए निम्न प्रकार शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है।

1–	श्रीमती विभापुरी दास, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2–	श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3–	श्रीमती हेमलता ढौड़ियाल, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती ऊषा शुक्ला, अपर सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5–	सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6–	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित पुलिस अधिकारी जो अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर से कम का न हो।	सदस्य
7–	श्रीमती अनुराधा जाशी, सिद्ध, स्वंयसेवी संस्था, मसूरी	सदस्य

2. समिति में नामित अधिकारियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय शासन

द्वारा
परिवर्तन किया जा सकता है। श्रीमती अनुराधा जोशी का सदस्य के रूप में समिति में कार्यकाल 3 वर्ष होगा। श्रीमती जोशी को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई मानदेय, भत्ता आदि देय नहीं होगा। सचिव न्याय तथा महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड द्वारा नामित किये जाने वाले पुलिस अधिकारी को पदेन रूप में समिति में सम्मिलित किये गया है।

3. समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वंय किया जायेगा। समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन के संबंधित विभाग को की जायेगी।

भवदीया
राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या:2800(1) ग्टप्–90(2)/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूं।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7– संबंधित अधिकारी।

आज्ञा से

हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्याः 62/XVII(2)/2010
देहरादून, दिनॉक 07 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थान पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिये गठित राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति विषयक शासनादेश संख्या 2800/ग्टप्–90(2)/2004 दिनांक 10–08–2005 को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाता है –

1–	श्रीमती विनिता कुमार प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2–	श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3–	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4–	सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5–	निदेशक, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड।	सदस्य/सचिव
6–	श्रीमती हेमलता ढ़ौडियाल, अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
7–	श्रीमती ऊषा शुक्ला, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
8–	पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड द्वारा नामित पुलिस अधिकारी जो अपर पुलिस महानिदेशक स्तर से कम का न हो।	सदस्य
9–	श्रीमती अनुराधा जाशी, सिद्ध, स्वंयसेवी संस्था, मसूरी	सदस्य

. समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वंय किया जायेगा। समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन के संबंधित विभाग को की जायेगी।

(डा0 राकेश
कुमार)
सचिव

संख्याः 62(1) XVII(2)/2009/ तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2– निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7– अध्यक्ष/समस्त सम्बन्धित सदस्यगण।
8– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पवांर)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2840/ XVII(2)/05–90/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिवे,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 22 अगस्त, 2005

विषयः– विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट योचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 का अनुपालन।

महोदया,

शासनादेश संख्या 550/स0क0शा0/नि0स0/2004 दिनांक 18.12.2004 में संशोधन करते हुये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए निम्न प्रकार शिकायत निवारण समिति का गठन जनपद स्तर पर किया जाता है।

1–	श्रीणी "क" की महिला अधिकारी (यदि उपलब्ध नहीं है तो जिलाधिकारी)	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुंलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सचिव
3–	राज्य महिला आयोग की मनोनीत सदस्य	सदस्य
4–	जिला शासकीय अधिवक्ता	सदस्य
5–	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
6–	सचिव, स्वैच्छिक संगठन (निर्विवाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत)	सदस्य
7–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8–	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य

2. समिति में नामित अधिकारियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य के रूप में समिति में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई मानदेय, भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3. समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वंय किया जायेगा। समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन से संबंधित विभाग को की जायेगी।

भवदीया
राधा रतूड़ी
सचिव

संख्याः2840/(1) XVII–90(2)/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेाति।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
7– वरिठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधिक्षक।
8– सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– जिला शासकीय अधिवक्ता।
10– मुख्य चिकित्साधिकारी।
11– जिला समाज कल्याण अधिकारी।
12– जिला कार्यक्रम अधिकारी।

आज्ञा से

हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव

संख्याः 612 / XVII–90–2004 / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराचल।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 22 अगस्त, 2006

विषयः– विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट योचिका संख्या 666 / 1992 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 का अनुपालन में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की जनपद स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन।

महोदया,

कृपया शासनादेश संख्या 550 / स0क0शा0 / नि0स0 / 2004 दिनांक 18.12. 2004 एवं शानादेश संख्या 2840 / ग्टप्प्(2) / 05–90 / 2005 दिनांक 22 अगस्त, .2005 में आंशिक संशोधन करते हुये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666 / 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए जिलाधिकारी के संरक्षण में निम्नवत कार्य सिल पर महिला यौन उत्पीड़न की जनपद स्तरीय शिकायत निवारण समिति, जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों, का गठन किया जाता है :

1–	श्रीणी "क" की महिला अधिकारी	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुंलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सचिव
3–	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित महिला चिकित्साधिकारी	सदस्य
4–	राज्य महिला आयोग की मनोनीत सदस्य	सदस्य
5–	जिला शासकीय अधिवक्ता	सदस्य
6–	दो स्वैच्छिक संस्था के महिला प्रतिनिधि	सदस्य
7–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8–	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य

2. समिति में नामित अधिकारियों / संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय शासन द्वारा सम्बर्द्धन / परिवर्तन किया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई मानदेय, भत्ता आदि देय नहीं होगा।
3. समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रकरण में सुनवाई / जाचोपरान्त अपनी संस्तुति राज्य स्तरीय समिति को की जायेगी
4. प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से की जायेगी तथा की गई कार्यवाही की सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।

भवदीया
राधा रतूड़ी

सचिव

संख्याः 612/ XVII–90(2)2004/2006 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेाति।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं।
6– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7– समस्त वरिठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधिक्षक, उत्तराखण्ड।
8– सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
10– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव

संख्याः 613 / XVII–90(2)2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराचल।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 22 अगस्त, 2006

विषयः— विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट योचिका संख्या 666 / 1992 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 का अनुपालन में राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन।

महोदया,

शासनादेश संख्या 550 / स0क0शा0 / नि0स0 / 2004 दिनांक 18. दिसम्बर, 2004 एवं शानादेश संख्या 2800 / ग्टप्प्(2) / 05–90 / 2005 दिनांक 10 अगस्त, .2005 में आंशिक संशोधन करते हुये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666 / 1992 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए महिला यौन उत्पीड़न की राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

1–	श्रीमती विभापुरी दास, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2–	श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3–	श्रीमती हेमलता ढौड़ियाल, अपर सचिव, महिला सश्शक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती ऊषा शुक्ला, अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5–	सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6–	अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
7–	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित पुलिस अधिकारी जो अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर से कम का न हो।	सदस्य
8–	सुश्री अदिति, प्रतिनिधि, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अंजनीसैण।	सदस्य
9–	डा0 के0के0 शर्मा, सचिव, महिला विकास संगठन, 4 / 54 डी0ए0बी0 कालेज रोड, देहरादून।	सदस्य
10–	सुश्री अनुराधा, सिद्ध स्वयं सेवा संस्था, भ्रंस ॅववक स्दकींनत ब्वदजवदउमदज मसूरी	सदस्य

11– सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड सदस्य

12– प्रधानाचार्य, डी0ए0बी0 कालेज, देहरादून द्वारा नामित महिला प्रतिनिधि सदस्य

2. समिति में नामित अधिकारियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय उपान्तरण अथवा परिवर्तन शासन द्वारा किया जा सकता है।

3. चूँकि विशाखा गाइड लाईन में समस्त शासकीय संस्थाओं/पी0एस0यू0/संगठन/शैक्षिक संस्थाओं द्वारा इस प्रकार समिति को गठित किये जाने के आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये है। अतः विशाखाा गाइड लाईन के अनुसार प्रत्येक संगठन में समिति गठित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है, फिर भी यदि किसी संस्था में समिति गठित नहीं हो पायी हो तो ऐसी संस्था की पीड़ित महिला उस संस्था में विशाखा समिति गठित न होने के आशय का शपथपत्र प्रस्तुत कर गठित अन्य समिति में शिकायत दर्ज करा सकेगी।

4. समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वंय किया जायेगा। समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन के संबंधित विभाग को की जायेगी।

भवदीया
राधा रतूड़ी
सचिव

संख्याः 613/ ग्टप्–90(2)/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7– संबंधित अधिकारी।

आज्ञा से

हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग
संख्या–272/XVII(2)/ 2006
देहरादून दिनांक 30 मई, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अर्न्तगत विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 666/1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1997 का अनुपालन में राज्य स्तर पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु जो समिति जो समिति गठित की गयी है, उक्त समिति में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिये जाने के संबंध में राज्य के सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(एम0रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या–272/ग्टप्;2द्ध/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड ासन।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड।
5– मण्डायुक्त गढ़वाल/ कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव

प्रेषक,

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
हरिद्वार।

पंत्राकः विविध/ 45113–47/ महिला यौन उत्पीड़न/ 2006–07 दिनांक 30 नवम्बर, 2006

विषय :– प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में यौन उत्पीडन निवारण प्रकोष्ठ का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 161/ग्प्ट–2(5)/ 2006 दिनांक 09 क्टूबर, 2006 द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड, राज्य महिला आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 8639/रा0मा0आ0/ दिनांक 15.09.2006 के क्रम में प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों एवं पब्लिक स्कूलों एंव आवासीय विद्यालयों में यौन उत्पीड़न की माध्यमिक विद्यालय, जनपद एवं राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नामित समिति/ प्रकोष्ठ

1–	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठतम् प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (एल0टी0)	सदस्य/सचिव
3–	अध्यक्ष, अध्यापक अभिभावक एसोसियेान	सदस्य
4–	अध्यापक, अभिभावक एसोसियेान की महिला प्रतिनिधि	सदस्य
5	कक्षा मॉनिटर बालिका	सदस्य
6–	चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित महिला प्रतिनिधि	सदस्य
7–	राजस्व विभाग का पटवारी/लेखपाल	सदस्य

जनपद (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्राक्षिण संस्थान) स्तर पर नामित समिति/प्रकोष्ठ

1–	जिला शिक्षा अधिकारी (महिला अधिकारी उपलब्ध न होने पर श्रेणी 'क' की महिला अधिकारी	अध्यक्ष
2–	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
3–	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य/सचिव
4–	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित महिला चिकित्साधिकारी	सदस्य
5–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित महिला पुलिस अधिकारी	सदस्य
6–	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	सदस्य
7–	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
8–	दो स्वैच्छिक संस्था के महिला प्रतिनिधि	सदस्य

राज्य (विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, राज शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड तथा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद) स्तर पर नामित समिति/प्रकोठ

1–	श्रीमती पुष्पा मानस, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान मिशन, देहरादून	अध्यक्ष
2–	अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा नामित एक पुरूष अधिकारी	सदस्य
3–	अपर सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद	सदस्य
4–	श्रीमती सीमा जौनसारी, उप निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।	सदस्य/सचिव
5–	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित महिला चिकित्साधिकारी	सदस्य
6–	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित महिला पुलिस अधिकारी।	सदस्य
7–	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा नामित महिला अधिकारी	सदस्य

2. समिति में नामित अधिकारियों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों में किसी भी समय निदेशालय द्वारा सम्बर्द्धन/परिवर्तन किया जा सकता है। स्वैच्छिक संगठन के सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई मानदेय, भत्ता आदि देय नहीं होगा।
3. समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई/जॉचोपरान्त अपनी संस्तुति माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा जनपद स्तरीय समिति तथा जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति को की जायेगी।
4. प्रत्येक जनपद में माध्यमिक विद्यालय/जनपद स्तरीय समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से की जायेगी तथा की गई कार्यवाही की सूचना निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।
5. माध्यमिक विद्यालय व जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों तथा राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायती प्रकरणों की सुनवाई/जॉच हेतु राज्य स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी तथा की गई कार्यवाही की सूचना महिला आयोग व शासन को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

(एन0एन0पी0 पाण्डे)
अपर निदेशक
विद्यालय शिक्षा,
उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0स0: विविध/ /महिला यौन उत्पीड़न/ 2006–07 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– श्रीमती पुष्पा मानस, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान मिशन, देहरादून।

3– अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकोष्ठ हेतु एक पुरूष अधिकारी को नामित कर नामित अधिकारी का नाम व पता निदेशालय को उपलब्ध कराने का कट करें।

4– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद।

5– श्रीमती सीमा जौनसारी, उप निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकोष्ठ हेतु एक महिला चिकित्साधिकारी को नामित कर नामित अधिकारी का नाम व पता निदेशालय को उपलब्ध कराने का कट करें।

7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकोष्ठ हेतु एक महिला चिकित्साधिकारी को नामित कर नामित अधिकारी का नाम व पता निदेशालय को उपलब्ध कराने का कट करें।

8– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकोष्ठ हेतु एक महिला अधिकारी को नामित कर नामित अधिकारी का नाम व पता निदेशालय को उपलब्ध कराने का कट करें।

9– जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्तानुसार माध्यमिक विद्यालय/ जनपद स्तर पर प्रकोष्ठ गठित कर कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

10– अनुसचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन को उनके उक्त पत्र संख्या 161/ग्प्ट–2(5)/2006 दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

एन0एन0पी0 पाण्डे
अपर निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड
देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

आयोग का पता एवं दूरभाष

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग,
नन्दा की चौकी प्रेमनगर,उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

क्र0	पद नाम	नाम
1	अध्यक्ष	रिक्त
2	उपाध्यक्ष	श्रीमती प्रभावती गौड
3	उपाध्यक्ष	श्रीमती अमिता लोहनी
4	सदस्य–सचिव	श्रीमती सुजाता
5	सदस्य, चमोली	श्रीमती रैजा चौधरी
6	सदस्य, उधमसिंह नगर	श्रमती जया जोशी
7	सदस्य, देहरादून	श्रीमती कृष्णा खत्री
8	सदस्य, उत्तरकाशी	श्रीमती पुष्पा गौतम
9	सदस्य, पिथौरागढ़	श्रीमती तारा पांगती
10	सदस्य, चम्पावत	श्रीमती सरोज देवी
11	सदस्य, पौड़ी	श्रीमती आशा नेगी
12	सदस्य, हरिद्वार	श्रीमती गजाला जबी
13	सदस्य, ब्रगेश्वर	श्रीमती बिशाखा खेतबाल
14	सदस्य, रूद्रप्रयाग	श्री बिमला खन्ना
15	सदस्य, नैनीताल	श्रीमती बसन्ती आर्या
16	सहायक लेखाकार	श्री महबूब आलम
17	कनिष्ठ सहायक	श्रीमती शानू रावत
18	आशुलिपिक	कु0 अंजली ध्यानी
19	डाटा आपरेटर	श्री विरेन्द्र रावत
20	डाटा आपरेटर	श्रीमती रीना बिजल्वाण
21	अनुसेवक	श्री दिनेश कुमार
22	वाहन चालक	श्री राजेन्द्र प्रसाद रतूडी
23	अनुसेवक	श्री दयाल सिह राणा

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

क्र.	पद नाम	स्वीकृत प्द	वेतनमान	स्वीकृति शासनादेश की संख्या व दिनॉक	अभ्युक्ति
1	सदस्य–सचिव	01	8000–13500	महिला सशक्तिकरण एवं वाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या 904/XVII(2)/2009 दिनॉक 22 जून, 2009	महिला अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर
2	विधि अधिकारी	01	20000 प्रतिमाह मानदेय		संविदा पर महिला अधिकारी नियुक्त की जायेगी
3	परामर्शदाता	01	तदैव		तदैव
4	सहायक लेखाकार	01	4500–7000		अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
5	कनिष्ठ सहायक	01	6000 प्रतिमाह मानदेय		संविदा के आधार पर
6	आशुलिपिक कम डाटा आपरेटर	01	6000 प्रतिमाह मानदेय		संविदा के आधार पर
7	अनुसेवक	02	4000 प्रतिमाह मानदेय		संविदा के आधार पर
8	वाहन चालक	01	उपनल से		संविदा के आधार पर

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की

धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टिया उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
,उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट

आयोग से सम्बन्धित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

आयोग से सम्बन्धित नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
,उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

कोई नहीं

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–15

सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

आयोग में कार्यालय समय के अर्न्तगत अभिलेखों के परीक्षण/अध्ययन हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2775817

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	पद नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नंबर
1	सहायक लेखाकार लोक सूचना अधिकारी	उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग नन्दा की चौकी प्रेमनगर, देहरादून।	0135–2775817 फैक्स 0135–2775817

विभागीय अपील अधिकारी

क्र.	पद नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नंबर
1	सदस्य–सचिव	उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग नन्दा की चौकी प्रेमनगर, देहरादून।	0135–2775817 फैक्स 0135–2775817

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

की धारा 4(1) ख के अर्न्तगत

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

पता

ई–63, राजपुर रोड,
उत्तराखण्ड देहरादून।
फोन नं0135–2740071

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

क्रमॉक 43 सन् 2005

(13 सितम्बर, 2005)

ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिम विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गण राज्य के छपपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 है।

2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

टिप्पणी

प्रवर्तन का दिनॉक :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र0 का0आ0 1776(अ) दिनॉक 17 अक्टूबर, 2006 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3(पप) दिनॉक 17–10–2006 पृष्ठ 1 पर प्रकाशित, – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा अक्टूबर, 2006 के छब्बीसवें दिन को ऐसी तारीख नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है,

(ख) "बालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है,

(ग) "प्रतिकर आदेश" से, धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है,

(घ) "अभिरक्षा आदेश" से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है,

(ड.) "घरेलू घटना रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो,

(च) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत हो, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की

प्रकृत्ति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक

साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं,

(छ) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है,

(ज) "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है,

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उप क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थाई रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथस्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है,

(ञ) "चिकित्सीय सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए,

(ट) "धनीय राहत" से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले की सुनवाइ के दौरान, किसी प्रक्रम पर, व्यथित को संदाय करने के लिए, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा,

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा,

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ढ) "संरक्षण अधिकारी" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(ण) "संरक्षण आदेश" से धारा 18 के निबंधनों के अनुसार किया गया कोई आदेश, अभिप्रेत है,

(त) "निवास आदेश" से धारा 19 की उपधारा (1) के निवंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है,

(थ) "प्रत्यथी" से कोई व्ययस्क पुरूष अभिप्रेत है जो व्यथित की घरेलू नातेदारी में है या रहा हैऔर जिसके विरूद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा हैं,

परन्तु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरूष भागीदार के किसी नातेदार के विरूद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी,

(द) "सेवा प्रदाता" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है,

(ध) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहॉ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी धरेलू नातेदारी मे या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकारी, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत, ऐसी

गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है,

(न) "आश्रम गृह" से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रम गृह के रूप में, अधिसूचित किया जाए।

अध्याय 2
धरेलू हिंसा

3 .धरेलू हिंसा की प्ररिभाषा :– इस अधिनिम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण, धरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, –

(क) व्यथित के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुॅचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरूपयोग, लैगिक दुरूपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग और अर्थिक दुरूपयोग कारित करना भी है, या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरूद्ध मॉग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुॅचाता है या संकटापन्न करता है, या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुॅचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहें वह शारीरिक हो या मानसिक।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(प) "शारीरिक दुरूपयोग" से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत

हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है,

(पप) "लैंगिक, दुरूपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरूपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है,

(पपप) "मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,–

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार गाली और विशेष रूप से सन्तान या

नर बालक न होने के संबंध में अपमान या उपहास, और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शरीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकिया देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हित्बद्ध है,

(पअ) "आर्थिक दुरूपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हो या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक के संदाय, से वंचित करना,

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इसके सदृश या अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रामण, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उनके प्रयोग के लिए हकदार हैं या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसका स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित करने वाली कोई अन्य संपत्ति और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका धरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुॅच भी है, लगातार पहुॅच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन।

स्पष्टीकरण 2– यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण इस धारा के अधीन "धरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 3
संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियॉ और कर्तव्य

4–संरक्षण अधिकारियों को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन :– (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका हो या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

5: पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट, के कर्तब्य, – कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह, व्यथित व्यक्ति को –

(क) इस अधिनियम के अधीन, किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप मे किसी राहत को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकारी की,

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की,

(ग) संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की,

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकारी की,

(ड.) जहॉ कही सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की, जानकारी देगा,

परन्तु इस अधिनियम के किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेप अपराध के किए जाने के बारे मे जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है।

6– आश्रय गृहों के कर्तव्य, – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा।

7– चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तब्य, – यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सीय सुविधा का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

8– संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहॉ तक सम्भव हो, महिलाएँ होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएँ और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

9– संरक्षण अधिकारियों के कर्तब्य और कृत्य,– (1) संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना,

(ख) किसी मजिस्ट्रेट को, किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को उसकी प्रतियॉ अग्रेषित

करके, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर हिंसा का होना अभिकथित किया गया है और उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को उसकी प्रतियॉ अग्रेसित करके, किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, करना,

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वॉछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाएँ, आवेदन करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है विहित प्ररूप को जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराए जाने को,

(ड.) सभी सेवा प्रदाताओं को जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में, विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृहों और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, एक सूची का अनुरक्षण करना,

(च) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, जहॉ वह आश्रय गृह अवस्थित है, अग्रेषित करना,

(छ) यदि व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियॉ हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहॉ घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया अया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना,

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय राहत के लिए आदेश का, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है,

(झ) ऐसे अन्य कर्तब्यों का, जो विहित किए जाएँ, पालन करना।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तब्यों का पालन करेगा।

10– सेवा प्रदाता, – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अन्तर्गत विधिक सहायता, विकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी –

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वॉछा करता हो तो विहित रूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहॉ घरेलू

हिसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना,

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी को और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया जाता है यदि वह ऐसी वांछा करती है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रम गृह में सौपे जाने की रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा
के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के,जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरूद्ध न होंगी।

11– सरकार के कर्तव्य,– केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का नियमित अन्तरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियों
और प्रिंट मीडिया है,

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के जिनके अन्तर्गत

पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी है, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवाद्यको पर समय–समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया गया है,

(ग) विधि, गृह मामलों से संव्यवहार करने वाले उन सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा जिनके अन्तर्गत घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को उठाने के लिए विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन भी हैं, उपलब्ध करायी गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उसका कालिक नियत पुनर्विलोकन किया जाता है,

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवाओं के परिदान से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अन्तर्गत न्यायालय तैयार करना और उन्हें प्रतिष्ठापित करना भी है।

अध्याय–4

अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

12–मजिस्ट्रेट को आवेदन – (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद् संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है,

परन्तु जहॉ किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में रकम के लिए, व्यथित
व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरूद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष
रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियॉ जो विहित की जाए या यथासम्भव उसके निकटतम रूप में अन्तर्विष्ट होगा।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।

13– सूचना की तामील,– (1) धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना, मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा

निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे साधनों द्वारा जो उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम दो दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय की भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तामील करवाएगा।

(2) संरक्षण अधिकारी द्वारा क गई सूचना की तामील की घोषणा, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की तामील प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है, जब तक प्रतिकूल साबित नही कर दिया जाता है।

14– परामर्श, – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम, पर, प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को, अकेले या सयुक्ततः सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से, जो परामर्श में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता है, जो विहित की जाएं परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा।

(2) जहॉ मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहॉ वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख, दो मास से अनधिक के भीतर नियत करेगा।

15– कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, – इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसी व्यक्ति की, अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह उचित समझे, इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संबर्धन में लगा हुआ है, सेवाऍ प्राप्त कर सकेगा।

16– कार्यवाहियों का बन्द कमरे में किया जाना, – यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियॉ बन्द कमरे में संचालित कर सकेगा।

17– साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

18– संरक्षण आदेश, – मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध करते हुए एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा, –

(क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना,

(ख) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरित करना,

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहॉ व्यथित बार–बार आता जाता है, प्रवेश करना,

(घ) व्यथित व्यक्ति से सम्पर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हों, इसके अन्तर्गत वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलैक्ट्रानिक या दूरभाषीय सम्पर्क भी है,

(ड.) किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रामण करना, उन बैंक लोकरों या बैंक

खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उसका स्त्रीधन या अन्य कोई सम्पत्ति भी है, जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथकतः धारित की हुई है,

(च) आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरूद्ध सहायता देता है, के साथ हिंसा कारित करना,

(छ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है।

19– निवास आदेश, – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा :–

(क) साझी गृहस्थी से, किसी व्यथित व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करना या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विध्न डालने से प्रथ्यर्थी को अवरूद्ध करना, चाहें प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं,

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना,

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरूद्ध करना,

(ध) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रान्त करने या व्ययनित करने या उसके बिल्लंगम करने से अवरूद्ध करना,

(ड.) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरूद्ध करना, या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियॉ ऐसी अपेक्षा करें, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी सन्तान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर संकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा निवारण के लिए प्रत्यर्थी से, एक बन्धपत्र, प्रतिभूओं सहित या उसके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) की अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन के उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए, निकटतम पुलिस थाने के

भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के निर्मोचन से सम्बन्धित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पहुॅचा जाता है, निदेश कर सकेगा।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यथी को निदेश दे सकेगा।

20– धनीय अनुतोष, – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी सन्तान को उपगत व्यय और कारित नुकसान की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगे किन्तु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी –

(क) उपार्जनों की हानि,

(ख) चिकित्सीय खर्चे,

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाये

जाने के कारण हुई हानि, और

(घ) उसकी सन्तान, यदि कोई हों के साथ–साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण–पोषण, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण–पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्थ है, संगत होगा।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृत्ति और परिस्थितियॉ, अपेक्षा करें, भरण–पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी।

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दी गई धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबन्धनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक को या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा।

21– अभिरक्षा आदेश,– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट,, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोंष के

लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी सन्तान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी सन्तान को देखने का प्रबन्ध विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट सन्तान के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इन्कार करेगा।

22, – प्रतिकर आदेश, – अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षति के लिए, जिसके अन्तर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक संकट सम्मिलित है, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा।

23, – अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति, – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो उचित और न्यायोचित हो, पारित कर सकेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्टया कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या किया है, या यह कि यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, यथास्थिति, धारा 22 के अधीन व्यथित व्यक्ति के शपथपत्र के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा।

24, – न्यायालय को आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, – मजिस्ट्रेट, सभी मामलों में, जहॉ उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया है, वहॉ यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया गया है, और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई सेवा प्रदाता अवस्थित है और यदि किसी सेवा प्रदाता ने उस सेवा प्रदाता को किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किया है, निःशुल्क देगा।

25, – आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन, – (1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्ष आदेश तब तक प्रवृत्त होगा जब तक व्यथित व्यक्ति निर्मोचन के लिए आवेदन करता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी प्रदेश में परिवर्तन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपेक्षित है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा।

26, – अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष,– (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय

या किसी दाण्डिक न्यायालय के समक्ष व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात आरम्भ की गई हो, ईप्सित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और

उसके साथ–साथ कि व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद् या विधिक कार्यवाही में वांछा कर सकेगा, ईप्सित किया जा सकेगा।

(3) किसी मामले में, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।

27, – अधिकारिता, – (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जहॉ ––

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित हैः या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित हैः, या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है,

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा।

28, – प्रक्रिया, – (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियॉ और धारा 31 के अधीन अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) उप धारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से निवारित नहीं केरगी।

29, – अपील, – उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील की जाएगी।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

30, – संरक्षण अधिकायिों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना, – इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

31, – प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति, – (1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अन्तरिम संरक्षण आदेश का भंग, इस अधिनियम के अधीन एक अपराघ होगा और ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अभिकथित भंग के लिए आदेश पारित किया था।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरोपों को विरचित करते समय, मजिस्ट्रेट, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क या उस संहिता के किसी अन्य उपबन्घ या दहेज प्रतिषेध

अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा, यदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबन्धों के अधीन कोई अपराध हुआ है।

32, – संज्ञान और सबूत, – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है।

33, – संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तब्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति, – यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा तथा निदेशित अपने कर्तब्यों का, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना, निर्वहन करने में असफल रहता है या इन्कार करता है तो उसे ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

34, – संरक्षण अधिकारी द्वारा किए आपराध का संज्ञान, – संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है।

35, – सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी।

36, – अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना, – इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त और न कि उनके अन्यूनीकरण में होंगे।

37, – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति, – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वे अर्हताएँ और अनुभव, जो धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी संरक्षण अधिकारी के पास होंगे,

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते,

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई घरेलू घटना रिपोर्ट बनाई जा सकेगी,

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को कोई आवेदन किया जा सकेगा,

(ड.) वह प्रारूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई परिवाद फाइल किया जाएगा,

(च) धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्य कर्तव्य,

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम,

(ज) वह प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुतोष की वांछा करने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) के लिए कोई आवेदन और वे विशिष्टियॉ जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगी,

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं की तामील की युक्तियॉ

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्ररूप,

(ट) परामर्श देने के लिए अर्हताएँ और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे,

(ठ) वह प्ररूप, जिसमें कोई शपथपत्र, धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सके,

(ड) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा।

————————

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र0 सा0 का0 नि0 644 (अ) दिनॉक 17 अक्टूबर, 2006 ,– केन्द्रीय सरकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 है।

(2) ये अक्टूबर, 2006 के छब्बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।,

2 – परिभाषाएँ, – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, –

(क) "अधिनियम" से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) अभिप्रेत है,

(ख) "शिकायत" से संरक्षण अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई मौखिक या लिखित अभिकथन अभिप्रेत है,

(ग) "परामर्शदाता" से सेवा प्रदाता का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन परामर्श देने के लिए सक्षम हो,

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है,

(ड.) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है,

(च) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3 – संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएँ और अनुभ्व, – (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठनो के सदस्य हो सकेंगे :

परन्तु महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी।

(2) अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होगा।

(3) संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम तीन वर्ष का अवधि होगी।

(4) राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को अधिनयम और इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध कराएगी।

4 – संरक्षण अधिकारियों को सूचना,– (1) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की सम्भावना है वह इसके बारे में सूचना उस क्षेत्र में अधिकारित रखने वाले संरक्षण अधिकारी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन संरक्षण अधिकारी को मौखिक सूचना देने की दशा में, वह उसे लेखबद्ध कराएगा/कराएगी और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उस पर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और सूचना देने वाला लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं है तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का अभिलेख रखेगा।

(3) संरक्षण अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित की गई सूचना की प्राप्ति तुरंत बिना

खर्चे के सूचना देने वाले को देगा।

5 – घरेलू हिंसा की रिपोर्ट, – (1) संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर
प्ररूप–1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी प्रतियॉ स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर जहॉ ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, के पुंलिस थाना के भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजेगा।

(2) किसी व्यथित व्यक्ति के अनुरोघ पर, कोई सेवा प्रदाता प्ररूप–1 में घरेलू हिंसा रिपोर्ट अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले उस संरक्षण अधिकारी को, जहॉ ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, भेजेगा।

6– मजिस्ट्रेट को आवेदन – (1) व्यथित व्यक्ति का प्रत्येक आवेदन धारा 12 के अधीन प्ररूप–2 या उसके यथासंभव निकटतम रूप में होगा।

(2) कोई व्यथित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपने आवेदन पत्र को तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकेगी और उसे संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगी।

(3) व्यथित व्यक्ति के अशिक्षित होने की दशा में, संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र को पढ़ेगा और उसकी अंतर्वस्तु को उसे समझाएगा।

(4) घारा 23 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए जाने वाला शपथ पत्र प्ररूप–3 में होगा।

(5) आवेदन धारा 12 के अधीन निपटाये जाएंगें और आदेशों का प्रवर्तन उसी रीति में होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन अधिकथित है।

7 – मजिस्ट्रेट का एकपक्षीय आदेश को प्राप्त करने का लिए शपथ पत्र, – धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए फाइल किया गया प्रत्येक शपथ पत्र प्ररूप–3 में होगा।

8 – संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, – (1) संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा –

;पद्ध व्यथित व्यक्ति को, अधिनियम के अधीन कोई शिकायत करने के लिए यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करे, सहायता देना,

;पपद्ध अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को प्ररूप–4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना जो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगी,

(iii) किसी व्यक्ति को धारा 12 या धारा 23 की उपधारा (2) या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई आवेदन करने के लिए सहायता करना,

(iv) धारा 12 के अधीन कोई आवेदन देने पर प्ररूप–5 में व्यथित व्यक्ति के परामर्श से उस स्थिति में अंतर्वलित खतरों का निर्धारण करने के पश्चात् "सुरक्षा योजना" तैयार करना जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को और घरेलू हिंसा से निवारित करने के लिए उपाय भी है, और

(v) व्यथित व्यक्ति को राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराना,

(vi) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को किसी चिकित्सा सुविधा पर चिकित्सा सहायता करने में सहायता करना जिसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए परिवहन उपलब्ध कराना भी है,

(vii) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को आश्रय के लिए परिवहन प्रदान करने के लिए सहायता करना,

(viii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं को सूचना देना कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में उनकी सेवाओं की अपेक्षा की जा सकेगी

और अधिनियम के अधीन धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 15 के अधीन कल्याण विशेषज्ञों को कार्यवाहियों में परामर्शियों के रूप में उसके सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित करना,

;पगद्ध परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनों की संवीक्षा करना और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध परामर्शियों की सूची भेजना,

;गद्ध उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची को तीन वर्ष में एक बार नए आवेदन मंगाकर पुनरीक्षित करना और उस आधार पर परामर्शदाताओं की पुनरीक्षित सूची को संबंद्ध मजिस्ट्रेट को भेजना,

;गपद्ध धारा 9, धारा 12, धारा 20, धारा 21 धारा 22, धारा 23 या अधिनियम या इन नियमों के किन्ही उपबंधों के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट और दस्तावेजों के अभिलेख या प्रतियॉ रखना,

(xii) व्यथित व्यक्ति और बालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यथित व्यक्ति का घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है या दबाव नहीं डाला जा रहा है, सभी संभव सहायता उपलब्ध कराना,

(xiii) व्यथित व्यक्ति या व्यक्तियों, पुलिस और सेवा प्रदाताओं के बीच अधिनियम या इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति से संपर्क रखना,

(xiv) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा सुविधा और आश्रयगृहों के उचित अभिलेख रखना,

(2) संरक्षण अधिकारी को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज) के अधीन, समानुदेशित दायित्वों और कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा –

(क) घरेलू हिंसा के व्यथित व्यक्तियों को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में संरक्षण देना,

(ख) व्यथित व्यक्ति के विरूद्ध घरेलू हिंसा की आवृतियों को रोकने के लिए, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सभी युक्तियुक्त उपाय करना।

9 – आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही, – यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई–मेल या किसी टेलीफोन काल या उसी रूप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

10 – संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तब्य,– (1) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निदेश दिया जाए, तो संरक्षण अधिकारी –

(क) साझी गृहस्थी में निवास के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरम्भिक जॉच करेगा यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को एक पक्षीय अन्तरिम राहत देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे गृह
निरीक्षण के लिए आदेश पारित करेगा,

(ख) समुचित जॉच करने के पश्चात्, उपलब्धियों, आस्तियों, बैंक खातों या न्यायालय द्वारा निदेशित किए गए किन्ही अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाइल करेगा,

(ग) व्यथित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा जिसके अन्तर्गत उपहार और आभूषण और साझी गृहस्थी का सामान भी है,

(घ) व्यथित व्यक्ति को बालकों की अभिरक्षा पुनः प्राप्त कराने में सहायता देगा और उनके अधीक्षण के अधीन उनके निरीक्षण के अधिकार को, जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जांए, सुनिश्चित करेगा,

(ड.) मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में आदेशों जिसमें धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 23 के अधीन आदेश भी हैं, को ऐसी रीति में जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाए, प्रवर्तन कराने में न्यायालय की सहायता करेगा,

(च) यदि अभिकथित घरेलू हिंसा में अंतर्वलित किसी अस्त्र के अधिहरण में, यदि अपेक्षित हो पुलिस की सहायता लेगा।

(2) संरक्षण अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी अनुपालन करेगा, जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम और इन नियमों को समय–समय पर प्रभावी करने के लिए समानुदेशित किए जाए।

(3) मजिस्ट्रेट, किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए आदेशों के अतिरिक्त, मामलों के अच्छे प्रबन्धन के लिए अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निदेश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

11 – सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, – (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वयंसेवी संगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या कोई कम्पनी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान्य साधनों जिसके अन्तर्गत विधिक सहायता चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायताऐं है और अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में सेवाऍं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हो, रक्षा करने के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी है, राज्य सरकार को प्ररूप–6 में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और आवेदक की उपयुक्तता के बारे में स्वयं समाधान होने के पश्चात्, उसे सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर करेगी और ऐसी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगीः

परन्तु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संगम या कंपनी जो धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहती है निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड रखेगी, अर्थात् :–

(क) वह अधिनियम और इन नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले

से इस अधिनियम के अधीन प्रस्थापित की जाने वाली प्रकार की सेवाएँ कर रहा हो,

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदकों के मामले में, जो किन्ही चिकित्सा

सुविधा या मनोविज्ञान सलाह केन्द्र या कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहे हैं, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक ऐसी सुविधा या संस्था को चलाने के लिए अपने–अपने वृत्तिकों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले अपने–अपने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हों,

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदक की दशा में, जो किसी आश्रयगृह को चला रहे हैं, राज्य सरकार, उसके प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा आश्रयगृह का निरीक्षण कराएगी, रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसके निष्कर्षो को अभिलिखित करेगी जिसमें निम्नलिखि ब्यौरे होगे –

(i) आश्रय चाहने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने के लिए ऐसे आश्रयगृहो को अधिकतम् क्षमता,

(ii) महिलाओं के लिए आश्रयगृहों को चलाने के लिए सुरक्षित स्थान है और आश्रयगृहों के लिए स्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है,

(iii) आश्रयगृहों के लिए कोई चालू टेलीफोन कनेक्शन या वासियों के उपयोग के लिए अन्य संसूचना माध्यम हैं।

(3) राज्य सरकार, संबंद्ध संरक्षण अधिकारियों को विभिन्न स्थानों में सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और ऐसी सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगी या उसे वैब साइट पर रखेगी।

(4) संरक्षण अधिकारी, सम्यक् रूप से अनुक्रमॉकित रजिस्टरों द्वारा समुचित अभिलेखों के रजिस्टर रखेगा जिसमें सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे भी होंगे।

12 – सूचना की तामील का माध्यम – (1) अधिनियम के अधीन संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में उपसंजात होने के लिए सूचना में घरेलू हिंसा करने वाले अभिकथित व्यक्ति का नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति और ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो संबद्ध व्यक्ति की पहचान को सुकर बना सकें।

(2) सूचना की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की बाबत सूचनाओं की तामील संरक्षण अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो संरक्षण

अधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऐसी सूचना की तामील करने के लिए निदेशित किया जाए, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या व्यथित व्यक्ति द्वारा भारत में प्रत्यर्थी के उस पते पर जहॉ प्रत्यर्थी मामूली रूप से निवास कर रहा है या जहॉ प्रत्यर्थी अभिकथित रूप से लाभ के लिए नियोजित है, कराई जाएगी,

(ख) सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो उस समय ऐसे स्थान का भारसाधक है और उस दशा में जहॉ ऐसा परिदान संभव न हो तो उसे परसिर के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाएगा,

(ग) धारा 13 या अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन उस सूचना की तामील के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 5 के उपबंध

तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय–6 के अधीन उपबंध जहॉ तक व्यवहार्य हो, अपनाए जा सकेंगे,

(घ) सूचनाओं की ऐसी तामील के लिए पारित किसी आदेश का वही प्रभाव होगा जो क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 या दंड प्रक्रिया संहिता
1973 के अध्याय–6 में पारित आदेशों को होता, धारा 13 या अधिनियम की किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी तामील के लिए कोई आदेश करने के लिए प्रभावकारी पाई गई प्रक्रिया पर निर्भर रहते हुए और आदेश 5 या अध्याय–6 के अधीन विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायालय, अधिनियम में उपबंधित समय सीमा का पालन करने के लिए कार्यवाहियों को शीध्रता से चलाने की दृष्टि से अन्य आवश्यक उपायों के लिए भी निदेश दे सकेगा।

(3) प्रत्यर्थी के उपस्थित होने की नियत तारीख को किसी कथन पर या अधिनियम के अधीन सूचना की तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की इस रिपोर्ट पर, कि तामील कर दी गई है, शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी या दोनों को सूनने के पश्चात् अंतरिम राहत के लिए लंबित किसी आवेदन पर न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जाएगा।

(4) जब प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी में प्रवेश करने से अवरूद्ध करने का संरक्षण आदेश पारित किया जाता है या प्रत्यथी को आदेश दिया जाता है कि वह याची से दूर रहे या उससे संपर्क न करे, तब व्यथित व्यक्ति की किसी भी कार्यवाही को, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा आमंत्रण भी है, न्यायालय आदेश द्वारा प्रत्यर्थी पर अधिरोपित अवरोध को हटाना नहीं समझा जाएगा जब तक कि ऐसा संरक्षण आदेश धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में सम्यक् रूप से उपांतरित नहीं कर दिया जाता।

13 – परामर्शदाताओं की नियुक्ति, – (1) संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्यवाही में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात् :–

(प) कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय–वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबद्ध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा

लिखित रूप में ऐसे आदेश का अभित्यजन न कर दिया गया हो।

(पप) कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबद्ध कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो।

(3) परामर्शदाता जहॉ तक संभव हो महिला होगी।

14 – परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, – (1) परामर्शदाता, न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति या दानों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे।

(3) परामर्श के लिए बुलाए गए कारकों के अंतर्गत एक कारक यह भी होगा कि प्रत्यर्थी यह वचनबंध देगा कि वह ऐसी घरेलू हिंसा से जो परिवादी द्वारा शिकायत की गई है, दूर रहेगा और समुचित मामले में यह वचनबंध देगा कि वह मिलने का प्रयास नहीं करेगा या परामर्शदाताा के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश से विधि या आदेश से अनुज्ञेय

के सिवाय संसूचना की किसी रीति में पत्र या टेलीफोन, इलेक्ट्रानिक मेल या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

(4) परामर्शदाता, परामर्श कार्यवाहियों को यह ध्यान में रखते हुए संचालित करेगा कि परामर्श या आश्वासन प्राप्त करने की प्रकृति का हो कि घरेलू हिंसा की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी।

(5) प्रत्यर्थी उस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए किसी प्रति
न्यायोचित्य के लिए अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई न्यायोचित्व परामर्श कार्यवाहियॉ, जो कार्यवाहियॉ प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्यर्थी की जानकारी में होनी चाहिए, के भाग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) प्रत्यर्थी को परामर्शदाता यह वचनबंघ देगा कि वह व्यथित व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में ऐसी घरेलू हिंसा करने से अपने को दूर रखेगा और उपयुक्त मामलों मे यह बचन देगा कि वह परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों के सिवाय पत्र या टेलीफोन द्वारा ऐसी किसी रीति में संसूचना, ई–मेंल या किसी अन्य माध्यम से मिलने का प्रयास नहीं करेगा।

(7) यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करे, तो परामर्शदाता, मामले के समाधान के लिए प्रयास करेगा।

(8) परामर्शदाता के प्रयासों की सीमित परिधि मे व्यथित व्यक्ति की शिकायत को समझने की है और उसकी शिकायत पर उत्तम संभावित समाधान और प्रयास ऐसे समाधानों के लिए निवारणों और उपायों को ध्यान मे रखते हुए करेगा।

(9) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति की शिकायत के समाधान के लिए सुझाऐ गये उपयों द्वारा समाधान के लिए निबंधनों के पुनः निश्चित करने और परामर्श के लिए पक्षकारों द्वारा सुझाऐ गए उपयों या उपचारों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित हों समाघान पर पहुॅचने का प्रयास करेगा।

(10) परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों द्वारा आबद्ध नहीं होगा और वह उसका कार्य निष्पक्षता और न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा और उसका उद्देश्य व्यथित व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा और परामर्शदाता इस निमित्त ऐसे प्रयास करते समय व्यथित व्यक्ति की इच्छाओं और संवेदनाओं का सम्यक ध्यान रखेगा।

(11) परामर्शदाता, मजिस्ट्रेट को समुचित कार्यवाही के लिए यथासम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा।

(12) परामर्शदाता विवाद के समाधान पर पहुॅचते समय वह समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और उसे पक्षकारों द्वारा पृष्ठाकिंत कराएगा।

(13) न्यायालय, समाधान की प्रभावकारिता के बारे में समाधान हो जाने पर और पक्षकारों से आरम्भिक पूछताछ करने के पश्चात् तथा ऐसे समाधान के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् जिसके अन्तर्गत प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, प्रत्यर्थी द्वारा किए जाने की स्वीकार्यता, शर्तो के साथ या बिना निबंधनों को स्वीकार करने के लिए भी है।

(14) न्यायालय का परामर्श की रिपोर्ट से समाघान हो जाने पर समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा या व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर पक्षकारों की सहमति से, समझौते के निबंधनों को उपान्तरित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा।

(15) उन दशाओं में जहॉ परामर्श कार्यवाहियों पर किसी समझौते के निष्कर्ष पर नहीं पहुॅच सकते वहॉ, परमर्शदाता ऐसे कार्यवाहियों के असफल होने की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और न्यायालय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मामले में कार्यवाही करेगा।

(16) मामले में कार्यवाहियों के अभिलेख सारवान अभिलेख नहीं समझे जाएंगे, जिनके आधार पर कोई सन्दर्भ अर्थ निकाला जा सके या उसके आधार पर केवल आदेश पारित किया जा सकेगा।

(17) न्यायालय, धारा 25 के अधीन केवल यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे कोई आदेश के लिए आवेदन बल, कपट या प्रपीड़न या किसी अन्य कारण के द्वारा निष्फल नहीं होगा, आदेंश पारित करेगा और उस आदेश के ऐसे समाधान के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया कोई बचनबंध या प्रतिभूति भी हो सकेगी।

15 – संरक्षण आदेशों का भंग होना, – (1) कोई व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या किसी अन्तरिम संरक्षण आदेश के भंग की रिपोर्ट कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक रिपोर्ट सूचना देने वाले द्वारा लिखित में होगी और व्यथित द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगी।

(3) संरक्षण अधिकारी ऐसी शिकायत की एक प्रति ऐसे संरक्षण आदेश के साथ भेजेगा जिसके भंग होने का अभिकथन किया गया है, समुचित आदेशों के लिए संबंद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(4) व्यथित व्यक्ति यदि वह ऐसी वांछा करती है तो, संरक्षण आदेश या अन्तरिम संरक्षण आदेश के भंग की शिकायत सीधे, यदि वह ऐसा चयन करें, मजिस्ट्रेट या पुलिस को कर सकेगी।

(5) यदि संरक्षण आदेश के भंग किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, व्यथित व्यक्ति सहायता चाहती है तो, संरक्षण अधिकारी तुरन्त स्थानीय पुलिस थाने से उसको बचाने के लिए पुलिस मॉग सकेगा और समुचित मामलों में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने में व्यथित व्यक्ति की सहायता कर सकेगा।

(6) जब धारा 31 या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 498 क के अधीन अपराधों के संबंध में या किसी अन्य अपराध के संबंध में जो संक्षिप्त विचारणीय नहीं है, आरोप बिरचित किये जाते हैं तथा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित रीति में विचारण किए जाने वाले ऐसे अपराधों के लिए कार्यवाहियों को पृथक कर

सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 21 के उपबन्धों कें अनुसरण में धारा 31 के अधीन संरक्षण आदेश को भंग करने के अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया आरम्भ कर सकेगा ।

(7) प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के आदेशों के प्रत्यावर्तन में कोई अवरोध या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, अधिनियम के अधीन आने वाले संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना समझा जाएगा।

(8) किसी संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का कोई भंग होने पर तत्काल स्थानीय अधिकारिता रखने वाले स्थानीय पुलिस थाने को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी और उस पर घारा 31 और घारा 32 के अधीन यथा उपबंधित संज्ञेप अपराघ के रूप में कार्यवाही की जाएगी।

(9) जब अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय न्यायालय आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें लगा सकेगा और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें निम्नलिखित सम्मलित होंगे–

(क) अभियुक्त को घरेलू हिंसा के किसी कृत्य कारित करने की धमकी देने या करने से अवरूद्ध करने का कोई आदेशः,

(ख) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति को परेशान करने, टेलीफोन करने या कोई संपर्क करने से रोकने का कोई आदेशः,

(ग) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति के निवास स्थान या किसी अन्य स्थान पर, जहॉ उसके जाने की संभावना हो, खाली करने या उससे दूर रहने का कोई आदेशः,

(घ) कोई आग्नेय अस्त्र या कोई अन्य खतरनाक हथियार के कब्जे में रखने या उपयोग करने से प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेशः,

(ड.) एल्कोहल या कोई अन्य मादक ओषधि के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेशः,

(च) कोई अन्य आदेश जो व्यथित व्यक्ति के संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त अनुतोष के लिए अपेक्षित हो।

16 – व्यथित व्यक्ति को आश्रय, – (1) व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति को धारा 6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है।

(2) जब कोई संरक्षण अधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुरोध करता है तो धारा 9 के अधीन या धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगाः

परन्तु आश्रय गृह किसी व्यथित व्यक्ति को उसके आश्रयगृह में आश्रय के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के दर्ज न होने पर, अधिनियम के अधीन आश्रय के लिए मना नहीं करेगा।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करें तो आश्रयगृह व्यथित व्यक्ति की पहचान आश्रयगृह में प्रकट नहीं करेगा या उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, संसूचित

नहीं करेगा।

17 – व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा, – (1) व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 7 के अधीन किया गया है।

(2) जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है कि उसके साथ धरेलू हिंसा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगीः

परन्तु चिकित्सा सुविधा प्रदाता, अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने पर, चिकित्सा सहायता या परीक्षण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा।

(3) यदि धरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा या भारसाधक व्यक्ति इसे प्ररूप 1 में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।

(4) चिकित्सा सुविधा प्रदाता, च्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा।

.....

प्ररूप 1

(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9 (ख) और धारा 37 (2)(ग) के अधीन घरेलू धटना की रिपोर्ट

1— परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :

(1) परिवादी/व्यथित व्यक्ति का नाम :

(2) आयु :

(3) साझी गृहस्थी का पता :

(4) वर्तमान पता :

(5) दूरभाष नं0 यदि कोई हो :

2— प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :

क्रम सं0	नाम	व्यथित व्यक्ति की साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं0 यदि कोई हो :

3— व्यथित व्यक्ति की सन्तानों के, ब्यौरे यदि कोई हों

(क) सन्तानों की संख्या :

(ख) सन्तानों के ब्यौरे :

नम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं

4— धरेलू हिंसा की धटनाएँ :

क्रम सं0	हिंसा की तारीख,स्थान और समय	यह व्यक्ति जिसने धरेलू हिंसा कारित की	धटना का प्रकार शारीरिक हिंसा	टिप्पणी
			किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(प) लैंगिक हिंसा कृपया लागू होन वाले स्तम्भ के सामने ।अ। चिन्हित करें				
			ص बल पूर्वक मैथुन ص अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना ص आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना ص लैंगिक प्रकृति का, दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा के अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृपया नीचे दिए गए खाली सीन में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	

1	2	3	4	5
(पप) मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार				
			ص चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग / कलंक लगाना ص दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना ص पुरूष सन्तान न होने के लिए अपमान करना ص कोई सन्तान न होने के लिए अपमान करना ص अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियॉ / कथन करना ص उपहास करना ص निन्दा करना ص आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना ص आपको नौकरी करने से रोकना ص घर के बाहर जाने से रोकना ص किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना ص अपनी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने पर बल देना	

			صحअपनी पंसद के व्यक्ति से विवाह करने से निवारित करना صح आपको उसकी/उनकी पंसद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना صح अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	

1	2	3	4	5
(पपप) आर्थिक बल प्रयोग				
			صح आपको या आपकी सन्तानो को भरणपोषण के लिए धन न देना صحआपको या आपकी सन्तानोकं को खाना, कपडे. दवाईयॉ आदि उपलब्ध करवाना صح घर के बाहर रहने के लिए मजबूर करना صحआपको घर के किसी भाग में घुसने या उसका प्रयोग करने से रोका जाना صح आपको आपकी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है या उसमें बाधा डाली जा रही है	

			صحनौकरी करने की अनुज्ञा न देना صحभाड़े. पर ली गयी वास–सुविधा की दशा में भाड़ा न देना صح कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना صحआपको सूचित किये बिना और आपकी सहमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बन्धक रख देना صح आपका वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना صحस्त्रीधन का व्ययन करना صح बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना صحकोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग। (कृपया नीचे दिए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	

1	2	3	4	5
(पअ) दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न				
			صحदहेज के लिए की गई मॉग, कृपया विनिर्दिष्ट करें صح देहज से सम्बन्धित कोई अन्य ब्यौरा, कृपया विनिर्दिष्ट करें صح क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्ररूप के साथ संलग्न है صح हॉ صح नहीं	
(अ) आपके या आपकी सन्तानों के विरूद्ध धरेलू हिंसा से समबन्धित कोई अन्य सूचना				

(परिवादी / व्यथित व्यक्ति के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5– संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाण पत्र		
चिकित्सा प्रमाण पत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6– वह आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है

क्रम सं0	आदेश	हॉ/नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भरण पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7– ऐसी सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता हो

क्रम सं0	उपलभ्य सहायता	हॉ/नहीं	सहायता की प्रकृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दाण्डिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रय गृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएँ		
(6)	विधिक सहायता		

8– किसी धरेलू धटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण मे सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश

जहॉ कहीं इस प्ररूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दण्ड संहिता या

किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहॉ पुलिस अधिकारी,–

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके

दाण्डिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ कर सकती है,

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दाण्डिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ करना नहीं चाहती है तो धरेलू हिंसा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित, अभियुक्त के साथ धनिष्ठ प्रकृति के सम्बन्ध होने के कारण धरेलू हिसा के विरूद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती है और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जॉच के लिए लम्बित रखा जाए।

(ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ी की सूचना दी गई है उसे तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सकीय जॉच की जाएगी।

स्थान :
तारीख :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)
नाम :
पता :

(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :–

1– स्थानीय पुलिस थाना
2– सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
3– व्यथित व्यक्ति
4– मजिस्ट्रेट

प्ररूप 2

(नियम 6 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय
.....
.....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा ..... के अधीन आवेदन)

यह दर्शित किया जाता है

1– धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा ..... के अधीन धरेलू धटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा रहा है :–

(क) व्यथित व्यक्ति
(ख) संरक्षण अधिकारी
(ग) व्यथित व्यक्ति की और से कोई अन्य व्यक्ति(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

2– यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय परिवाद/घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान लें और ऐसे सभी या कोई ऐसा आदेश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए।

(क) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करें और/या

(ख) धारा 19 के अधीन निवास आदेश पारित करें और/या

(ग) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष अनुरोध संदाय करने का प्रत्यर्थी को निदेश

दें और/या

(घ) अधिनिय की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करें और/या

(ङ) धारा 22 के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निदेश

दें और/या

(च) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करें जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे

(छ) कोई ऐसा आदेश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों के उचित समझा जाए।

3– अपेक्षित आदेश :

(प) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश

- आवेदन के स्तम्भ 4 (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ) के निबन्धनानुसार वर्णित किसी कार्य को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रत्यर्थी के विरूद्ध व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यों को प्रतिषिद्ध करना
- प्रत्यर्थी को विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यस्थल पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना
- आपको आपकी नौकरी के स्थान पर जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना
- प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) के आपकी सन्तानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य सीन पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना
- आपको आपके विद्यालय जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना
- प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध करना
- प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करना
- प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैंक लाकर/खातों के प्रचालन को प्रतिषिद्ध करना और व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना
- प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/सम्बन्धियों/किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए, दूर रहने का निदेश देना।
- कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(पप) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

- ☐ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,
- ☐ मुझे साझी गृहस्थी से बेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश
- ☐ साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें मैं निवास करती हूँ प्रवेश करने का आदेश
- ☐ साझी गृहस्थी के अन्य संक्रामण/व्ययन/विल्लंगम को रोकने को आदेश
- ☐ साझी गृहस्थी में उसके अधिकारों का त्यजन
- ☐ मेरे निजी चीजबस्त तक पहुँच जारी रखने का हकदार बनाने का आदेश
- ☐ प्रत्यथी (प्रत्यर्थियों) को,
  - उसे साझी गृहस्थी से हटाने
  - उसी स्तर की वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिए किराए का संदाय करने का निदेश देते हुए कोई आदेश
- ☐ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें ☐

(पपप) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ☐ उपार्जनों की हानि की बाबत दावा की गई रकम ☐
- ☐ चिकित्सीय खर्चों की बाबत दावा की गई रकम ☐
- ☐ व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बाबत दावा की गई रकम ☐

खण्ड 10 (घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शारीरिक या मानसिक उपहति

- ☐ दावा की गई रकम ☐
- ☐ कुल दावा की गई रकम ☐
- ☐ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिघ्ट करें ☐

(पअ) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का

निदेश देना :

- ☐ खाद्य, कपडा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ ☐

प्रतिमास

रूपये

- विद्यालय की फीस और उससे सम्बन्धित अन्य खर्च प्रतिमास

  प्रतिमास ☐ रूपये

- गृहस्थी के खर्चे प्रतिमाह ☐ रूपये

- कोई अन्य व्यय प्रतिमाह ☐ रूपये

  कुल व्यय प्रतिमास ☐ रूपये

- कोई अन्य आदेश कृपया विनिर्दिष्ट करें ☐

(अ) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश
प्रत्यर्थी को सन्तान या सन्तानों की अभिरक्षा

☐ व्यथित व्यक्ति को ☐ उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को,
ऐसे का ब्योरा को,सौपने का निदेश

(अप) धारा 22 के अधीन प्रतिकर

(अपप) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें ☐

4. पूर्व मुकदमेबाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क).....के न्यायालय में भारतीय दण्ड सहिता की धारा ..... के अधीन लम्बित है ☐

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे ☐

(ख) .....के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ..... के अधीन लम्बित है ☐

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे ☐

(ग) .....के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा ..... में लम्बित है ☐

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे ☐

(ध) .....के न्यायालय में हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लम्बित है ☐

☐

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौर

(ङ) अधिनियम के धारा ..... के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन

अन्तरिम भरण पोषण रू0 [ ] प्रतिमास

स्वीकृत भरण पोषण रू0 [ ] प्रतिमास

(च) क्या प्रत्यर्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था
एक सप्ताह से कम के लिए
एक मास से कम के लिए
एक मास से अधिक के लिए
कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें

(छ) कोई अन्य आदेश

प्रार्थना :

अतः आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किए गए अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा आदेश/ऐसे आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के दिए गए तथ्यों और परिसम्पत्तियों में व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने कि लिए और न्याय हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान : वरिवादी/व्यथित व्यक्ति
दिनॉक मार्फत
काउंसेल

सत्यापन :

तारीख ..... को ..... (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपायी नहीं गई है।

अभिसाक्षी

संरक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर
तारीख सहित

प्ररूप 3

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23 (2) के अधीन शपथपत्र

न्यायालय ....., एम एम .....

पुलिस थाना .....

..... के मामले में

सुश्री ..... और अन्य ..... परिवादी

बनाम

श्री ..... और अन्य ..... प्रत्यर्थी

शपथपत्र

मैं .....
पत्नी श्री .....
निवासी .....
पुत्री श्री .....
निवासी .....
वर्तमान में ..... पर निवास कर रही हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ और शपथ पर यह घोषण करती हूँ कि

1– मैं, अपने स्वयं और मेरी पुत्री/पुत्र के ..... लिए फाइल किए गए संलग्न आवेदन में आवेदक हूँ।

2– मैं ..... की नैसर्गिक संरक्षक हूँ।

3– मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण में इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।

4– अभिसाक्षी ..... पर प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के साथ ..... से ..... तक रही थी।

5– धारा (धाराओं) ..... के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए वर्तमान आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे द्वारा/मेरे अनुदेशों पर दर्ज किए गए हैं।

6– मुझे आवेदन की अन्तर्वस्तुएं अंग्रेजी/हिन्दी/किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें) में पढ़कर सुना दी गई है और उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है।

7– उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाए और संक्षिप्तता के लिए उनकी यहॉ पुनरावृत्ति नहीं की जा रह है।

8– आवेदक को प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है कि जिसके विरूद्ध संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।

9– प्रत्यर्थी ने आवेदक को धमकी दी है कि .....
.....
.....
.....

10– संलग्न आवेदन में मांगे गए अनुतोष अतिआवश्यक है क्योकि यदि एक पक्षीय

अन्तरिम

आधार पर उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किए जाते हैं तो आवेदक को अत्याधिक वित्तीय
कठिनाई का सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा किए जा रहे उन घरेलू हिंसा के कार्यों की पुनरावृत्ति/उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में संलग्न आवेदन में शिकायत की गई है।

11– इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापनः

तारीख ..... मास ..... 20..... को ..... में सत्यापित किया गया।
पयर्युक्त शपथपत्र की अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और इसका कोई
भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया यनहीं गया है।

अभिसाक्षी

.....

प्ररूप 4

(नियम 8 (1) (पप) देखिए)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन व्यथित व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जानकारी

1– यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर में जिसके साथ उसी धर में आप रहती हैं आपको पीटा जाता है, धमकी दी जाती है या उत्पीड़ित की जाती हैं तो आप धरेलू हिंसा की शिकार हैं। धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 आपको धरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार देता है।

2– आप अधिनियम के अधीन संरक्षण और सहायता प्राप्त कर सकती है यदि आप जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसी धर में निवास कर रही है/थी, आपके विरूद्ध या आपकी देखरेख और अभिरक्षण में किसी बालक के विरूद्ध हिंसा के निम्नलिखित कृत्य करता है –

1. शारीरिक हिंसा :

   उदाहरणार्थ :

   (प) मार पीट करना,

   (पप) थप्पड़ मारना,

   (पपप) ठोकर मारना,

   (पअ) दॉत से काटना,

   (अ) लात मारना,

   (अप) मुक्का मारना,

   (अपप) घक्का मारना,

   (अपपप) घकेलना,

   (पग) अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुॅचाना।

2. लैंगिक हिंसा :

   उदाहरणार्थ :

   (प) बलात् लैंगिक मैथुन,

   (पप) आपको अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को

   देखने के लिए मजबूर करता है,

   (पपप) आपसे दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य अन्यथा जो आपकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का हो,

   (पअ) बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार।

3. मौखिक और भावनात्क हिंसा :

   उदाहरणार्थ :

   (प) अपमान,

   (पप) गालियॉ देना,

   (पपप) आपके चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण,

   (पअ) पुरूष सन्तान न होने के लिए अपमान करना,

   (अ) दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना,

   (अप) आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को विद्यालय, महाविद्यालय

   या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था, में जाने से रोकना,

(अपप) आपको नौकरी करने से निवारित करना,

(अपपप) आप पर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना,

(पग) आपको या आपकी अभिरक्षा मे किसी बालक को धर से चले जाने से रोकना,

(ग) घटनाओं के सामान्यक्रम में आपको किसी व्यक्ति से मिलने से निवारित करना,

(गप) जब आप विवाह नहीं करना चाहती हों तो विवाह करने के लिए आप को मजबूर करना,

(गपप) आपकी अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से आपको रोकना

(गपपप) अपनी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करना,

(गपअ) आत्महत्या करने की धमकी देना,

(गअ) कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार

4. आर्थिक हिंसा

उदाहरणार्थ :

(प) आपके या बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना,

(पप) आपके या बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयॉ इत्यादि उपलब्ध न कराना,

(पपप) आपको आपका रोजगार चलाने से रोकना, या

(पअ) आपको आपका रोजगार करने में विध्न डालना

(अ) आपको किसी रोजगार को करने को अनुज्ञात न करना

(अप) आपकी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि से आय को ले लेना, या

(अपप) आपको अपना वेतन पारिश्रमिक उपभोग करने को अनुज्ञात न करना,

(अपपप) जिस धर में आप रह रहें हो उससे बाहर निकलने को मजबूर करना,

(पग) धर के किसी भाग में जाने या उपभोग करने से आपको रोकना,

(ग) साधारण धरेलू उपयोग के कपड़ों, वस्तुओं या चीजों के इस्तेमाल से अनुज्ञात न करना,

(गप) यदि किराये के आवास में रह रहे हों तो किराए इत्यादि का संदाय नहीं करना।

3– यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा जिसके साथ एक ही धर में आप रह रहीं हैं/थीं, आपके विरूद्ध धरेलू हिंसा की जाती है तो आप उस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित सभी या कोई एक आदेश प्राप्त कर सकती हैं –

(क) धारा 18 के अधीन :

(प) आपके या आपके बालकों के विरूद्ध धरेलू हिंसा का किसी और कार्य से रोकने के लिए,

(पप) आपके स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों इत्यादि का कब्जा देने के लिए,

(पपप) न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खातों या लॉकरों का प्रचालन न करने के लिए।

(ख) धारा 19 के अधीन :

(प) आपको उस धर में शांतिपूर्वक निवास करने से नहीं रोकने के लिए

जहॉ आप व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं,

(पप) आपके शान्तिपूर्ण निवास में व्यवधान या बाधा नहीं डालने के लिए,

(पपप) जिस धर में आप रह रहे हैं उसका व्ययन न करने के लिए,

(पअ) यदि आपका निवास किराए की संपत्ति में है तो किराए के संदाय का सुनिश्चय करने के लिए या ऐसे किसी समुचित वैकल्पिक निवास की व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिए जो आपको वैसी ही सुरक्षा और सुविधाएँ दे जो आपको पहले के निवास में थी,

(अ) न्यायालय के अनुज्ञा के बिना उस संपत्ति के अधिकार नहीं देने के लिए जिसमें आप रह रही हैं,

(अप) जिस घर/संपत्ति में आप रह रही है पर कोई ऋण नहीं लेने के लिए या संपत्ति को अन्तर्वलित करते हुए बंधक या कोई अन्य वित्तीय दायित्व सृजन न करने के लिए,

(अपप) व्यक्ति/व्यक्तियों से आपकी सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए निम्नलिखित कोई आदेश या सभी आदेश करना।

(ग) साधारण आदेश :

(प) शिकायत/रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा को रोकने के लिए।

(घ) विशेष आदेश :

(प) आपके निवास या कार्य स्थल से स्वयं को हटाने/दूर रखने के लिए,

(पप) आपसे मिलने से किसी प्रयास को रोकन के लिए,

(पपप) आपको फोन करने या आप से पत्र, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के प्रयास को रोकने के लिए,

(पअ) आप से विवाह के संबंध में बात करने से या उसकी/उनकी पसंद के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह के लिए मिलने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए,

(अ) आपके बालक/बालकों के विद्यालय से या किसी अन्य स्थान से जहॉ आप और आपके बालक जाते हैं, से दूर रहने के लिए,

(अप) आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ के कब्जे के समर्पण के लिए,

(अपप) किन्ही आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ को अर्जित नहीं करने या वैसी ही किसी वस्तु का कब्जा न रखने के लिए,

(अपपप) एल्कोहल या उसके समान प्रभाव वाली ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करना जिनसे पूर्व में घरेलू हिंसा हुई हो,

(पग) आपकी या आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपाय करने के लिए।

(ङ) घारा 20 और धारा 22 के अधीन अंतरिम घनीय अनुतोष के लिए कोई आदेश जिसमें निम्नलिखित भी है :

(प) आपके या आपके बच्चों के भरण–पोषण करने के लिए,

(पप) चिकित्सकीय व्यय सहित किसी शारीरिक क्षति के लिए प्रतिकर,

(पपप) मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर,

(पअ) जीविका की क्षति के लिए प्रतिकर,

(अ) आपके कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति के विनाश, नुकसान, हटाना

कारित करने के लिए प्रतिकर,

टिप्पणी ः– जैसे ही आप धरेलू हिंसा की शिकायत करती हैं और किसी अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करती हैं तो अन्तरिम आधार पर कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकेगा।

ः– अधिनियम के अधीन प्ररूप 1 में की गई धरेलू हिंसा की कोई शिकायत "घरेलू घटना रिपोर्ट" के नाम से ज्ञात होगी।

4– यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आपके निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(प) धारा 5 के अधीन उन अधिकारों और अनुतोष के बारे में जानने में, संरक्षण

अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता, जो आप प्राप्त कर सकती हैं।

(पप) संरक्षण अधिकारी की सहायता और सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की आपकी शिकायत दर्ज करने में सहायता करने और धारा 9 और धारा 10 के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन करने में सहायता करना।

(पपप) धारा 18 के अधीन धरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों के लिए संरक्षण प्राप्त करना।

(पअ) आपका विशिष्ट खतरों या असुरक्षाओं जिनका आप या आपके बालक सामना कर रहे हैं से संरक्षण के लिए उपाय और आदेश प्राप्त करने का अधिकार।

(अ) धारा 19 के अधीन उस घर में रहने जहॉ आप घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं और उसी घर मे रहने वाले अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप में अवरोध करने और घर तथा उसमें अन्तर्विष्ट प्रसुविधाओं का शांतिपूर्वक उपभोग करने का आपके और आपके बच्चों का अधिकार।

(अप) धारा 18 के अधीन आपके स्त्री धन, आभूषण कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य धरेलू चीजों को वापस कब्जे में लेना।

(अपप) धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रय, परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त करना।

(अपपप) धारा 18 के अधीन आपके विरूद्ध धरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को आप से संपर्क करने या पत्र व्यवहार करने से रोकने।

(पग) धारा 22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी शारीरिक या मानसिक क्षति या किसी अन्य धनीय नुकसान के लिए प्रतिकर।

(ग) अधिनियम की धारा 12, घारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करना।

(गप) आपके द्वारा की गई शिकायत, आवेदनों किसी चिकित्सा या अन्य परीक्षण की रिपोर्ट जो आप या आपके बालक करवाते हैं, की प्रतियॉ प्राप्त करना।

(गपप) घरेलू हिंसा के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियॉ लेना।

(गपपप) किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना।

5– प्ररूप उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि सभी रजिस्ट्रीकृत सेवाप्रदाताओं के ब्यौरे, निम्नलिखित उपबंधित रीति और स्थान में दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं की सूची निम्नलिखित है।

संगठन का नाम	प्रदान की गई सेवा	संपर्क के ब्यौरे

यदि आवश्यक हो, सूची को एक पृथक पृष्ठ पर जारी रखें।

प्ररूप 5

(नियम 8(1) (पअ) देखें)

सुरक्षा योजना

1– जब कोई संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य सेवा प्रदाता इस परूप में ब्यौरे उपब्ध कराने में किसी स्त्री की सहायता कर रहा हो, तो स्तंभ ग और ध में ब्यौरे, यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा परिवादिनी के परामर्श से और उसकी सम्मत्ति से भरे जाने है।

2– व्यथित व्यक्ति के सीधे न्यायालय पहुॅचने के मामले में स्तंभ ग और स्तंभ ध में ब्यौरे स्वयं उपलब्ध करा सकेगा।

3– यदि व्यथित व्यक्ति स्तंभ ग और ध खाली छोड़ता है और सीधे न्यायालय पहुॅचता है, तो उक्त स्तंभ में ब्यौरे न्यायालय को संरक्षण अधिकारी द्वारा परिवादिनी के परामर्श से और उसकी सम्मति से, उपलब्ध कराये जाएंगे।

	क	ख	ग	घ	ङ
क्र सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के संबंध में आशंकाएं	सुंरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहें गए आदेश
1	प्रत्यर्थी द्वारा शारीरिक हिंसा करना	परिवादिनी का बोध कि उसे और उसके बच्चों को शारीरिक हिंसा दोहराए जाने का जोखिम है।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
2	दुर्व्यवहार, अपमान या तिरस्कार अन्यथा आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई लैंगिक कृत्य।	(क) अवसाद (ख) ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति का जोखिम (ग) ऐसे कृत्य कारित करने के लिए प्रयत्नों का सामना करना	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (ध) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
3	गला घोटने के प्रयत्न करना	(क) शारीरिक क्षति (ख) रूग्ण मानसिक स्वास्थ्य (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें	क) पुनरावृत्ति (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
4	बालकों से मारपीट करना	(क) बालकों की क्षति (ख) बालकों पर उसका विपरीत मानसिक प्रभाव (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें	क) पुनरावृत्ति का जोखिम (ख) बालक पर हिंसक व्यवहार/ वातावरण का विपरीत प्रभाव।		
5	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने की	(क) धर में हिंसक	(क) आत्महत्या		

	धमकी देना	वातावरण (ख) सुंरक्षा का भय (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	करने का वास्तविक प्रयास (ख) पुनरावृत्ति (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
6	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न करना	(क) धर में हिंसक वातावरण (ख) असंरक्षा, चिंता, अवसाद, मानसिक आधात (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) आत्महत्या के प्रयत्न की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ना (ख) मानसिक आधात, पीड़ा (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
7	परिवादिनी से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार जैसे अपमान करना, उपहास करना, पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना, असतीत्व के मिथ्या आरोप लगाना आदि।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आधात, पीड़ा (ग) बालक/बालकों के लिए अनुपयुक्त वातावरण (ध) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ना (ख) मानसिक आधात, पीड़ा कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
8	व्यथित व्यक्ति / उसके बालकों/माता–पिता/नातेदारों को अपहानि करने का मौखिक धमकी देना	(क) लगातार भय में रहना। (ख) मानसिक आधात, पीड़ा (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	प्रत्यर्थी वर्णित धमकियों को निष्पादित कर सकता है। (ख) मानसिक आधात, पीड़ा अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
9	विद्यालय/महाविद्यालय/किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में उपस्थित न होने के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आधात, पीड़ा (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आधात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
10	विवाह के लिए मजबूर करना जब वह विवाह न करना चाहती हो। पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने के लिए मजबूर करना। प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की पसंद के व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आधात, पीड़ा (ग) बलपूर्वक विवाह किए जाने का भय। (ध) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आधात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
11	बालक/बालकों के व्यपहरण की धमकी देना	(क) लगातार भय में रहना। (ख) बालक/बालकों की सुरक्षा को भय। (ग) कोई अन्य,	(क) बालकों का व्यपहरण हो सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

		विनिर्दिष्ट करें।			

12	व्यथित व्यक्ति / बालकों / नातेदारों को वास्तविक अपहानि करना।	(क) और अपहानि के लगातार भय में रहना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (ध) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
13	पदार्थ (मादक द्रव्य/अलकोहल) का दुरूपयोग करना	(क) पदार्थ दुरूपयोग के कारण प्रत्यर्थी द्वारा गाली–गलौज और हिंसक व्यवहार के लगातार भय में रहना। (ख) सामान्य जीवन जीने से बंचित होना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उपभोग करने के पश्चात् शारीरिक हिंसा। (ख) इसका उपयोग करने के पश्चात् अपमानजनक व्यवहार। (ग) रखरखाव/धरेलू व्ययों का संदाय न करना (ध) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
14	आपराधिक व्यवहार का इतिहास	(क) हिंसा का लगातार भय। (ख) प्रत्यर्थी द्वारा बदले का भय।	(क) प्रत्यर्थी विधि का उल्लंधन करने की प्रवृत्ति रखता हो और न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध पारित आदेश की अवज्ञा का संभावना। (ख) प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति/बालकों को कोई और कार्यवाही द्वारा अपहानि पहुंचा सकता है।		
15	रखरखाव, भोजन, कपड़ों, दवाईयों आदि के लिए धन प्रदान न करना।	(क) आवारापन और निराश्रय की ओर प्रवृत्त। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
16	रोजगार करने से रोकना, विक्षुब्ध	(क) स्वयं की तथा	क) उसके		

	करना या उसके लिए अनुज्ञात न करना।	अपने बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ण करने में असमर्थ होना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
17	गृह से बलपूर्वक निकालना, गृह में प्रवेश करने या गृह के किसी भाग का प्रयोग करने से रोकना या उसे छोड़ने से निवारित करना।	(क) स्वयं और अपने बालकों के ठहरने के लिए कोई स्थान न होना। (ख) गृह के किसी विशेष क्षेत्र तक निर्बन्धित।	(क) उसके बालक/बालक तथा उसकी स्वयं की सुरक्षा। (ख) उसको स्वयं को तथा उसके बालकों को शरण प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
18	कपड़ों, साधारण धरेलू उपयोग की वस्तुओ या चीजों का प्रयोग अनुज्ञात न करना।	(क) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का कब्जा खोना। (ख) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों को बदलने के लिए संसाधन न होना।	प्रत्यर्थी द्वारा कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का निपटान किया जा सकता है। कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
19	किराये के आवास के मामले में किराए का संदाय न करना।	(क) ऐसे संदाय न करने पर स्वामी द्वारा आवास छोडने के लिए कहा जाना। (ख) रहने के लिए कोई वैकल्पिक आवास न होना। (ग) आवास का किराया देने के लिए आय न होना।	(क) आश्रय खोना। (ख) अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
20	सूचित किए बिना या सम्मत्ति के बिना स्त्रीधन या कोई अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना।	(क) मूल्यवान वस्तुओं या संपत्ति को नुकसान। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	मूल्यवान वस्तु या स्त्रीधन का निपटान प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है। कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
21	स्त्रीधन से बेकब्जा करना।	(क) उसके कब्जे में संपत्ति से उसे	(क) स्त्रीधन का निपटान प्रत्यर्थी		

		वंछित करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	द्वारा किया जा सकता है। (ख) स्त्रीधन को पुनः कभी न प्राप्त करने का भय।		
22	सिविल / दांडिक न्यायालय आदेश, विनिर्दिष्ट आदेश को भंग करना।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।		

हस्ताक्षर

पीडित व्यक्ति

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता/संरक्षण अधिकारी/
पुलिस अधिकारी

प्ररूप 6

धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, अधिनियम, 2005 की धारा 10(1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

1	आवेदक का नाम	
2	टेलीफोन नं0 ई–मेल पता यदि कोई है, सहित पता	
3	दी जा रही सेवाएँ	' आश्रय ' मनश्चिकित्सकीय परामर्श ' कौटुम्बिक परामर्श ' व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ' चिकित्सकीय सहायक ' चेतना कार्यक्रम ' ऐसे व्यक्तियों के समूह को परामर्श देना जो कि धरेलू हिंसा और कौटुम्बिक विवादों के शिकार है ' कोई अन्य सेवा, विनिर्दिष्ट करें।
4	ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या	
5	क्या आपकी संस्था में अपेक्षित सेवाएं दी जाने के लिए कतिपय न्यूनतम् कानूनी व्यासायिक अर्हताएं आवश्यक है? यदि हॉ, तो कृपया उन्हें विनिर्दिष्ट करें और उनके ब्योरे दें।	
6	क्या व्यक्तियों के नामों की सूची और उनकी हैसियत जिसमें वे कार्य कर रहे हैं और उनकी व्यावसायिक अर्हताएं संलग्न है?	' हॉ ' नहीं
7	वह अवधि जिसके लिए सेवाएं दी जा रही है	' 3 वर्ष ' 4 वर्ष ' 5 वर्ष ' 6 वर्ष ' 6 वर्ष से अधिक
8	क्या किसी विधि/विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	' हॉ ' नहीं
	यदि हॉ, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखें	
9	क्या किसी विनियमित निकाय या विधि द्वारा विहित अपेक्षाएं पूरी की गई हैं,?	
	यदि हॉ, तो विनियमित निकाय का नाम और पताः	

टिप्पण,– आश्रय गृह की दशा में, स्तंभ 10 से 18 के अधीन ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आश्रय गृह का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्ट किए जाएंगे।		
10	क्या आश्रय गृह में पर्याप्त स्थान है	' हॉ ' नहीं
11	पूर्ण परिसर का मापक क्षेत्र	
12	कमरों की संख्या	
13	कमरों का क्षेत्र	
14	उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा प्रबंधन के ब्यौरे	
15	क्या पिछले 3 वर्ष में अंतः निवासियों के उपयोग के लिए काम करने वाला टेलीफोन कनेक्शन के अनुरक्षण का अभिलेख उपलब्ध है।	
16	निकटतम्/औषधालय/क्लीनिक/चिकित्सा प्रसुविधा की दूरी	
17	क्या किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था की गई है	' हॉ ' नहीं
	यदि हॉ तो चिकित्सा व्यवसायी का नाम पता सम्पर्क नंबर अर्हता विशेषज्ञता	
18	कोई अन्य उपलब्ध प्रसुविधा, विनिर्दिष्ट करें	
टिप्पण,– परामर्श केन्द्र की दशा में स्तंभ 19 से 25 के अधीन ब्यौरे, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्टि किए जाएंगे।		
19	केन्द्र में परामर्श दाताओं की संख्या	
20	परामर्शदाताओं की न्यूनतम अर्हता, विनिर्दिष्ट करें ' स्नातक पूर्व ' स्नातक ' स्नातकोत्तर ' डिप्लोमाधारक ' वृत्तिक उपाधि ' कोई अन्य अर्हता विनिर्दिष्ट करें	
21	परामर्शदाताओं का अनुभव ' 1 वर्ष से कम ' 1 वर्ष ' 2 वर्ष्र ' 3 वर्ष ' 3 वर्ष से अधिक	
22	परामर्शदाताओं की वृत्तिक अर्हता/अनुभव ' वृत्तिक उपाधि ' ..... (संगठन का नाम) में ..... (पदनाम) के रूप में कौटुम्बिक परामर्श देने का अनुभव ' ..... (संगठन का नाम) में ..... (पदनाम) के रूप में मनोचिकित्सीय परामर्श देने का अनुभव	

	' कोई अन्य सुसंगत अनुभव, कृपया विनिर्दिष्ट करें :
23	क्या परामर्शदाताओं के नामों की सूची उनकी अर्हताओं के साथ उपाबद्ध की गई है ' हॉ ' नहीं
24	(क) दी गई परामर्श का प्रकार ' समर्थनकारी आमने–सामने परामर्श देना ' संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार प्रक्रिया (सी0बी0टी0) (एक प्रकार की मानसिक उपचार प्रक्रिया है जिसका व्यक्ति स्मरण, तर्क, समझने, समस्याओं का समाधान करने और विषयों को समझने के लिए प्रयोग करता है) ' पीडित व्यक्तियों के किसी समूह को परामर्श देना ' कौटुम्बिक परामर्श (ख) उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाएं ' व्यक्तिगत वृत्तिक और गोपनीय परामर्श सत्र आहूत करना ' समस्याओं पर विचार–विमर्श करने और मनोविकारों को व्यक्त करने के लिए एक भय रहित वातावरण ' परामर्श सेवाओं, सहायक समूहों और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के संसाधनों पर सूचना देना ' आमने–सामने बैठकर परामर्श देना और समूह कार्य करना ' उपचार, परामर्श देना और स्वास्थ्य संबंधी सहायता ' कोई अन्य सुविधा, कृपया विनिर्दिष्ट करें (ग) कोई अन्य सेवा (1) उपलब्ध सेवाएं (2) नियुक्त कार्मिक (3) ऐसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैधानिक न्यूनतम् कानूनी अर्हताएं (4) सेवायें उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए कार्मिकों के नामों की सूची उनके व्यवसायिक अर्हताओं के साथ संलग्न हैं। ' हॉ ' नहीं (5) अन्य ब्यौरे, जो रजिस्ट्रीकरण का इच्छुक सेवा प्रदाता है, दें।
	..... यदि आवश्यक हो तो इसे पृथक पृष्ठ पर जारी रखें।

प्राधिकृत पदधारी के

हस्ताक्षर
स्थान :
पदनाम
तारीख : (मुद्रा)

प्ररूप 7

(नियम 11 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना

न्यायालय .....

पुलिस थाना .....

मामलें में :

सुश्री ..... परिवादी

बनाम

सुश्री ..... प्रत्यर्थी

प्रेषिती

श्री .....

पुत्र श्री .....

निवासी .....

.....

.....

याची ने धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा ..... के अधीन आवेदन फाइल किया है/किए हैं,

आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मॉगे गए अनुतोष (अनुतोषों) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाए व्यक्तिगत रूप से या इस न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत काउंसेल के मार्फत तारीख ..... मास ..... 20 ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है, इसमें असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और ..... न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीक्ष ..... को दी गई।

न्यायालय की मुद्रा हस्ताक्षर

.....

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 144 / ग्ग्टप(3) / 2010 / 08(1) / 2010
देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010" पर दिनॉक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010)

बाल विवाहों के प्रतिषेध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व रोकने, पति से भरण–पोषण एवं संतान की अभिरक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करने, विधवाओं को विरासत के दावे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने तथा भयोपरतिकारी पतियों द्वारा अपने पत्नियों का परित्याग करने से बचाने के लिए, उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न होने वाले समस्त विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाएँ 2 इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों–

(क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है,

(ख) "महानिवन्धक" से राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है:

(ग) "जिला निबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष, 1908) की धारा 6 की अधीन नियुक्त जिला निवंधक अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन निबन्धक के कर्तव्यों का निर्वहन करनेवाला अधिकारी भी सम्मिलित है:

(घ) "स्थानीय निबन्धक" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाहों का स्थानीय निबन्धक अभिप्रेत है:

(ङ) "विवाह" में किसी जाति, जनजाति या धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किसी रूढ़ि प्रथा या परम्परा के अनुरूप निष्पादित समस्त विवाह अभिप्रेत हैं तथा इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित है:

(च) "विवाह का सम्पादन" से सम्पन्न किसी रूप या प्रकार से प्रचलित किसी प्रथा, रूढ़ि या परम्परा के अनुसार हो अथवा विवाह रचना अभिप्रेत है:

(छ) "ज्ञापन" से धारा 5 या 6 में निर्दिष्ट विवाह का ज्ञापन अभिप्रेत है:

(ज) "पुजारी" से सम्बन्धित समुदाय की प्रथा के अनुसार विवाह सम्पादित कराने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

(झ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाहों का रजिस्टर अभिप्रेत है:

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रकरण

3 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य में सम्पन्न समस्त विवाह, विवाह सम्पन्न होने के नब्बे दिन के भीतर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय,रजिस्ट्रीकृत किए जायेगे।

(2) प्रत्येक पति विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगाः

परन्तु यह कि जहॉ पति 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशत्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिए अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है, वहॉ पत्नी विवाह रजिस्ट्रीकरण के

लिए दायी होगीः

परन्तु यह और कि जहॉ पत्नी 18 वर्ष की आयु

से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त
है या किसी सशत्र सेवा में कार्यरत है और अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है या जिसे स्थानीय रूढ़ि और रीतियों के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वहॉ माता या पिता या संरक्षक विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होंगे।

स्थानीय निबंधक की नियुक्ति में

4 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जैसा अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निबन्धक नियुक्त करेगी।

(2) जिला निबन्धक या स्थानीय निबन्धक विहित रीति से विवाह का एक रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर रखेगा जैसा कि विहित किया जाय।

विवाह का ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

5 (1) विवाह के पक्षकार अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ज्ञापन तैयार और प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और उस क्षेत्र के निबन्धक को जहॉ विवाह निष्पादित हुआ है, विवाह की तारीख के 90 दिन के भीतर उक्त ज्ञापन की दो प्रतियॉ देगे या पंजीकृत डाक से भेजेगे।

(2) ज्ञापन विहित फीस के साथ और विहित व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर भेजा जाएगा।

(3) ज्ञापन के प्राप्त होने पर निबन्धक उसे सात दिन के भीतर फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा और उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी गति से जैसा विहित किया जाय, विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने वाले पक्षकारों को नोटिस

6 (1) निबन्धक स्वयं अथवा अन्यथा नोटिस जारी करके इस अधिनियम के अधीन विवाह का रजिस्ट्रकरण न करने वाले पक्षकारों को अपने सम्मुख उपस्थित होने और ऐसी रीति से तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को हस्ताक्षरित तथा विहित फीस के साथ देने के लिए आदेश दे

सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर निबन्धक, उसे फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा और धारा 5 में उपबन्धित विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात धारा 13 के प्राविधानों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) जहॉ विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार अवयस्क हैं तो निबन्धक स्थानीय पुलिस को बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 19, वर्ष 1929) के उल्लंधन में विवाह निष्पादित करने की सूचना देगा।

रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा

7 इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर कार्यदिवस के युक्तियुक्त समय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर विहित फीस के संदाय पर निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा उसका सत्यापित उद्धरण जारी किया जा सकेगा। ज्ञापन की प्रविष्टियॉ या रजिस्टर या उसका सत्यापित उद्धरण या धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा और उसमें उल्लिखित विवरण का प्रमाण होगा।

अरजिस्ट्रीकृत विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा

8 राज्य में निष्पादित कोई विवाह इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था या ज्ञापन निबन्धक को पहुॅचाया या भेजा नहीं गया था या ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, अनियमित या गलत था।

निबन्धक विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा

9 (1) प्रत्येक निबन्धक विहित प्ररूप में एक उसके क्षेत्राधिकार के अधीन के क्षेत्र में विवाह रजिस्ट्रीकरण का विवाह रजिस्टर रखेगा।

(2) महानिबन्धक इस हेतु समय–समय पर विहित प्ररूप में पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवायेगा और निबन्धकों को आपूर्ति करेगा।

रजिस्टर की तलासी

10 फीस के संदाय से सम्बन्धित नियमों सहित, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्याधीन कोई

व्यक्ति–

(क) विवाह रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि के लिए रजिस्टर की तलासी ले सकेगा और:

(ख) ऐसे रजिस्टर के उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

उद्धरित प्रमाण–पत्र की ग्राह्यता और साक्ष्यिक मूल्य

11 (1) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी उद्धरण सम्बन्धित निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे और किसी न्यायालय में सम्बन्धित प्रविष्टि विवाह के कृत्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य हेतु ग्राह्य होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र या निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा जारी इस

अधिनियम के अधीन रखे गये रजिस्टर के उद्धरण सही

माने जायेंगे, जब तक कि उसे (उन्हें) प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।

उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति

12 कोई व्यक्ति जो –

(क) घारा 5 अथवा 6 द्वारा अपक्षित ज्ञापन हस्तगत कराने या भेजने में चूक अथवा उपेक्षा करता है:

(ख) ज्ञापन की तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या कथन करता है

और यह जानता है या यह विश्वास करता है कि यह मिथ्या है, उसे दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा:

(ग) ऐसा व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अधीन किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

ज्ञापन दर्ज न के करने पर दण्ड

13 घारा 5 या 6 के अनुक्रम में कोई निबन्धक जो जानबुझ कर ज्ञापन को दर्ज करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन माह तक की अवधि के लिए हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

तथ्यों को छुपाने पर दण्ड

14 कोई व्यक्ति जो विवाह के रजिस्टर या उसके किसी भाग को छुपाएगा, नष्ट करेगा या बेईमानी से या कपटपूर्वक परिवर्तन

करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माने से जो दो वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा या दस हजार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अपरोधों का संज्ञान

15 (1) धारा 12 के उपखण्ड (ख) के अधीन व्यथित पति या पत्नी की शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगाः

परन्तु यह कि जहॉ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्तता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या महिला है, जिसे स्थानीय रूढ़ि और परम्पराओं के अनुसार बाहर निकालने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता, माता अथवा पिता अथवा संरक्षक न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है।

(2) कोई न्यायालय धारा 12, 13 और 14 के उपखण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित जिले के जिला निबन्धक की शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं होगा।

अपराध का शमन

16 (1) धारा 12 की उपधारा (ख) के अधीन अपराध शमनीय होगा।

(2) जिला निबन्धक द्वारा समाधान होने पर कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है, धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा।

(3) जॉच अथवा अभियुक्त द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर जिला निबन्धक के समाधान होने पर कि अभियुक्त ने धारा 5 और 6 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, जिला निबन्धक धारा 13 के अधीन शिकायत को वापस ले सकेगा।

सद्भावनापूर्व किये गये कृत्य से संरक्षण

17 किसी व्यक्ति के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जायेगा।

व्यावृत्ति

18 कोई विवाह जो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन राजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति की

19 (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और विशेषकर पूर्वप्रकाशन के अध्यधीन, पूर्वोक्त शक्तियों व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले में नियम बना सकती हैः

अर्थात्

(क) स्थानीय निबन्धक, जिला निबन्धक और महा निबन्धक की शक्तियॉ और कर्तव्यः

(ख) ज्ञापन को दर्ज किये जाने हेतु प्रारूप और रीतिः

(ग) धारा 5 और 6 के अधीन जारी किये जाने वाले विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप और रीति जिसमें विवाह रजिस्टर और अभिलेख रखे जाने अपेक्षित हैं:

(घ) रजिस्टर और अभिलेखों को अभिरक्षा में रखा जाना और ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेखों का परिरक्षणः

(ङ) इस अधिनियम के संगत प्राविधानों के अधीन संदत्त की जाने वाली फीसः

(च) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जागरूकता पैदा करनाः

(छ) अन्य कोई मामला जिसे विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शीध्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और राज्य विधान सभा की स्वीकृत्ति अथवा ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं होगी

20 अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्राविधान इनके अतिरिक्त होंगे और किसी रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा।

कठिनाइयों को दूर करने के शक्ति कोई आदेश द्वारा,

21 (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार ऐसे कोई ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से
राम दत्त पालीवाल,
सचिव

अनुसूची "क"

विवाह का ज्ञापन

(धारा 5 और 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का निवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

वर की स्वयं सत्यापित फोटो	वधू की स्वयं सत्यापित फोटो

सेवा में,

निबन्धक,
विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण
जिला .....
उत्तराखण्ड।

महोदय,

हम लागू प्राविधानों के अनुसार (पक्षकारों पर लागू धर्म, रूढ़ी परम्परा का उल्लेख किया जाय) ..... के अधोस्ताक्षरी पक्षकारों के मध्य दिनॉक ..... को विवाह सम्पन्न हो गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह की निम्नलिखित विवरणियॉ, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत्त कर दी जाय :–

विवाह का विवरणियॉ

1 विवाह की तारीख .....

2 विवाह का स्थल (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ ताकि स्थान का पता लगया जा सके) .....

3 वर की विवरणियॉ :

(क) पूरा नाम और व्यवसाय .....

(ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाय) .....

(ग) आयु .....

(घ) निवास का सामान्य स्थान .....

(ङ) स्थायी पता .....

(च) आवेदन देते समय पता .....

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति .....

अविवाहित .....
विधुर .....
तलाकशुदा .....

तारीख .....

वर के हस्ताक्षर .....

4 वधू का विवरण :

(क) पूरा नाम .....

(ख) मूल निवास (केवल विवरण भरा जाय) .....

(ग) आयु .....

(घ) निवास का सामान्य स्थान .....

(ङ) स्थायी पता .....

(च) आवेदन देते समय पता .....

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति .....

अविवाहित .....

विधुर .....

तलाकशुदा .....

तारीख ..... वधू के हस्ताक्षर .....

5 वर के पिता का पूर्ण विवरण :

(क) पूरा नाम .....

(ख) आयु .....

(ग) व्यवसाय .....

(घ) आवास का सामान्य स्थान .....

(ङ) आवेदन देते समय पता .....

(च) क्या जीवित हैं या मृत .....

तारीख ..... वर के पिता के हस्ताक्षर .....

6 वधू के पिता या अन्य संरक्षक का विवरण :

(क) पूरा नाम .....

(ख) आयु .....

(ग) व्यवसाय .....

(घ) आवास का सामान्य स्थान .....
..

(ङ) आवेदन देते समय पता .....
.....

(च) वधू के साथ संरक्षक का सम्बन्ध .....
...

तारीख ..... वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर .....

टिप्पणी– जहॉ आवेदन देने की तारीक्ष को वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, वहॉ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर वाध्यकारी नहीं हैं, परन्तु जहॉ वह आवेदन देने की तारीख को 18 वर्ष से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्पादित हो रहा हो, तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

7 पुजारी का विवरण :

(क) पूरा नाम .....
.....

(ख) आयु .....
.

(ग) निवास का सामान्य स्थान .....
....

(ध) पता .....
.....

नोट– यदि विवाह का समय आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो चुका है, तो पुजारी का विवरण अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। उसके हस्ताक्षर भी बाध्यकारी नहीं हैं।

तारीख ..... पुजारी के हस्ताक्षर .....
.....

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषण करता हूॅ कि जहॉ तक उनका मुझसे और विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध है, आवेदन में दिये गये विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है और विश्वास के अनुसार सही है।

8 वर के हस्ताक्षर ..... वधू के हस्ताक्षर .....

तारीख ..... तारीख .....

9 1–गवाह :

(क) पूर्ण नाम .....

(ख) पता .....
..

हस्ताक्षर .....
तारीख .....

2–गवाह :
(क) पूर्ण नाम .....
(ख) पता .....

..

हस्ताक्षर .....
तारीख .....

हस्ताक्षर .....
तारीख .....
पद ..... द्वारा प्रमाणित

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/ सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/सभासद/उप सभासद द्वारा वर और वधू की पहचान और अन्य विवरणियां इस आवेदन के साथ संलग्न हैं)

टिप्पणी – जहॉ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियॉ प्रमाणित नहीं करता है, वहॉ ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया सकेगा।

In pursuance 0f the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution 0f India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Compulsory Registration of Marrige Bill, 2010"** (Adhiniyam Sankhya19 of 2010) :-

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governer on 25 March, 2010.

No 144/XXXVI(3)2010/08(1)/2010
Dated Dehradun, March 26, 2010

NOTIFICATION
Miscellaneous

THE UTTARAKHAND COMPULSORY REGISYRATION OF MARRIAGE ACT, 2010

(Uttarakhand Act No. 19 of 2010)

To provide for the compulsory registration of marriages solemnized in the State of Uttarakhand so as to prevent child marriages, check bigamy or polygamy, help women to exercise their rights of maintenance from husband and custody of children, enable widows to claim inheritance and to serve as deterrent to husband deserting their wives and for matters connected therewith or incidental thereto

AN

ACT

Be it enacted by by State Lagislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title extent and Commencement 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Uttarakhand Gazette, appoint.

(3) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

Definitions 2. In this Act, unless the context otherwise requires--

(a) **"State Government"** means the Government of Uttarakhand;

(b) **"Registrar General"** means the Inspector-General of Registration appointed under section 3 of The Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908);

(c) **"District Registrar"** means the Registrar of the District appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and includes the officer performing the duties of Registrar under Sections 10 and 11 of that Act;

(d) **"Local Registrar"** means a Local Registrar of marriages appointed by the State Government under this Act;

(e) **"Marriage"** includes all the marriages contracted by persons belonging to any caste, tribe or religion, and the marriages contracted as per any custom, practices or

traditions, and also includes re-marriages;

(f) **"To contract a marriage"** means to solemnize or enter into a marriage in any form or manner, in accordance with any customs, practices or traditions in force;

(g) **"Memorandum"** means a memorandum of marriage referred to in section 5 or 6;

(h) **"Priest"** means any person who get the marriage performed in accordance with the custom of the community concerned;

(i) **"Register"** means a register of marriage maintained under this Act;

(j) **"Prescribed"** means prescribed by rules made under this Act.

Compulsory registration of marriage

3. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage to the contrary, all the marriages solemnized in the State after the commencement of this Act shall be registered within ninety days of solemnized of marriage in such manner as may be prescribed.

(2) Each husband shall be responsible to get the marriage registered:

Provided that--Where such husband is under the age of 18 years or is an idiot, or a lunatic or is from sickness or infirm or is serving in any of the armed Forces and is unable to obtain leave to register his marriage, wife shall be responsible to get the marriage registered:

Provided Further that--Where the wife who is under the age of 18 years or is an idiot, or a lunatic or is sick or infirm or is serving in any of the Armed forces and is unable to obtain leave or according to local custom and manners ought not be compelled to appear in public, the father or the mother or the guardian shall be responsible to get the marriage registered.

Appointment of Local Registrar

4. (1) The State Government shall, by notification, appoint such persons as it considers necessary to be the Local Registrara for such local area, as may be specified in such notification.

(2) The District Registrar or Local Registrar shall maintain in the prescribed manner a register of marriage and such other registers as may be prescribed.

Memorandum and Registration of Marriage

5. (1) The parties to a marriage shall, prepare and sign memorandum in the form specified in Schedule ñAò and deliver or send by registered post the said memorandum in duplicate to the Registrar of the areas in which the marriage was contracted, within a period of ninety days from the date of marriage.

(2) The memorandum shall be accompanied by the prescribed fee and shall be attested by a prescribed person.

(3) On receipt of the memorandum, the Registrar shall file the same, enter the particulars thereof in the register within seven days and send the duplicate copy thereof to the District Registrar and issue a marriage certificate in such form and manner as may be prescribed.

Notice to parties for Non registration of Marriage

6. (1) The Registrar may suo-moto or otherwise issue notice to the parties to a marriage which has not been registered under this Act, to appear before him and get the memorandum of marriage signed and delivered with the prescribed fee in such manner and within such time as may be specified in the notice.

(2) On receipt of a memorandum under sub-section(1) the Registrar shall file the same, enter the particulars thereof in the register, send the duplicate copy thereof to the district Registrar and issue the marriage certificate as provided in section 5.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall affect the liability of any person under the provisions of section 13.

(4) Where any party to the marriage or parties to the marriage are minor the Registrar shall inform, to the local Police that the marriage is solemnized in contravention of Child Marriage Restraint Act, 1929.

Register to be open for public inspection

7. The register maintained under this Act, shall, at all reasonable times, be open to inspection, on working hours by any person, and certified extracts therefrom, shall be on application, be issued by the Registrar or Local Registrar on the payment of prescribed fee. The entries in the memorandum or the register or the certified extract thereof or the marriage certificate issued under section 5 or section 6 shall be admissible in evidence and be proof of the statement contained therein.

Non-registration not to in invalidate the marriage

8. No marriage contracted in the State shall be deemed to be invalid solely by-reason of the fact that it was not registered under this Act or that the memorandum was not delivered or sent to the Registrar or that such memorandum was defective, irregular or incorrect.

Registrar to keep registers in prescribed form

9. (1) Every Registrar shall keep in the prescribed form a register or Marriage Registration made in the area under his jurisdiction.

(2) The Registrar-General shall from time to time cause to be printed and supplied to the Registrars sufficient number of Register in the prescribed form.

Search of register

10. Subject to any rules made in this behalf by the State Government, including the rules relating to payment of fees, any person may--

(a) Cause a search to be made for any entry in the Register of Marriage-Registration, and

(b) Obtain an extract from such register.

Admissibility of Certificate abstract and evidentiary value

11. (1) All extract(s) obtained under sub-section (1) shall be signed by the Registrar concerned, and shall be admissible in evidence in any court of law for the purpose of establishing the factum of marriage to which the entry, relates.

Certificate of marriage issued under the Act, or any abstract(s) of the register kept under this Act issued by the Registrar or Local Registrar shall be presumed correct unless the contrary is proved.

Penalty for neglect or false statement

12. Any person who--
(a) Omits or neglects to deliver or send the memorandum as required by section 5 or 6;
(b) Makes any statements in the memorandum which is false in any material particular, and which he knows or has reason to believe to be false, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees;
(c) Shall, also not be entitled to any benefits under the various schemes of the Central or the State Government or their undertakings.

Punishment for non-memorandum

13. The Registrar who willfully fails to file the memorandum pursuant to section 5 or 6, shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Punishment for concealment of fact

14. Any person secreting, destroying or fraudulently altering the register of marriage or any part thereof, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both

Cognizence of offences

15. (1) No court shall take cognizance except, the complaint under sub-clause (b) of section 12 made by the aggrieved husband or the wife:
(2) **Provided that--**Where such person is under the age of 18 years, or is an idiot or a lunatic, or is sick or infirm, unable to make a complaint, or is a woman who, according to the local customs and manners, ought not to be compelled to appear in public, mother or father or guardian with the leave of the court, make a complaint on his or her behalf.

No court shall take cognizance except, the complaint made by district Registrar of the concern of District under sub-clause (a) of section 12, 13 and 14.

Compounding of offience

16. (1) Offence under sub-section (b) to section 12 shall be compoundable.
(2) Offence punishable under clause (a) of section 12 may be compounded by the Dist4rict Registrar on his being satisfied, that the marriage has been registered.
(3) On inquiry or showing sufficient cause by the accused, District Registrar may withdraw the complaint under section 13, on being satisfied that the accused has discharged his duties according to Section 5 and 6.

Protection for action taken in good faith

17. No suit or prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything, done in good faith.

Savings

18. Any marriage registered under, the Uttar Pradesh Hindu Marriage (Registration) Rules, 1973 (as applicable to the state of Uttarakhand) or under the Special Marriage Act, 1954 shall be deemed registered under this Act.

Power to make rules

19. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the previous publication, in particular and without prejudice to the generality of

the foregoing powers, for carrying out the purpose of this Act, provide for all or any of the following matters, namely:--

(a) The powers and duties of the Local Registrar, District Registrar and Registrar General.
(b) The form and manner, in which the memorandum shall be filed.
(c) The form and manner, in which register of marriage and records required to be maintained and the form of certificate of registration of marriage to be issued under section 5 and 6.
(d) The custody, in which the register and records are to be kept and the preservation of such registers and records.
(e) The fee to be paid under the relevant provisions of this Act.
(f) Creating awareness for registration of marriages.
(g) Any other matter which may be or require to be prescribed.

(2) All rules made under this section shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as possible after they are made and shall be effective subject to approval or modifications by the State Legislative Assembly.

Application of other laws not barred

20. Save as otherwise provided, the provision of this Act shall be in additions to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulty

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, governor may, by order, give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order uner sub-section (1), shall be made after the expiry of two years from the date on which this Act comes into force.

(2) Every order made under this section shall be put before the State Legislative Assembly.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

SCNEDULE ñAò

MEMORADUM OF MARRIAGE

(Section 5 and 6)
Of

The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

Self Attested Photo of bridegroom	Self Attested Photo of bride

To,

The registrar,
Compulsory Registration of Marriage,
é é é é é é é é é é é é é é é é é District
Uttarakhand.

Sir,

A marriage in accordance with the provision applicable to us (As per Religion, é é é é é é é é é é ... Custom or Practice applicable to the parties be mentioned has been solemnized between us, the undersigned parties, on é é é é é é é é é é é é é é é é and we request that the following particulars of our marriage be registered in the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Register:--

Particulars Marriage

1. Date of marriage .é é
2. Place of marriage (with sufficient particulars to locate the place) é é é é é é é
3. Particulars of the bridegroom :
   (a) Full name and occupation é ..
   (b) Domicile (Only the particular s to be filled up) é é é é é é é é é é é é é é
   (c) Age é .
   (d) Usual place of residence é

(e) Permanent address é .

(f) Address at the time of application é .

(g) Status at the time of marriage é

Whether Unmarried é é é é é é é é é é é é ..

Widower é é é é é é é é é é é é é .

Divorced é é é é é é é é é é é é é .

Dated é é é é é é é é é .. Signature of the Bridegroomé é é é ...

4. Particulars of the bride:

(a) Full name é .

(b) Domicile (Only the particulars to be filled up) é é é é é é é é é é é é é

(c) Age é ..

(d) Usual place of residence é

(e) Permanent address é .

(f) Address at the time of application é é é é é é é é é é é é é é é é é é é

(g) Status at the time of marriage é

Whether Unmarried é é é é é é é é é é é é é é é é é ..

Widow é é é é é é é é é é é é é é é é é é é ..

Divorceeé é é é é é ..é é é é é é é é é é é ..

Datedé é é é é é é . Signature of the Bride é é é é é é é é é é ..

5. Full particulars of bridegroomõs father:

(a) Full name é .

(b) Age é ..

(c) Occupation é ..

(d) Usual place of residence é

(e) Address at the time of application é

(f) Whether alive or dead é

Datedé é é é é é é Signature of the father of the bridegroom

(**N.B.** Signature of the bridegroomôs father is not obligatory)

6. Particulars of the brideôs father or other guardian :

(a) Full name é .

(b) Age é ......

(c) Occupation é ..

(d) Usual place of residence é

(e) Address at the time of application é é é é é é é é é é é é é é é é é é é

(f) Relationship of guardian with bride é é é é é é é é é é é é é é é é é é é

Datedé é é é é é é é é . Signature of the father or guardian of the Bride

(**N.B.** Signature of the brideø father or guardian is not obligatory where the brideø age is not less than 18, on the date of application but signature of her father or guardian is necessary where on the date of application she is below 18 and the marriage was performed in accordance with the law in force on the date of marriage.)

7. Particulars of the priest:
   (a) Full name é .
   (b) Age é ..
   (c) Usual place of residence é
   (d) Address é

(**N.B.** It shall not be obligatory to entry particulars of the priest, if the marriage took place more than a year before the date of the application. His signature is not obligatory).

Datedé é é é é é é é é Signature of the priest é é é ....

DECLARATION

I, solemnly declare that the particulars given in this application, so far as they relate to myself and to the solemnization of marriage of marriage are true to the best of my knowledge and the rest are based on information received and believed to be true.

8. Signature of Bridegroomé é é é é é é é é é . Signature of Brideé é é é é é é é ...
   Datedé é é é é é é é

9. 1--Witness:
   (a) Full nameé ...
   (b) Addressé ..

Signatureé é é é é é é é é .

Datedé é é é é é é é é é ..

2--Witness:

(a) Full nameé ...

(b) Addressé ..

Signatureé é é é é é é é é .

Datedé é é é é é é é é é ..

Signatureé é é é é é é é é .

Datedé é é é é é é é é é ..

Certified byé é é é é é é é é é é é é é é é .(Designation)é é é é é é é é é é é é é .

(The identification of the bridegroom and the bride and other particulars of this application by the Member of Parliament/Member of the State Legislature/Gazetted Officer/Pradhan/Sarpanch/ Pramukh/President of a local body/Counsel/Vice-counsel as are appended with application.)

Note- Certificate may be by more than one such person where one cannot certify the identity of both the parties or all other particulars.

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 610/ग्टप्प्(2)/2010
देहरादूनः दिनॉक 24 मई, 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या–19 वर्ष 2010) की धारा–1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल 26 मार्च, 2010 को इस अधिनियम के प्रवृत्त करने की तारीख नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से
मनीषा पंवार
सचिव

संख्या 610(2)/ग्टप्प्(2)/2010 तद्दिनॉक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– महानिरीक्षक निबन्धक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, देहरादून।
8– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
9– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
12– उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेंश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियॉ शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्याः 1730/ग0प्र0(2)/2010
देहरादून, दिनॉक 12 अगस्त, 2010

अधिसूचना

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–8 बी के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर एतद्द्वारा जिला कार्यक्रम अध्किारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

मनीषा पंवार
सचिव

संख्याः 1730(1)/ग0प्र0(2)/2010 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग/प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
13– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/दहेज प्रतिषेध अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टीकम सिंह पंवार
संयुकत सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्याः 1822/ग्टप्(2)/2010
देहरादून, दिनॉक 06 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–16 (1) के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर एतद्द्वारा जिला कार्यक्रम अध्किारी को "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी" के रूप में नामित किया जाता है।

मनीषा पंवार
सचिव

संख्याः 1822(1)/ग्टप्(2)/2010 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग/प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9– पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड।
10– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11– समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
15– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/दहेज प्रतिषेध अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियॉ शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टीकम सिंह पंवार
संयुकत सचिव